CONTENTS

Fifteenth Series, Vol. IX, Fourth Session, 2010/1932 (Saka)
No. 27, Friday, April 30, 2010/ Vaisakha 10, 1932 (Saka)

SUBJECT	PAGES
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question No. 501 to 504	3-34
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 505 to 520	35-105
Unstarred Question Nos. 5676 to 5905	106-617

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 618-624

MESSAGES FROM RAJYA SABHA 625

PARTICIPATION OF INDIAN PARLIAMENTARY DELEGATION IN THE 121ST ASSEMBLY OF THE INTER-PARLIAMENTARY UNION (IPU)
Report 626

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS
6th to 8th Reports 626

STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT & FORESTS
210th Report 627

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2009-10) pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance
Shri Pranab Mukherjee 627

BUSINESS OF THE HOUSE 628-632

SUBMISSION BY MEMBER 648-649

Re: Need to enhance the recommendatory quota of MPs for grant of financial relief from Prime Minister's Relief Fund for critically ill patients

NATIONAL GREEN TRIBUNAL BILL, 2009 665-741

Shri Shailendra Kumar 665-667

Shrimati Supriya Sule 668-671

Shrimati Maneka Gandhi 672-682

Shri Pradeep Tamta 683-686

Shri C. Sivasami 687-689

Shri Jagdanand Singh 690-692

Shri Mangani Lal Mandal	693-696
Shri Prasanta Kumar Majumdar	697-698
Shri Prem Das Rai	699-700
Shri Bibhu Prasad Tarai	701-702
Shri S.S. Ramasubbu	703-704
Shri Charles Dias	705-707
Dr. Prasanna Kumar Patasani	708-709
Shri Bhakta Charan Das	710-711
Shrimati Botcha Jhansi Lakshmi	712-714
Shri Jairam Ramesh	718-723
Clauses 2 to 37 and 1	723-740
Motion to Pass	741

PRIVATE MEMBERS' BILLS - Introduced

(i) Two Child Norm Bill, 2009

By Shrimati Supriya Sule 742

(ii) Compulsory Registration of Marriages Bill, 2008

By Shrimati Supriya Sule 742

(iii) Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2009 (Insertion of new section 23 A)

By Shri Varun Gandhi 743

(iv) Prohibition on use of Caste or Religious Title Bill, 2009

By Shri R. Rajagopal 743

(v) Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2010 (Insertion of new section 2A)

By Shri R. Rajagopal 744

(vi) Abolition of Child Labour Bill, 2010

By Shri Adhir Chowdhury 744

(vii) Eradication of Unemployment Bill, 2010

By Shri N.S.V. Chitthan 745

(viii) Anti-Hijacking (Amendment) Bill, 2010 (Insertion of new section 4A)

By Shrimati Supriya Sule 745

(ix) Victims of Natural Calamities (Rehabilitation and Financial Assistance) Bill, 2010

By Shri N.S.V. Chitthan 746

(x) Constitution (Amendment) Bill, 2010 (Amendments of article 85)

By Shri Arjun Ram Meghwal 746

(xi) Price Control Bill, 2010

By Shri Arjun Ram Meghwal 747

(xii) Indigent Persons Welfare Bill, 2010

By Shri Arjun Ram Meghwal 747

(xiii) Ban on Witchcraft Bill, 2010

By Shri Om Prakash Yadav 748

(xiv) Farmers (Old Age pension) Bill, 2010

By Shri P.T. Thomas 748

(xv) Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2010 (Insertion of new section 335 A)

By Shri Adhir Chowdhury 749

(xvi) Persons Living Below Poverty Line (Identification) Bill, 2010

By Shri Satpal Maharaj 749

(xvii) Voluntary Organisation (Regulation) Bill, 2010

By Shri Pradeep Tamta 750

(xviii) Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (Amendment) Bill, 2010 (Amendment of section 4, etc)

By Shri Rajendra Agrawal 750

(xix) Central Universities (Conditions of Service of Non-Teaching Staff) Bill, 2010

By Shri Jagdambika Pal 761

COMPULSORY VOTING BILL, 2009 751-802

Shri Arjun Ram Meghwal 751-755

Shri Adhir Chowdhury 756-760

Shri Shailendra Kumar 762-764

Shri Satpal Maharaj 765-766

Shri S. Semmalai 767-770

Dr. Prabha Kishore Taviad 771-772

Shri Gorakhnath Pandey 773-775

Dr. Vinay Kumar Pandey 776-780

Shri Rajaram Pal 781-783

Shri Premdas 784

Shri J.M. Aaron Rashid 785-789

Shri Vijay Bahadur Singh 790-792

Chaudhary Lal Singh 793-795

Shri Badruddin Ajmal 797-799

Shri M. Veerappa Moily 801-802

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 803

Member-wise Index to Unstarred Questions 804-808

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 809

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 810

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Beni Prasad Verma

Dr. Girija Vyas

SECRETARY-GENERAL

Shri P.D.T. Achary

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, April 30, 2010/ Vaisakha 10, 1932 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, मैं छः दिन से नोटिस दे रहा हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मैं आपको शून्य प्रहर में बोलने का मौका दूंगी।

श्री शरद यादव : लेकिन मुझे पहले बुलाइएगा।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है।

(Q. No. 501)

श्री रामसिंह राठवा : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत एक ट्रोपिकल कंट्री यानी उष्ण कटिबंधीय देश है। यह तीन ओर से समुद्र से जुड़ा हुआ है। प्रतिदिन धूप के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में सौर ऊर्जा समुद्र द्वारा एब्जार्ब यानी अवशोषित कर ली जाती है। इस अवशोषित की गई ऊर्जा को समुद्र से निकालने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और विशेष रूप से समुद्री तापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा तथा ज्वार ऊर्जा के दोहन के क्षेत्र में सरकार ने क्या प्रयास किया है?

डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्ला : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने यह महत्वपूर्ण सवाल पूछा है।

महोदया, गुजरात एक ऐसी रियासत है, जिसने सबसे ज्यादा इसकी तरफ पहल की है और सबसे ज्यादा इसका फायदा उठा रही है। पवन ऊर्जा की हमारे मुल्क में पोटैंशियल 48500 मेगावाट है, लेकिन हमने क्यूमुलेटिव 11807 मेगावाट अचीव किया है। 11वीं योजना का हमारा टारगेट 11000 मेगावाट का था, लेकिन रिसैशन के कारण हमें इसे घटाकर 9000 पर लाना पड़ा। हमें उम्मीद है कि 11वीं योजना समाप्त होने तक हम इसे अचीव कर लेंगे। बायो ऊर्जा से 23700 मेगावाट का हमारा पोटैंशियल है, 2265 मेगावाट हमने अचीव किया है। अभी हमारा टारगेट 1780 मेगावाट है। अभी तक हम 1080 मेगावाट अचीव कर लिया है। स्मॉल हाइड्रो पावर में 15000 मेगावाट का पोटैंशियल है, जिसमें से हमने 2735 मेगावाट अचीव किया है। हमारा टारगेट 1400 मेगावाट का है और 759 मेगावाट हमने अचीव कर लिया है। सोलर पावर, अभी जवाहर लाल नेहरू सोलर मिशन आया है, इसमें काम होने वाला है। हमने उन सभी लोगों से जो इसमें इन्टरैस्टिड हैं, उनसे हमने जाना है कि उनके दिमाग में क्या है, जो उनको लगता है कि उनको मदद कर सकता है, तो हमने उनसे पहले इस बारे में जानकारी मांगी है। उसके आने के बाद हमने उसे कम्पाइल किया है। कम्पाइल करने के बाद हम उस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम एनाउंस करेंगे, जो हमारा प्लान है और जो हमने लक्ष्य रखा है, वह सब हम सामने लाएंगे। सोलर पावर पर हमें 20,000 मेगावाट वर्ष 2022 तक करना है। उसमें हमने ग्रिड कनैक्टिड 1100 मेगावाट रखा है और नॉन ग्रिड 200 मेगावाट रखा है। हमारी कोशिश यह है कि इससे ज्यादा से ज्यादा बिजली देश में रिन्युएबल सोर्सेज की पैदा की जाए। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि अभी तक हम इसे करने में 26 प्रतिशत तक कामयाब हुए हैं।

अब हमने जो सोलर मिशन और जेनरेशन बेस इंसेंटिव विंड पावर में हवा के मामले में दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि उससे इसमें और ज्यादा प्रगति एवं तेजी होगी। इसकी तरफ हम तवज्जो दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि गुजरात गवर्नमेंट भी इसमें हमारी मदद करेगी।

श्री रामसिंह राठवा : अध्यक्ष महोदया, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री प्रश्न यह है, मैं माननीय मंत्री जी से गुजरात को वर्ष 2010-11 के फाइनेंशियल आउटलेट, फिजिकल टारगेट और नवीनीकरण ऊर्जा सूत्रों के बारे में पूछना चाहता हूं। वहां के आंकड़े क्या हैं और सरकार ने गुजरात के छोटे-छोटे गांवों को परिवार संबंधित बॉयो-गैस प्लांट, सोलर पावर और विंड पावर उपलब्ध कराई है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है? विंड पावर, सोलर पावर, स्माल हाईड्रो और बॉयोमास में अब तक देश में कितने मेगावाट का विकास हुआ है और क्या यह अपेक्षा से कम है, यदि हां तो उसके कारण क्या हैं?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप कितने प्रश्न पूछेंगे, आपके बहुत प्रश्न हो गए।

श्री रामसिंह राठवा : अध्यक्ष महोदया, यह एक ही में आ जाता है।

अध्यक्ष महोदया: आप जल्दी प्रश्न पूछिए।

श्री रामसिंह राठवा : अध्यक्ष महोदया, मुझे इसके बाद प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे जो भी पूछना है, उसे इसी के साथ में जोड़ देता हूं। यह लक्ष्य पाने के लिए कितना समय लगेगा? इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि हम सभी एनर्जी के बारे में बाकी कंट्रीस से कितने पीछे हैं, उनके साथ पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा?

डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्ला: माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। गुजरात में 2009-10 में स्माल हाईड्रो में उन्होंने 5.60 मेगावाट एचीव किया है, विंड पावर में उन्होंने 297 मेगावाट एचीव किया है, बॉयो में उन्होंने कुछ नहीं एचीव किया है। उनकी 2009-10 में टोटल केपेसिटी 302 मेगावाट एचीव हुई । हमारा विंड पावर का एस्टीमेटेड पोटेंशियल मुल्क में 10645 मेगावाट है, जिसमें हमने क्यूमुलेटिव एचीवमेंट 1863 मेगावाट एचीव किया है। स्माल हाईड्रो पावर में अप टू 25 मेगावाट एस्टीमेट पोटेंशियल 196 मेगावाट है, क्यूमुलेटिव एचीवमेंट 12.60 मेगावाट है। बॉयोमास को-जेनरेशन में 1221 और 350 मेगावाट है और एचीव 0.50 मेगावाट किया है। बॉयोमास गैसीफायर में 14.51 मेगावाट एचीव किया है। एनर्जी रिकवरी फ्रॉम अरबन वेस्ट में गुजरात का पोटेंशियल 56 मेगावाट है और हमने 8.40 मेगावाट एचीव किया है। रिमोट विलेज इलैक्ट्रीफिकेशन में हमने 38 बिलेजस कवर किए हैं, फेमिली टाइप बॉयो-गैस प्लांट में 5.54 लाख प्लांट का एस्टीमेटेड पोटेंशियल है और हमने 4.07 लाख प्लांट एचीव किया है। जवाहरलाल नेहरु सोलर फोटोवोलटाईक प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है, उसकी गाइडलाइंस आने वाली हैं,

उसके बाद उसमें बी बहुत तेजी आएगी। सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम में 2004 नम्बर किया है, होम लाइटिंग सिस्टम में 9231 नम्बर, सोलर लैंटर्न 31,603 नम्बर, एसपीवी पावर प्लांट 29.90 नम्बर, सोलर कुकर 1,46,219 नम्बर, सोलर पीवी पम्पंस 85 नम्बर, स्माल विंड सिस्टम 879 नम्बर, एरो जेनरेटर हाइब्रिड सिस्टम 10 किलोवाट हमने किया हुआ है।

MADAM SPEAKER: Shri C.R. Patil – not present.

SHRIMATI ANNU TANDON : Madam, Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana is a very ambitious and appreciable programme to electrify villages. However, we also know and recognize the power crisis and the unavailability of traditional power supply, especially in the rural sector of U.P. In view of the same, the efforts of the Ministry of New and Renewable Energy are the alternative that we are banking on and solar energy is the area that we are hopefully looking towards. Unfortunately, wherever the Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana is being implemented, it is not possible to implement it in those areas. That is what I have understood.

So, I would like to ask, through you Madam, whether the Ministry of New and Renewable Energy is coordinating with the Ministry of Power and whether there is any convergence to specially identify the areas wherein solar power can be employed through various schemes as RGGVY is not happening there or there is an issue of the relationship between the schemes.

Further, is there any scheme that is being considered by this Ministry, which will be implemented by the Central Government or with the participation of the Members of Parliament, without the participation of the State Government? I am asking this because unfortunately in the State of U.P. and in my constituency, I am not seeing any wholehearted or rather any sort of support forthcoming from the State Government.

DR. FAROOQ ABDULLAH: I am very grateful to the hon. Member for this question. I must make very clear one thing. We have an understanding with the Ministry of Power. I think, without that, we cannot function. At the same time, I must make it clear to all the Members of Parliament that it is basically the State

that has to send the projects and also implement the projects. The Central Government is here only in the capacity of giving them assistance and, at the same time, providing all the help that the State Governments need.

Now as far as remote village electrification is concerned, it is making efforts to supplement RGGVY projects, but we need proposal from the State.

I am sorry that my Hindi is not very good. So, you forgive me for that.

Now the problem here is that in any State where we find that there is a difficulty, I would have loved to have MPs do this in their areas, but it is not possible. It is for the States to do this and for us to help them.

श्री दारा सिंह चौहान : मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है।

DR. FAROOQ ABDULLAH: What I would request the Members of Parliament is that wherever there is a possibility and they find that the things are not being done or things are not working, they can send that information to me and to the Ministry. We will take it up with the State Government and try and see that it is done. That is very important.

We would like to assist the State Governments in a big way so that people get electricity. That is the aim of the Government to see that everybody in every village is able to have electricity. In these 60 years, we have 40 per cent of our population that does not know what the power looks like. So, it is essential for us. This Ministry has God's grace. We have the God's Sun; we have the God's wind; and we have the water. We have all facilities to be able to provide it to the villages. I only need your help, my Ministry needs your help so that we can make it easier for your people to get this help.

श्री तूफ़ानी सरोज : अध्यक्ष महोदया, मैं उत्तर प्रदेश से चुनकर आता हूं। उत्तर प्रदेश के यहां 80 सांसद बैठे हुए हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उनमें लघु पन बिजली और पवन विद्युत में उत्तर प्रदेश जीरो पर है, कोई नाम नहीं

है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस उपेक्षा का क्या कारण है? क्या भविष्य में लघु पन बिजली और पवन विद्युत की योजनाएं उत्तर प्रदेश में चालू करने का कोई प्रस्ताव है? ...(व्यवधान)

पन बिजली और पवन विद्युत के संबंध में आपने अपने उत्तर में जो चार्ट दिया है, उसमें उत्तर प्रदेश के संबंध में कोई लक्ष्य नहीं बताया है, जीरो दर्शाया है। वह देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। यहां उत्तर प्रदेश के 80 सांसद बैठे हुए हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में पन विद्युत और पवन विद्युत की कोई योजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है या नहीं? ...(व्यवधान)

डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्ला: अगर आप मेरा जवाब सुनें तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो कन्करेंट लिस्ट है, उसके अन्दर पावर स्टेट की रैस्पोंसिबिलिटी है। हमारा काम सिर्फ यह है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें उत्तर दे लेने दीजिए।

डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्ला: मुझे बोलने दीजिए। यह स्टेट की रैस्पोंसिबिलिटी है। हम सिर्फ उनकी मदद कर सकते हैं, हमें उनकी मदद करने की जरूरत है। जिस तरह मैं रियासत में...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Kindly address the Chair.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। तूफानी सरोज जी, उन्हें उत्तर देने दीजिए।

डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्ला: मुझे अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। I will answer your question. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : उन्हें उत्तर देने दीजिए। आप उत्तर दीजिए। आप बैठ जाइये।

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ...[*]

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Thank you, Madam Speaker. I fully agree with the Minister that we have to produce energy from various sources, that is, from water, solar energy or wind. At the same time, when the States take the initiative to draw some projects that are fully feasible, some environment workers come to object it as also the Ministry of Environment. For example, all the work relating to Athirapalli in Kerala was in the final stage, and now the Ministry of Environment has come. … (*Interruptions*)

[*] Not recorded

SHRIMATI MANEKA GANDHI : What has this got to do with this Question?

SHRI P. KARUNAKARAN : He was in-charge of the Ministry of Power, and now he is objecting to it. I would like to suggest that the Ministry of Environment as also the Ministry of Power should have better coordination to assist the States.

DR. FAROOQ ABDULLAH : I think that it is a very vital thing. I can assure you that my Ministry is working very closely both with the Ministry of Environment as well as with the Ministry of Power. We have this difficulty. हमारी मुश्किल यह है कि कई जगह हम पावर प्रोजैक्ट्स लगाना चाहते हैं, but there are forests and these forests make it difficult for many of these projects to be put up. But we are trying to find a way with the Ministry of Environment whereby we can give power to the people. I can assure you that if you can write this to me, then I will take this up again with the Ministry of Environment and see that the difficulties are removed.

श्री लालू प्रसाद : आपकी मिनिस्ट्री के पास फंड्स ही नहीं है तो काम कैसे करेंगे।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, please take your seat. Let him ask the question.

… (*Interruptions*)

SHRI S. SEMMALAI : Thank you, Madam. India is facing an acute energy scarcity. As per the statement placed by the hon. Minister, the total renewable power installed capacity has reached 16,810 MW against the total economic potential of 1,00,000 MW. So, there is a need to popularize renewable energy generation. In this context, will the Ministry give the details of the financial support and sponsorship for research and development in renewable energy technology? Will the Ministry make it mandatory for compulsory installation of solar water heating system for all urban residential and commercial establishments?

* Not recorded

DR. FAROOQ ABDULLAH : It is a very good question. As you have seen, the Government of India has taken a very strong view that every Government building of the Government of India that will come up will be a green building and it will have maximum use of renewable energy. At the same time, if you look here in Delhi, a majority of the houses of the MPs also have got solar water heating system. … (*Interruptions*) अगर एक आदमी पूछेगा तो मैं बोल सकूंगा। मुझे बोलने तो दीजिए।

अध्यक्ष महोदया : शान्ति बनाए रखिये। उन्हें जवाब देने दीजिए। मंत्री जी को जवाब पूरा करने दीजिए।

…(व्यवधान)

DR. FAROOQ ABDULLAH: I am ready to answer any question. Yes, there are places where these things have been put up, but we have found that they were not working. We have asked the CPWD to look into it as to why they are not functioning properly. If you find that they are not working, please come back and report to my Ministry. I will see to it that they start working properly. There is no use in just putting up these things.

I would like to tell you that we have allocated Rs. 500 crore for research and development. At the same time, as far as solar water heating systems are concerned, I must say that we have gone in for a rating system, that is, from one star to five stars, as in the case of refrigerators. It is up to the people now to buy what they want. We are giving quite a bit of assistance from the Government of India for these things.

If anyone wants to put these things in their private houses, they can take a loan from the bank at zero interest. If they are doing it for commercial purposes, then the interest charged on the loan is only five per cent, which is paid by the Government of India. We are also trying in a big way to popularize the renewable energy as much as possible.

श्री प्रताप सिंह बाजवा : थैंक यू स्पीकर मैडम, आपकी मेहरबानी है कि आपने हमारे मोहल्ले की तरफ भी ध्यान दिया।

As we know, energy system is facing severe challenges. The fossil energy resources such as oil and natural gas have become scarce. In a country like India, especially in rural areas, renewable energy sources are abundant. We can exploit wind, solar, hydro, biomass energy keeping in view the local conditions. The development of renewable energies can propel economic development, for example, manufacture, maintenance, installation and consultancy services can create tremendous job opportunities. The most important of all is that for the abatement of Greenhouse Gas emissions, development of renewable energy is the only alternative left.

The main barriers for development of renewable energy are cost, market share and policies. The cost of renewable energy is much higher as compared to the traditional energy and, therefore, there is a lot of uncertainty in terms of its development. To develop it at an industrial scale, we have to invest in research and innovation. Lack of enough capital for R&D and dependence on import of key equipment are major causes behind the slow development of this sector.

May I know from the hon. Minister whether the Ministry of Non-Conventional Energy Sources did or has undertaken any macro-analysis to take a holistic view of this sector, and also to understand and transcend the barriers that I have mentioned a little earlier?

*DR. FAROOQ ABDULLAH : Sir, I am grateful to you, sir, that you have asked me this question. As far as renewable energy is concerned, let me tell you that hydro, wind and bio-mass energy costs us a little over three rupees. However, the cost of the solar energy falls between 15 to 20 rupees. It is a little costly. We are trying our best to make it available at a less costly rate. We are trying to give a fillip to these industries. Under the Jawaharlal Nehru Scheme of the Government of India, we are trying to Indianise this sector. As more and more industries are set up and consumption increase, the cost will definitely come down.

As far as the research and development in this sector is concerned, the number of projects sanctioned by the Government in 2007-2008 were forty. In 2008-2009, 18 such projects were sanctioned. And in 2009-2010, the number of sanctioned projects were 29. In 2007-2008, the amount sanctioned for these projects was 20 crores. In 2008-2009, 18 crore rupees were sanctioned for this purpose. And in 2009-2010, we sanctioned 101 crore rupees for these projects. Thus, the Government has sanctioned a large amount for research and development in this field over the years.

I assure you that the Government is alive to its responsibility. In the Parliament House also, we are trying to reduce our dependency on traditional energy sources. From the next session, we plan to install renewable energy sources to provide electricity to the Parliament House also.

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, may I point out that in future kindly speak either in English or in Hindi because for speaking in any other language, as you know, we need advance notice so that we can arrange for Interpreters for everybody to understand.

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi

(Q. No. 502)

श्री गजानन ध. बाबर : अध्यक्ष महोदया, न्युमोनिया एक भयंकर बीमारी है, इसका ज्यादातर असर बच्चों पर होता है। विश्व भर में लगभग 156 लाख बच्चे हर साल न्युमोनिया के शिकार होते हैं, अकेले भारतवर्ष में लगभग 20 लाख बच्चे प्रतिवर्ष न्युमोनिया के शिकार होते हैं। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please maintain order in the House.

श्री गजानन ध. बाबर : भारतवर्ष में पांच साल से कम आयु वाले बच्चों की न्युमोनिया से होने वाली मृत्यु अन्य दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में बहुत अधिक है। 15 प्रतिशत बच्चों की जान बचाई जा सकती है यदि न्युमोनिया टीकाकरण को राष्ट्रीय टीकाकरण में शामिल कर लिया जाए। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि न्युमोनिया से कारगर ढंग से निपटने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? सरकार को न्युमोनिया से होने वाली बच्चों की मृत्यु दर कम करने में कितनी सफलता मिली है? क्या सरकार न्युमोनिया टीकाकरण राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करेगी? यदि हां, तो कब?

श्री गुलाम नबी आज़ाद: मैडम, माननीय सदस्य ने एक साथ बहुत सारे सवालों की बौछार कर दी है। यह वास्तविकता है कि न्युमोनिया और दूसरी बीमारियों से बड़ी संख्या में बच्चों की मौत होती है। तीन किस्म की बच्चों की मौत होती है, तीन स्टेजेज पर मौत होती है - एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर, एक साल के अंदर और पांच के साल अंदर। इसको हम नियोनेटल डेथ्स कहते हैं। रेसपिरेटरी इंफेक्शन और न्युमोनिया का आपस में सीधा संबंध होता है, 15 प्रतिशत बच्चों की मृत्यु सिर्फ इसी कारण से होती है। इनफैन्ट अर्थात एक साल से कम आयु के बच्चे, जिनकी मृत्यु रेसपिरेटरी इंफेक्शन से होती है, उनकी संख्या 22 प्रतिशत होती है। पांच साल से कम आयु के बच्चे दुनिया में और हमारे मुल्क में भी, जो इस रेसपिरेटरी इंफेक्शन से मरते हैं, उनकी संख्या 19 प्रतिशत होती है। माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है कि आप इसकी रोकथाम के लिए क्या-क्या करते हैं और क्या इसमें वैक्सीनेशन आप देते हैं। मैंने अपने लिखित उत्तर में स्टेटमेंट की शक्ल में इसका जवाब दिया है, शायद माननीय सदस्य ने वह पढ़ा नहीं है। उसमें लिखा है,

> "The Government of India is implementing an Integrated Management of Neonatal and Childhood Illnesses (IMNCI) strategy which also includes management of pneumonia, wherein all health workers are trained to identify Acute Respiratory Tract Infections (ARI) early and manage them adequately with antibiotics and refer serious cases to health facilities.
>
> As a part of the community initiative of the IMNCI strategy, families are counseled on early recognition of danger signs in sick

newborn and child so that they are able to seek timely treatment at health facilities.

Presently, this scheme is being implemented in 356 Districts and more than 2.5 lakh healthcare providers have been trained in the country. An additional 170 districts are being taken up for implementation of this scheme in this 2010-11. In the non-IMNCI implementing Districts, which were not taken for this programme so far, the management programme, having similar approach for management of pneumonia, is being implemented."

दूसरा सवाल काफी महत्वपूर्ण है। मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा कि हैल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है और राज्य फ्री हैं अपनी तरफ से दवाएं देने के लिए, लेकिन केन्द्र सरकार की तरफ से एनआरएचएम के लिए और दूसरी चीजों के लिए सीजीएचएस, प्राइमरी हैल्थ सेंटर और सब सेंटर के स्तर पर फ्री दवाएं दी जाती हैं। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, इसके लिए सारे कम्पोनेंट्स के लिए नहीं हैं, क्योंकि निमोनिया किसी एक चीज से नहीं होता, वह चार चीजों बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से होता है।

श्री मुलायम सिंह यादव : सवाल पूछा गया, उसका जवाब दें। अगर विषय विस्तारित है तो इस पर अलग से चर्चा करवा दी जाए।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what the hon. Minister is saying.

(Interruptions) ... *

श्री गुलाम नबी आज़ाद: मैंने पहले ही कहा है कि सवालों की बौछार हुई है, उन्का जवाब दे रहा हूं। अलग-अलग तरह से कई प्रश्न पूछे गए हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मंत्री जी, आप आसन को सम्बोधित करें।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: माननीय नेता जी, सवाल है बीमारी क्या है, सवाल है दवा क्या देते हैं और वैक्सीन क्या है। इस तरह इस प्रश्न में पांच-छः विभाग सम्बद्ध हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मुलायम जी आप बैठ जाएं। मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

...(व्यवधान)

* Not recorded

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ...[*]

श्री गुलाम नबी आज़ाद: अध्यक्ष महोदया, मैंने कहा था कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट्स हैं। अभी तक जो जांच हुई है, उसके अनुसार बैक्टीरिया से और वायरस से अधिकतर लोग प्रभावित हुए हैं और इनके लिए अभी तक केवल मेडिसन दी जाती है। मार्केट में इसके लिए वैक्सीन है, लेकिन हम पब्लिक हैल्थ सेंटर्स में वह नहीं दे सकते, क्योंकि एक वैक्सीन की कीमत 100 रुपए है और मरीज को तीन डोज़ देनी पड़ती हैं यानि 300 रुपए की दवा पड़ती है। इसके अलावा एक दूसरी वैक्सीन है, जो कि पेटेंट है और उसकी एक शॉट की कीमत 3800 रुपए है। अगर मरीज को तीन शॉट लगाने पड़े, इसका मतलब यह हुआ कि 12,000 रुपए का खर्चा। जाहिर है अगर 12,000 रुपए की दवा देंगे तो आपको हिन्दुस्तान का पूरा बजट यूनिवर्सल इम्युनाइजेशन प्रोग्राम में ही लगाना होगा। इसलिए अभी हम यूनिवर्सल इम्युनाइजेशन प्रोग्राम में नहीं लगा सकते।

श्री गजानन ध. बाबर : अध्यक्ष महोदया, भारत में पांच वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की, न्युमोनिया से होने वाली मृत्यु संख्या, प्रतिवर्ष, राज्यवार क्या है? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को पिछले तीन वर्षों में न्युमोनिया के बचाव के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई थी?

श्री गुलाम नबी आज़ाद: मैडम, स्टेटवाइज और उम्र के हिसाब से इंफोर्मेशन देना तो अभी असंभव होगा। इसलिए मैं माननीय सदस्य से रिक्वैस्ट करुंगा कि वह अलग से नोटिस दें, तब मैं उन्हें स्टेटवाइज और उम्रवाइज इंफोर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूं।

SHRI ANANDRAO ADSUL : Madam, the hon. Minister has given a comprehensive reply. But I have a supplementary. The Global Alliance for Vaccines and Immunization has recently sanctioned funds worth US $ 165 million for introduction of a Pentavalent Combination Vaccine in the routine immunization programme of India. This fund is meant only for nine States of the country and for two years. I would like to know from the hon. Minister as to what about the rest of the States of the country, and after two years, as to what steps the Government is going to take.

---

[*] Not recorded

SHRI GHULAM NABI AZAD: Under the Universal Immunization Programme (UIP) we are giving at the moment six vaccines in nine shots across the country. There was a suggestion by the advisors and those who are looking after the immunization programme that Pentavalent vaccine should be introduced and five vaccines should be administered in one shot. So, it would be five in one. We have received from GAVI an offer of funding this, and we wanted to supplement that. Initially, we wanted to start with five States and ultimately, we thought that five States would be too less a number because whenever we introduce a particular scheme, we would like to introduce geographically at least in different parts of the country. So, we thought that the foreign support should be supplemented with domestic support. We were in the advanced stage. We had worked out the details and we had almost identified the States. Meanwhile, we had referred this to the Health Research Department. The report of the Health Research Department is yet to come stating whether we should introduce this in the Universal Immunization Programme or not. In the meantime, somebody had filed a PIL that it should not be introduced because we know that drug is such a system where so many pharmaceutical companies fight with each other globally and nationally as to whether this should be introduced so that it does not affect their companies or should not be introduced so that it does not affect their vaccine producing companies. So, somebody has gone to court and on 7th of April, the court has given us another date, that is, in the month of July. At the moment, we are waiting for the report of the Health Research Department and the outcome of the decision of the hon. High Court.

SHRI P.T. THOMAS : Regarding the infant mortality rate in 2011-12, Health Ministry has set a target. In the case of Kerala, it is 9/1000 life births. There are diseases like BCG, measles, Diphtheria, Pertussis, Tetanus and oral polio vaccine. The percentage of fully immunized children is not at all 100 percent. My question is, what are the drastic measures to be taken to implement for achieving 100 percent immunization in this field?

SHRI GHULAM NABI AZAD: Though it is not related to this question – the main question in particular deals with pneumonia – I would like to say for the information of the hon. Member that the southern States in general are doing extremely well in so far as the immunization part is concerned. Unfortunately in the rest of the country, it is not as good as it should be.

What we have done is the most important thing. So far, we either purchase or get the vaccines from outside, from the WHO; and these vaccines are being supplied to the State Governments; the State Governments are not only provided with the vaccines, but they are also being given money to implement this on the ground.

Generally it has been seen that whatever numbers that we get from the States with regard to immunization is not happening on the ground. Now, we have, for the first time, introduced tracking of children who are being immunized. I am sure, this is a scientific method which we have introduced. We are going to have the telephone numbers of parents of all those children who are going to be immunized across the country. If the parents do not have the telephone, we may have the telephone number of any member of the family and even if the family member does not have the telephone, then, telephone number of anybody in the village or the neighbourhood. We are going to have a call centre in Delhi and through that call centre, we are going to telephone and monitor with the help of the names and the telephone numbers which the State Governments have given to us and ask the health workers who are implementing this at the village level or at the *mohalla* level to find out whether they have really been immunized or not. This is a new intervention. I am sure, in the next month, we are going to get the first result and maybe, in the month of July, I will be able to tell them the outcome of the new scheme launched.

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR : Through you, Madam, I would like to draw the attention of the hon. Minister and the House to the fact that every year we are losing 74,118 young women due to the cancer of the cervix, which is the highest

cause of cancer-related deaths. The research has shown that it is caused by the Human Papilomo viruses 6, 11, 16 and 18, amenable to vaccination pre-qualified by WHO and it is being used by 117 countries. The question is when was the last update of the National Immunization Programme taken, and whether the Ministry is thinking of including this vaccine in the National Immunization Programme.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, health concerns everything under the earth. The main question was straightway related to pneumonia. I do not think that it would be possible for me to address each and every disease in the country under the main question on pneumonia.

SHRI R. THAMARAISELVAN : Pneumonia is a common and sometimes, severe childhood infection. In many reports, it has been revealed that in almost all the developed countries, they were able to reduce the death ratio to a drastic level due to better, proper and timely medical care to the needy people and also due to the awareness created by those Governments about this deadly disease. But in our country, we have been spending crores of rupees for polio vaccination throughout the year giving less importance to the diseases like pneumonia.

My request to the hon. Minister is that due importance to these deadly diseases should also be given to eradicate them and the Government should ensure that the vaccine for these diseases is made available at cheaper rate so that the poor mass of the country can go in for such a vaccination as and when they need it. I would like to know from the Hon. Minister, through you Madam, whether the Government will look into this issue seriously.

SHRI GHULAM NABI AZAD: I have already mentioned about the Pneumonia. The hon. Member is again asking about the Pneumonia.

MADAM SPEAKER: You do not have to repeat it unless you have something new to add.

SHRI GHULAM NABI AZAD: No, there is nothing new but I can only say that other inventions under NRHM and reproductive child health which are being taken are as under:

- Infant and Young Child Feeding
- Vitamin-A Supplementation
- Iron and Folic Supplementation
- Home Based New Born Care
- The School Health Programmes
- Establishment of Special New Born Care Units
- Establishment of Nutritional rehabilitation Centres
- Tracking of Pregnant women and Children
- Integrated Management of Neonatal and Childhood Illness (IMNCI)
- Facility Based Integrated Management of Neonatal and Childhood Illness
- Navjaat Shishu Suraksha Karyakaram, which has been launched only 8 months back.
- Management of Diarrhea
- Management of Acute Respiratory Infection.

These are additional programmes to reduce the Infant Mortality Rate.

MADAM SPEAKER: Hon. Members, today I have decided that I would give a chance to those Members who do not generally get a chance to ask supplementary Questions. So, others would kindly bear with me. Thank you so much.

(Q. No. 503)

SHRI M.K. RAGHAVAN : Thank you Madam for giving me this opportunity.

For the 11th Plan period ending 2011-12, India has an ambitious agenda of Power for all by targeting a capacity generation of 78,000 MW. For the 12th Plan period, India is targeting a capacity addition of one lakh MW more. To live up to these expectations, optimal utilization of energy resources in generation, transmission and distribution is essential. We have been depending on hydro and thermal nuclear power generations only. With the depletion of water resources, generation of power through hydro projects will not increase substantially. One of the viable alternatives which is readily available is bio-energy. So, I would like to know from the hon. Minister through you Madam, what are the potential resources in the country identified for generating bio-energy with UNDP and GEF, the status of the technology adopted including the cost and performance, which will also include life cycle costing and States where such projects can be adopted.

MADAM SPEAKER: Please ask the question. We have very little time left.

SHRI M.K. RAGHAVAN : What is the response of the State Governments in this regard?

DR. FAROOQ ABDULLAH: Madam, I am grateful to the hon. Member. It is a very important question on biomass. The availability of biomass in India is estimated at about 540 million tonnes per year covering residues from agriculture, agro-industry, forestry and plantations. Principal agriculture residues include rice husk, rice straw, bagasse, sugar cane tops and leaves, trash, groundnut shells, cotton stalks, mustard stalks, etc. It has been estimated that about 70-75 per cent of these wastes are used as fodder, as fuel for domestic cooking and for other economic purposes leaving behind 120-150 million tonnes of usable agro industrial and agriculture residues per year which could be made available for power generation. By using these surplus agricultural residues, more than 16,000 MW of grid quality power can be generated with presently available technologies. In addition, about 5000 MW of power can be produced, if the sugar mills in the

country switch over to modern techniques of co-generation. Thus, the country is considered to have a biomass power potential of about 21,000 MW.

Madam, the Ministry has been implementing a scheme for promotion of Grid Interactive Power Generation Projects based on renewable energy sources which includes projects based on biomass. In the last 10 years, a cumulative capacity of 2200 MW has been commissioned, which comprises 1335 MW of bagasse co-generation projects and 865 MW of biomass combustion projects. The States which have taken a leadership position in implementation of biomass power projects are Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Chhattisgarh, Maharashtra, Punjab and Rajasthan. The capacity of grid connected biomass power project varies from 8 to 15 MW. During the 11th Plan, 2010-2012, it is planned to establish 1700 MW of biomass power and during the first three years of the 11th Five Year Plan, the achievement is 1060 MW.

SHRI M.K. RAGHAVAN : Madam, there is an extensive wait for securing an electricity connection, especially in villages and there is interrupted power supply with about ten to eighteen hours of power cuts. I think the local power generation has, therefore, become a necessity. As per the existing report, we could generate only about 15,600 MW of power so far under bio-energy. The capacity addition target of power is 68.8 per cent below the projected figure. We should also think about environment-friendly projects for augmenting power generation.

In this context, I wish to mention that we have a role model village in Karnataka State, namely, Kabbigere village. We should be proud of the people and the gram panchayat because they are successfully running a biomass plant. Not only that, the Kabbigere village is the first village in India to sell power to Power Grid Corporation. It is the outcome of a UNDP project and the will of the people.

MADAM SPEAKER: Please ask your question. You have little time.

SHRI M.K. RAGHAVAN : I am asking the question.

What is the role played by the Government sector including Local Self-Body, and the private players to generate bio-energy, the expected investment and generation from PPP including the concession extended for import of equipment, tax holidays, etc. and what are the avenues extended to establish solar parks in the country including Kerala?

DR. FAROOQ ABDULLAH: Madam, I have made it abundantly clear in my answer that biomass is one of the things for which we are going in a big way. I have myself seen some of the projects in Punjab. A rice exporter is already generating 30 MW from rice husk. He is now making a 60 MW capacity project. I am sure my friend from Kerala would realize that up to this time, Kerala has not done much. It needs to do much more. As far as we are concerned, under UNDP and under the Government of India's programmes, US dollar 5.65 million was given by the UNDP and the Government of India has put in US dollar 5.24 million for these projects. Now, we have selected certain model areas where we will put these model projects to see how well they function. Once we see that their functioning is good, they will be implemented in the rest of the country. We have also said that there are a number of biomass projects. There are three categories of this. One is bigger biomass projects which go into many megawatts. Then there are middle ones which are two megawatt projects and there are very small projects of some kilowatts. Now a number of these small projects have a problem. Their machines are not able to take what is presently available. The Government of India has taken it upon itself that if any of these projects which have not come up to its expectations, it is ready to give all the help to change their technology so that they can produce better energy.

(Q. No. 504)

SHRI S. R. JEYADURAI : Madam, Speaker, thank you. The National Rural Health Mission was launched in the year 2005 in order to provide effective health care to rural population throughout the country with special focus on States which have weak public health indicators or infrastructure, the main objective being decreasing the infant and maternal mortality rates, access to public health services for every citizen, prevention and control of communicable and non-communicable diseases, population control etc.

MADAM SPEAKER: Please ask your question. You know that there is very little time.

SHRI S. R. JEYADURAI : It is a matter of pride for the State of Tamil Nadu that it is one of the three States whose performance has been adjudged the best. The other States are Bihar and Rajasthan. The Tamil Nadu Medical Services Corporation Limited is a State Government Drug procurement agency and the mechanism followed by this agency can be emulated by other States for public sector health care delivery. This shows the best administrative skills of our beloved Chief Minister Dr. Kalaignar.

I would like to know from the hon. Minister whether the Government proposes to direct all States to emulate the highly efficient and sound public sector drug procurement mechanism of the Tamil Nadu Medical Services Corporation for procuring drugs. If not, the reasons thereof?

SHRI GHULAM NABI AZAD: The National Rural Health Mission was launched in the year 2005 by the hon. Prime Minister and after it was launched we wanted to know the effect of the Mission on ground. With this end in view, from time to time, the Members of the Review Commission visited different parts of the country. The first Common Review Commission consisting of representatives from the Central Government, the State Governments and other representatives from outside Government agencies, a team of 52 persons, visited three States. The key findings were that increasing access and improvement in quality reflected

increasing utilization of the facilities. There is a very good performance of the NHRM across the States. But the States are lagging behind in utilization of funds and capacities to absorb more funds and deliver better services. But meanwhile in 2008, when the second Common Review Mission consisting of 68 representatives visited another 13 States, the findings of that Mission were that there was increase in public health services; increase in out-patients, increase in in-patients and a sharp increase in institutional deliveries and greater utilization of ancillary services like diagnosis and transport.

Madam, what I mean to say is that in the first two years, namely, in 2007 and in 2008, people were talking about infrastructure; they were talking about human resources; but nobody was talking about drugs, whether drugs were available or the drugs given were the generic ones or the branded ones. It was in the third Common Review Mission which was held in November, 2009 where 90 representatives from Central Government, and NGOs visited over 17 States and Union Territories and for the first time found that the thrust of the public was -- instead of on equipment, infrastructure or human resource – on drugs. Most States were sensitive to the availability of drugs. Almost all the States reported improved availability of drugs and also they wanted that generic drugs should be made available.

Madam, I do not have much time but I would like to congratulate the State of Tamil Nadu for having the best system. Very recently, the Governments of Haryana, Rajasthan, Assam and Chattisgarh have also taken some steps whereby generic drugs will be provided to the common people because it is very difficult for common people to buy branded drugs.

12.00 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now Papers to be Laid on the Table.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Statement (Hindi and English versions) regarding rejection of Board of Arbitration Award C.A. Reference No. 3 of 2001-regarding grant of upgraded pay scales same as to the Assistants of CSS, to all Senior Auditors/Senior Accountants and Accounts Assistant (Railways) with effect from 01.01.1986 notionally and actual payment from 12.11.2001.

(Placed in Library, See No. LT 2361/15/10)

(2) A copy of the Statement (Hindi and English versions) regarding rejection of Board of Arbitration Award C.A. Reference No. 3 of 2004-regarding revision of rates of Transport Allowance to Central Government employees.

(Placed in Library, See No. LT 2362/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SULTAN AHMED): On behalf of Kumari Selja, I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Housing and Urban Development Corporation Limited and the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation for the year 2010-2011.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 94 of the Finance Act, 1994 :-

(i) G.S.R. 253(E) published in Gazette of India dated the 30th March, 2010, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 07/2010-Service Tax dated 27th February, 2010.

(ii) G.S.R. 254(E) published in Gazette of India dated the 30th March, 2010, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 08/2010-Service Tax dated 27th February, 2010.

(iii) G.S.R. 255(E) published in Gazette of India dated the 30th March, 2010, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 09/2010-Service Tax dated 27th February, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 2364/15/10)

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962 :-

(i) G.S.R. 283(E) published in Gazette of India dated the 1st April, 2010, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 21/2002-Customs, dated 1st March, 2002.

(ii) G.S.R. 307(E) published in Gazette of India dated the 9th April, 2010, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 100/89-Customs, dated 1st March, 1989.

(iii) G.S.R. 328(E) published in Gazette of India dated the 16th April, 2010, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 39/96-Customs, dated 23rd July, 1996.

(Placed in Library, See No. LT 2365/15/10)

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 296 of the Income Tax Act, 1961:-

(i) The Income-tax (Second Amendment) Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 775(E) in Gazette of India dated the 8th April, 2010.

(i) G.S.R. 776(E) published in Gazette of India dated the 8th April, 2010, together with an explanatory memorandum notifying the areas outside India as the 'specified territory', mentioned therein.

(Placed in Library, See No. LT 2366/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI BHARATSINH SOLANKI): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the THDC India Limited and the Ministry of Power for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 2367/15/10)

(2) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the North Eastern Electric Power Corporation Limited and the Ministry of Power for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 2368/15/10)

(3) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the National Hydro Power Corporation Limited and the Ministry of Power for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 2369/15/10)

(4) A copy of the Annual Budget (Hindi and English versions) of the Damodar Valley Corporation for the year 2010-2011, under sub-section (3) of Section 44 of the Damodar Valley Corporation Act, 1948.

(Placed in Library, See No. LT 2370/15/10)

(5) A copy of the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) (First Amendment) Regulations, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. L-7/186(201)/2009-CERC in Gazette of India dated the 25th February, 2010 under Section 179 of the Electricity Act, 2003.

(Placed in Library, See No. LT 2371/15/10)

(6) A copy of the Notification No. L-7/139(159)/2008-CERC (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 10th February, 2010 containing corrigendum to the Central Electricity Regulatory Commission (Measures to Relieve Congestion in Real Time Operation) Regulations, 2009 issued under Section 178 of the Electricity Act, 2003.

(Placed in Library, See No. LT 2372/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DINESH TRIVEDI): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the G K General Hospital Society, Bhuj, for the year 2005-2006 alongwith Audited Accounts.

(Placed in Library, See No. LT 2373/15/10)

(ii) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the G K General Hospital Society, Bhuj, for the year 2006-2007 alongwith Audited Accounts.

(Placed in Library, See No. LT 2373A/15/10)

(iii) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the G K General Hospital Society, Bhuj, for the year 2007-2008 alongwith Audited Accounts.

(2) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 2373B/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SULTAN AHMED): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Donyi Polo Ashok Hotel Corporation Limited, Itanagar, for the year 2008-2009.

(ii) Annual Report of the Donyi Polo Ashok Hotel Corporation Limited, Itanagar, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 2374/15/10)

(b) (i) Review by the Government of the working of the Utkal Ashok Hotel Corporation Limited, Puri, for the year 2008-2009.

(ii) Annual Report of the Utkal Ashok Hotel Corporation Limited, Puri, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 2375/15/10)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Tourism and Travel Management, Gwalior, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Tourism and Travel Management, Gwalior, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 2376/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI S. GANDHISELVAN): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pharmacy Council of India, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pharmacy Council of India, New Delhi, for the year 2008-2009.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 2377/15/10)

1201 hrs.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

1. " In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No.2) Bill, 2010, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 27th April, 2010 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill. "

2. "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No.3) Bill, 2010, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 28th April, 2010 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

12.02 hrs.

PARTICIPATION OF INDIAN PARLIAMENTARY DELEGATION IN THE 121ST ASSEMBLY OF THE INTER-PARLIAMENTARY UNION (IPU)

Report

SECRETARY-GENERAL: I beg to lay on the Table the Report (Hindi and English versions) on the participation of Indian Parliamentary Delegation in the 121st Assembly of the Inter-Parliamentary Union held in Geneva (Switzerland) from 19 to 21 October, 2009.

(Placed in Library, See No. LT 2378/15/10)

12.02½ hrs.

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

6th to 8th Reports

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO (ARUKU): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Committee on Public Undertakings (2009-10):-

(1) Sixth Report on Security Printing and Minting Corporation of India Ltd.

(2) Seventh Report on Action taken by the Government on the recommendations contained in the Thirty-first Report (14th Lok Sabha) on Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL)-Unproductive payment of incentive in HPCL based on Audit Para 14.4.1 of the Report on Union Government (Commercial) of the C&AG of India No. 11 CA of 2008.

(3) Eighth Report on Action taken by the Government on the recommendations contained in the Twenty-first Report (14th Lok Sabha)

on Airports Authority of India – Review of Infrastructure and Operational Facilities (based on Audit Report No. 17 of 2007 (Performance Audit) (Commercial) of C&AG of India).

12.03½ hrs.

STANDING COMMITTEE ON SCIENCE & TECHNOLOGY, ENVIRONMENT & FORESTS
210th Report

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): I beg to lay on the Table the Two Hundred Tenth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Science & Technology, Environment & Forests on Demands for Grants (2010-2011) of the Ministry of Environment & Forests.

12.04 hrs.

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2009-10) pertaning to the Department of Revenue, Ministry of Finance*

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2009-10), pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance.

---

*Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2379/15/10

12.05 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): With your permission, Madam, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 3rd of May, 2010, will consist of::-

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.
2. Consideration and passing of the Payment of Gratuity (Amendment) Bill, 2010.
3. Consideration and passing of the Plantations Labour (Amendment) Bill, 2008, after it is passed by Rajya Sabha.
4. Consideration and passing of the following Bills:-
   (a) The National Commission for Minority Educational Institutions (Amendment) Bill, 2009.
   (b) The Clinical Establishments (Registration and Regulation) Bill, 2010.
   (c) The Energy Conservation (Amendment) Bill, 2010.
   (d) The Tamil Nadu Legislative Council Bill, 2010.

MADAM SPEAKER: Now, submissions by Members.

Shri Prabodh Panda.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Hon. Speaker, this is to request you to include the following items in next week's agenda:

(1) Seed is one of the important components in agriculture sector. But there is no comprehensive legislation in this regard. Spurious and contaminated seed flood the market. The proposed "Seed Bill" is pending for a long time. This should be taken up for discussion. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Just mention the topic. You need not go into details.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Hon. Speaker, I am only reading out the approved text. I am not going beyond that. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please just read out the subjects.

SHRI PRABODH PANDA : The next item is:

(2) The unemployed youth are suffering a lot. This problem should be given paramount importance. Particularly, in railway sector huge vacancy is lying unfulfilled. This matter needs to be discussed urgently.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): अध्यक्ष महोदया, मैं लोक सभा के आगामी सप्ताह में चर्चा के लिए जो विषय सम्मिलित करने के लिए अनुरोध कर रहा हूं, वह विषय यह है कि वर्तमान में संविदा पर कार्मिकों को रखने का प्रावधान प्राय: सभी विभागों में किया जा रहा है। संविदा पर रहते-रहते कार्मिक नियमित नौकरी के लिए निर्धारित आयु पार कर जाते हैं और फिर जब विभाग द्वारा नियमित नौकरी का विज्ञापन निकाला जाता है तो उसमें संविदाकर्मियों को आयु की छूट नहीं मिलती है एवं प्राथमिकता भी नहीं दी जाती है, जबकि इनको आयु में भी छूट मिलनी चाहिए एवं प्राथमिकता भी दी जानी चाहिए। जब कि इसके विपरीत होता है, इससे वे पात्र नौकरी के लिए भी आवेदन करने के लिए वंचित रह जाते हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि लोक सभा की आगामी सप्ताह की कार्यसूची में चर्चा के लिए इस विषय को सम्मिलित किया जाए।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में दो विषय जोड़े जाएं-

1. बिहार राज्य के सभी जिलों के गांवों में, जहां पर पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। जहां पर यह समस्या अधिकाधिक है, वहां पीने का पानी आर.ओ. तकनीक से साफ कर सभी ग्रामवासियों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

2. दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक से ज्यादा फ्लैटों की अदला-बदली को डी.डी.ए. की वर्तमान नीति में परिवर्तन कर इन फ्लैट स्वामियों को फ्रीहोल्ड हक हस्तांतरण विलेख जारी करने की आवश्यकता है, ताकि इन लोगों को न्याय मिले।

MADAM SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chowdhury – not present.

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): The following items may be included in next week's agenda:

1. Providing compensation to the victims of lightning by considering it as a natural disaster.

2. The need for more transparency in interest rate and other charges for various purpose loans by different banks in the country.

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया जाए-

1. खजुराहो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र है, अत: झांसी छतरपुर सतना मार्ग को फोर लेन एक्सप्रेस हाइवे मार्ग बनाया जाए।

2. बीड़ी उद्योग में लाखों की संख्या में बाल श्रमिक कार्य कर रहे हैं, जो कि बचपन खोकर असमय ही बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। अत: बाल श्रमिकों के बचपन को बचाने तथा उन्हें शिक्षित करने के विशेष प्रयत्न किए जाएं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): अध्यक्ष महोदया, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नांकित विषयों को सम्मिलित किया जाए -

1. राजधानी दिल्ली में जिन दिनों शांति व्यवस्था सामान्य रहती है, उन दिनों में भी धारा 144 लगाई जाती है, जो उचित नहीं है। राजधानी दिल्ली में सामान्य स्थिति में धार 144 न लगाए जाने से संबंधित विषय।

2. विगत काफी समय से दिल्ली अपार्टमेंट अधिनियम बनाए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस प्रकरण में कोई प्रगति नहीं हुई है। दिल्ली अपार्टमेंट अधिनियम बनाए जाने से संबंधित विषय।

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे (गडचिरोली-चिमूर): अध्यक्ष महोदया, आपसे निवेदन है कि सबमिशन के अंतर्गत निम्नलिखित दो विषयों को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किए जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाए -

1. महाराष्ट्र राज्य के चन्द्रपुर, नागपुर, भंडारा इत्यादि क्षेत्रों की भूमि को सिंचित किए जाने के उद्देश्य से विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत भंडारा जिले में गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना वर्ष 1981 में प्रारम्भ की गई थी, लेकिन इस परियोजना के लिए आवंटित धनराशि को दूसरे कार्यों में व्यय करने के परिणामस्वरूप नक्सलवाद से प्रभावित क्षत्रों को अब तक भूमि सिंचन हेतु पानी उपलब्ध न होने से संबंधित विषय।

2. महाराष्ट्र राज्य का गड़चिरोली चिमुर संसदीय क्षेत्र का जिला मुख्यालय गड़चिरोली रेलवे नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ है। नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित आदिवासी जिला गड़चिलोली को वर्षा-गड़चिरोली रेलवे नेटवर्क से जोड़ने से संबंधित विषय।

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Madam, I want that the following items may be included in the next week agenda:-

(a) One bye-pass at Panagarh at National Highway No.2, in West Bengal has not been constructed. Widening of NH-2 at that place is not possible because a number of structures are to be dismantled. There happens serious traffic congestion. Hence, I demand that one bye-pass at NH-2 be immediately undertaken.

(b) The Katwa-Ahmedpur Narrow Gauge Railway line is the only narrow gauge line in West Bengal to be converted into Broad Gauge line. Survey has already been done by the Railway. In this year's Railway Budget, it had been said that the survey would be done. But the survey report is already there with the Railway Department. Hence, I demand that the narrow gauge line between Katwa and Ahmedpur be immediately converted into Broad Gauge.

MADAM SPEAKER : Shri Ravindra Kumar Pandey- not present

***श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह):** माननीया अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित विषयों को सप्ताह के अगले कार्यसूची में जोड़ने की कृपा की जाये।

1. "दिनांक 05.03.2010 को झारखण्ड राज्य ग्रामीण पथ विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए सीएनसीपीएल सूची के क्रमांक 111 से 258 तक में उल्लेखित पथों को गिरिडीह जिले में सम्मिलित करने संबंधी प्रस्तावों को केन्द्र सरकार शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता।"

2. "दामोदर घाटी निगम के बोकारो एवं चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र में स्थायी प्रकृति के कार्यो वर्षों से कार्यरत लगभग 1300 ठेका श्रमिकों को शीघ्र स्थायीकरण करने और वर्ष 2007 में श्रमायुक्त, झारखण्ड के समक्ष सम्पन्न त्रिपक्षीय समझौता के अनुरूप ठेका कर्मचारियों को वर्ग "घ" के समकक्ष मान्यता प्रदान करने के पश्चात उक्त ठेका कर्मचारियों को पूर्णरूपेन स्थायी कर्मचारी के नियमित करने के पूर्व विगत् वर्ष के पुनर्रीक्षित वेतनमान के समकक्ष वेतन एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता।

---

* Speech was laid on the Table

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, देश का सम्पूर्ण बजट 11 लाख 18 हजार करोड़ रुपए का है और हिन्दुस्तान की जनता के 1 लाख करोड़ रुपए, टैलीकॉम डिपार्टममेंट की गलत नीतियों के चलते, बर्बाद हो गए। टैलीकॉम डिपार्टमेंट की नीतियों में कोई सामंजस्य नहीं है। प्रधान मंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि बिना मशविरे के इस पॉलिसी को लागू न किया जाए, लेकिन पॉलिसी लागू कर दी गई। ''पहले आओ और पहले पाओ'' की नीति का सीधा अर्थ है कि ''पहले आओ और खूब खाओ'' . देश ही नहीं, दुनियां में इतना बड़ा घोटाले और लूट का कोई दूसरा इतिहास नहीं है। प्रणब बाबू चले गए। सिर्फ श्री जयपाल रेड्डी जी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बैठे हुए हैं। श्री जयपाल रेड्डी जी को इस विषय से कोई मतलब नहीं है।

महोदया, यह मामला दो प्रकार से है। एक तो टेलीफोन टैपिंग हुई है, वह अनुमति से हुई। भारत सरकार की जो होम मिनिस्ट्री है या और विभाग हैं जैसे आई.टी. है, उनकी अनुमति से यह काम हुआ है। अखबारों में खबर आ गई और टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने साफ कहा कि हमने किस बात के लिए मशीनरी को रखा हुआ है। यह भारत सरकार है, जो लोगों की चुनी हुई सरकार है। देश के सारे अखबारों में छप रहा है कि पब्लिक सर्विसेस, पब्लिक रिलेशन्स, बाजार की एक अजीब सर्विस आई हुई है। इस पर टैक्स लगा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। आप कह रहे हैं कि इस पर टैक्स नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कि इस पर टैक्स नहीं लगा है।

महोदया, टाटा कंपनी सफाई दे देती है। इस देश का जो सबसे पुराना कॉर्पोरेट हाउस है, वह तो साफ कह देता है कि हमारा काम क्या है।

न्यायसंगत तरीके से कोई भी फैसला हर तरफ हो, लेविल प्लेइंग फील्ड हो। भारत सरकार इस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। होम मिनिस्टर का बयान आज सवेरे आया है, सिर्फ गोल-गोल, गोल-गोल है और घपला ही घपला, घपला ही घपला है। यह कोई बात है? बोल बम तो अच्छी बात है और गोल बहुत खराब बात है। उन्होंने कल जो बयान दिया, जो आज छपा है, यह होता तो यह नहीं होता, यह हो सकता है, नहीं हो सकता है। अरे, यह हम कहें तो बात अलग है, लेकिन भारत सरकार कैसे कहेगी। सरकार जिसके हाथ में है, हर तरफ लोग लगे हुए हैं, हर तरफ भारत सरकार के हाथ में इस पार्लियामेंट ने, इस देश की जनता ने अधिकार दिया हुआ है।

नहीं, यह जो आदमी है, इसको टेलीकॉम डिपार्टमेंट का जो लॉ डिपार्टमेंट है, उसने कहा कि यह काम मत करो, उनके डिपार्टमेंट के जो सैक्रेटरी *(Interruptions) ...** थे, उन्होंने साफ कहा कि यह

---

* Not recorded

काम मत करो, यह गलत काम है। वाइस चेयरमैन ने भी कहा, फाइनेंस सैक्रेटरी ने कहा, लॉ मिनिस्टर ने कहा और हर मिनिस्ट्री में जो फाइनेंस का सदस्य होता है, *(Interruptions) ...** थे, उन्होंने कहा। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब आप समाप्त करिये।

श्री शरद यादव : 2G स्पैक्ट्रम। कुछ लोगों का ज्ञान जो होता है, वह ज्ञान हिन्दुस्तान में गंदगी दबाने के लिए होता है। तिवारी जी, आप जो पूछ रहे हैं, मैं वही पूछना चाहता हूं, मैं उसी पर बोल रहा हूं। इसका सरकार खंडन करे। आपकी सरकार के लॉ मिनिस्टर, आपके टेलीकॉम सैक्रेटरी, टेलीकॉम मिनिस्ट्री का फाइनेंस एडवाइज़र, आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट का सैक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर, यह सब जानते हैं, लगातार दोनों के बीच में चिट्ठी-पत्री हुई है, इस विभाग के मंत्री और प्राइम मिनिस्टर के बीच में आधी रात को पत्र-व्यवहार होता रहा है, उसका एकनोलिजमेंट नहीं है। रात को 12 बजे ही नहीं, दो बजे हुआ। ...(व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना): 60 हजार करोड़ रुपया जो खाया है, उसका भी जिक्र कर दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : आप उसे उठाइये। सांच को आंच क्या।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप अपनी बात कहिये। अब आप समाप्त करिये।

श्री शरद यादव : मैं ताल ठोक कर कहता हूं, हमारा कोई घोटाला हो, एन.डी.ए. का हो तो उठाइये।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शरद यादव जी, अब आप समाप्त करिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है? आप बैठ जाइये। अब आप समाप्त करिये। Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। अब आप समाप्त करिये।

---

* Not recorded

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि जब इस देश में मंत्रिमंडल बन रहा था, यह देश भर को मालूम है...(व्यवधान) अरे भई, बैठिये, आप क्या कर रहे हो। चलो, आप बोल लो। जब यहां मंत्रिमंडल बन रहा था...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इधर सम्बोधित करिये। Please address the Chair. अब आप समाप्त करिये।

श्री शरद यादव : यह सब को अच्छी तरह मालूम है कि जो डी.एम.के. के नेता हैं, वे हमारे पुराने मित्र हैं। वह मुख्यमंत्री हैं। वह सदन में नहीं हैं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। मंत्रिमंडल के गठन के समय वे दिल्ली से नाराज होकर वापस चले गए। क्यों? ...(व्यवधान)

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): He should not say that. That was for a different reason… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): The DMK Members are not with them again… (*Interruptions*)

SHRI T.K.S. ELANGOVAN : Madam, what Shri Sharad Yadav is saying is not a fact. It is a mistaken fact… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त करिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपना स्थान ग्रहण करिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब बैठ जाइए। आप समाप्त करिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त करिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : अध्यक्षा जी, वह कह रहे हैं कि यह फैक्ट नहीं है। ...(व्यवधान) मैं आपकी बात मानता हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शरद यादव जी, अब आप समाप्त करिए। आपने दस मिनट ले लिया। जीरो आवर में इतना समय नहीं लेते हैं।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : अध्यक्षा जी, जो कह रहे हैं, मैं आपकी बातों को को मानता हूं कि वह फैक्ट नहीं है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, अब आप समाप्त करिए।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : छोड़िए उसको। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपना स्थान ग्रहण करिए।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : महोदया, मैं अंत में दो बात कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जल्दी से अपनी बात कहिए।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : इसी वजह से चार राजनैतिक लोगों का फोन टैपिंग हुआ। मैं तीन की बात नहीं कर रहा हूं। जो चौथा फोन टेपिंग हुआ, उसके बारे में कुछ नहीं आया है कि उसमें क्या चर्चा हुयी? आईपीएल कमिश्नर और भारत सरकार के मंत्री के बीच क्या चर्चा हुयी? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। आपकी बात हो गयी। शून्य प्रहर में इतना टाइम नहीं लेते।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : उस चर्चा का मतलब हिंदुस्तान का जो आईपीएल है, उसमें अय्याशी और लूट का अड्डा है। ...(व्यवधान) शरद पवार जी यहां कह रहे थे कि कमिश्नर ठीक है, लेकिन मुंबई जाकर बदल गए कि कमिश्नर को हटाया जाए। यह कौन सा मेसमेरिज्म है? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : इसलिए कानून को ठीक बनाइए और बाहर का कारपोरेट हाउस तो कहता है कि हमने ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आपकी बात होगी, आप बैठ जाइए। शून्य प्रहर में बहुत समय हो गया। अब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : आप किसी भी तरह का साफ जवाब देने को तैयार नहीं है। हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इस पर साफ-साफ जवाब दिया जाए। देश के एक लाख करोड़ रूपए की बात है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अपना स्थान ग्रहण करिए।

...(व्यवधान)

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): I may be allowed to associate with the issue raised by the hon. Member.

MADAM SPEAKER: All right.

...(व्यवधान)

DR. RATTAN SINGH AJNALA (KHADOOR SAHIB): Madam, I would like to associate with this… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, this is the biggest scam of one lakh crore of rupees… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : श्री राजनाथ सिंह।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बासुदेव आचार्य जी, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : तम्बीदुरई जी, बैठ जाइए। अजनाला जी, आप भी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जगदंबिका पाल जी, आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए और राजनाथ सिंह जी को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठ जाइए। शून्य प्रहर चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बहुत से सदस्यों को बोलना है। हम चाहते हैं कि सब लोग बोल लें।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Rajnath Singh says.

(Interruptions) ... *

श्री राजनाथ सिंह (ग़ाज़ियाबाद): मैडम, मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान देश के आलू उत्पादक किसानों की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज देश के कई राज्यों में जहां आलू पैदा होता है, वहां के किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी है, बहुत ही शोचनीय हो गयी है। केवल समाचार पत्रों की खबरों के आधार पर मैं यह बात नहीं कह रहा हूं। मैंने स्वयं अपने कुछ कार्यकर्ताओं को, कुछ सांसदों को कुछ राज्यों में भेजा था और पश्चिम बंगाल में स्वयं स्थिति का जायजा लेने के लिए मैं गया हुआ था। हुगली, जहां सबसे अधिक आलू पैदा होता है, उस हुगली जिले में मैं गया था, सिंगूर में भी गया था। सिंगूर में जब किसानों से उनकी हालात के बारे में जानकारी ले रहा था तो विश्वनाथ नामक एक किसान की आँखों से आँसू चलने लगे। वह फूट-फूटकर रोने लगा। वहीं पर मुझे एक जानकारी प्राप्त हुयी कि प्रवीर ढकाल नामक एक व्यक्ति जो केलेपाड़ा का रहने वाला है, उसने आलू की जो डिस्ट्रेस सेलिंग हो रही है यानी कम कीमत पर जो आलू बाजार में खरीदा जा रहा है, उसके कारण उसने जहर खा लिया था, लेकिन चिकित्सा के बाद उसे बचा लिया गया। वर्धमान जिले में उस व्यक्ति का नाम मैं लेना चाहता हूं जो आलू उत्पादक किसान है, रामकृष्ण घोष गांव बरूआ, वर्धमान जिले का रहने वाला था, इसने डिस्ट्रेस सेलिंग के कारण यानी कम कीमत पर जो आलू मार्केट में बेची जा रही थी, उसके कारण उसे लॉस हो रहा था, जिससे वह आत्महत्या करने का मजबूर हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। ...(व्यवधान) हमारे उत्तर प्रदेश में चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य हो या चाहे पश्चिमी हो, आज जहां-जहां भी आलू पैदा होता है, किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। मैं गाजियाबाद से आता हूं। हापुड़ है, आगरा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, वाराणसी, फरूखाबाद इन सारे जिलों में हाहाकार की स्थिति मची हुयी है।

मैं बताना चाहता हूं कि आलू पैदा करने में पर एकड़ जितनी इनपुट कॉस्ट होती है, वह इनपुट कॉस्ट निकलने की बात तो दूर, किसानों को पर एकड़ दस हजार रुपये से लेकर बीस हजार रुपये तक का घाटा उठाना पड़ रहा है। किसानों की यह हालत हो गई है। एक रुपये से लेकर 4 रुपये प्रति किलो की दर से किसान आलू बेचने को मजबूर हो रहे हैं। बाजार में चले जाइए, आलू की कीमत 8 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये किलो है। लेकिन किसानों को एक रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये किलो की दर से भी कीमत प्राप्त नहीं हो रही है। स्पैकुलेटिव ट्रेडिंग होती है, वादा बाजार चलता है, सट्टे बाजारी होती है। वादा बाजार और सट्टे

* Not recorded

बाजारी के माध्यम से आलू की कीमतों को मैनिपुलेट करने का काम सट्टेबाज करते हैं जो स्पैकुलेटिव ट्रेडिंग करते हैं।...(व्यवधान) मैडम स्पीकर, मैं मांग करना चाहता हूं कि जिन-जिन आइटम्स की स्पैकुलेटिव ट्रेडिंग होती है। जो फूड आइटम्स हैं, उनमें से आलू, टमाटर और प्याज को बाहर किया जाना चाहिए, इन्हें स्पैकुलेटिव ट्रेडिंग के तहत नहीं रखा जाना चाहिए।...(व्यवधान) आप बैठ जाइए। आपको जानकारी नहीं है।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Rajnath Singh *ji* is saying.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : पवन जी, आपको मालूम नहीं होगा, इस साल वादा बाजार के माध्यम से 40 लाख टन आलू की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से एक्चुअल डिलीवरी केवल 7 हजार टन हुई है। ...(व्यवधान)

आपको मालूम नहीं है। आप एक रिस्पौंसीबल मिनिस्टर हैं। आपको इस तरह खड़ा नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि आपको अपनी पॉलिसी में, चाहे जिस प्रकार का स्ट्रक्चरल चेंज करना हो, चाहे प्रोसीजरल चेंज करना हो, वह चैंज लाइए, ताकि इस देश के आलू पैदा करने वाले किसानों को उनकी अपनी उपज, उत्पाद की फेयर और रैमुनरेटिव प्राइसेज़ मिल सके।

यहां लालू जी भी बैठे हुए हैं। मैं जानता हूं कि आलू के महत्व को लालू जी अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि जब ये बिहार के मुख्य मंत्री थे, तब कहा करते थे कि जब तक इस दुनिया में रहेगा आलू तब तक रहेगा लालू।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : लालू जी, आलू के महत्व को बराबर कहा करते थे।...(व्यवधान) इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे।

* Not recorded

आज कोल्ड स्टोरेजेस में जो आलू रखा है, यदि सरकार बहुत कुछ नहीं कर सकती तो स्टोरेज चार्जेस की अदायगी सरकार द्वारा की जानी चाहिए। किसानों ने जो लोन लिया है, उस पर इंटरस्ट माफ किया जाना चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री अर्जुन मेघवाल, डा. तरुण मंडल एवं श्री वीरेन्द्र कुमार भी इस विषय के साथ अपने को सम्बद्ध करते हैं।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदया, वादा बाजार,...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। रिकार्ड में कुछ नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदया : शून्य प्रहर में जिन सदस्यों का नाम लिस्ट में है, उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अग्रवाल जी का नाम लिस्ट में है, इसलिए आप उन्हें बोलने दीजिए। हम सबको बारी-बारी से बुलाएंगे।

...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): अध्यक्ष महोदया, दिल्ली से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसे मैंने अभी सबमिशन में भी उठाया था। दिल्ली का बढ़ता हुआ स्वरूप है और अब लोग यहां कोठियों के बजाए अपार्टमैंट्स बना रहे हैं। जो नक्शे से बन रहे हैं, वे अपार्टमैंट्स खरीदे और बेचे जा रहे हैं। उन अपार्टमैंट्स में तकरीबन 25 से 30 लाख लोग रहते हैं। आज सिर्फ इस वजह से लाखों मुकदमे हो रहे हैं क्योंकि उनकी खरीद और बेच नहीं हो सकती, वे सिर्फ पावर ऑफ अटार्नी पर ट्रांसफर होते हैं। उनका झगड़ा बिल्डर से भी होता है, जहां लीज़ बनी होती है, कि ग्राउंट रैंट कौन देगा, इसके ऊपर मुकदमे चलते रहते हैं। पहले भी कई बार मांग हुई है। आदरणीय मंत्री जी बॉय चांस यहां बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि अपार्टमैंट बिड आनी चाहिए, जिससे लोगों को राहत मिलेगी।

वह बहुत ओवर ड्यू हो गया है। उसकी बहुत सख्त जरूरत है। लोग बड़े पीड़ित हैं, परेशान हैं। वे मुकदमे-बाजी में लगे हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा कोई डायरेक्टिव देंगी या मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, वे

* Not recorded

कुछ आश्वासन दे दें, जिससे दिल्ली वालों को कुछ राहत मिल जाये। हमारे पास अपनी स्टेट नहीं है, इसलिए हमें बार-बार यहां आना पड़ता है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी आज कुछ न कुछ राहत दे देंगे।

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Madam Speaker, I would like to draw the attention of the House and of the Union Government to a very sensitive and an important issue of 'paid news'. That means, if you give some money to the Press or media people, you can create your news, which is being done in our newspapers and TV channel, which is undermining democracy and it is a fraud on Indian people. It has already acquired a menacing proportion as deposed by one of the Opposition leaders that "it started out as an aberration, went on to become a disease and is now an epidemic."

The phenomenon of 'paid news' emergence traces back over many years. The Press Council of India recently did an investigation which revealed that some of the biggest media groups in the country are involved in indulging this 'paid news' practices.

That report of the Press Council of India also said: "The phenomenon of 'paid news' goes beyond the corruption of individual journalists and media companies. It has become pervasive, structured and highly organized, and in the process is undermining democracy in India."

The report also indicated that the deception or fraud has three levels. Firstly, the publication or views of the Television programme is deceived into believing that what is essentially an advertisement is taken to be as an independent news.

Secondly, by not officially declaring the expenditure by any candidate for a 'paid news', thereby it is violating the Conduct of Election Rules, 1961.

Thirdly, by not accounting the money received from candidates, the concerned media company is violating the provisions of the Companies Act, 1956 and the Income Tax Act, 1961.

MADAM SPEAKER: Please conclude now.

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): I would like to make a demand to the Government that it should activate the Election Commission of India to take proper action, and also the Press Council of India and the Government of India must look into this serious matter as the Press and media are being the Fourth Pillar of democracy.

श्री महाबली सिंह (काराकाट): अध्यक्ष महोदया, बंगलादेश और नेपाल के रास्ते बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में जाली नोटों का धंधा बड़े पैमाने पर फल-फूल रहा है। राजधानी से लेकर जिला और ग्रामीण इलाकों तक ऐसे गिरोह फैले हुए हैं, जिनका शिकार ग्रामीण जनता बड़े पैमाने पर हो रही है। एक गिरोह द्वारा गांव में छोटे-छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के माध्यम से जाली नोट चलाये जा रहे हैं। इस तरह ग्रामीण जनता के पास वे जाली नोट पहुंचते हैं। जब वे लोग पैसे लेकर बैंक जाते हैं, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। बड़े-बड़े तस्कर नहीं पकड़े जाते, जबकि ग्रामीण जनता इसकी शिकार हो रही है। इसके साथ-साथ कई जगह जैसे पटना, उत्तर प्रदेश, गोवा, मुम्बई आदि में एटीएम और बैंक के माध्यम से जाली नोट आ रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में कठोर से कठोर कानून बनाये, ताकि ऐसे देशद्रोही तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जा सके।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अररिया): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस गंभीर लोक महत्व के मामले पर बोलने का अवसर दिया।

मैं अति पिछड़े इलाके से आता हूं। अररिया संसदीय क्षेत्र नेपाल और बंगाल के बॉर्डर से लगा हुआ है। शायद पहली बार मुझे सदन में बोलने का अवसर मिला है। मैं उस धरती से आता हूं जहां फणीश्वर नाथ रेणु, रामलाल सिंह स्नेही और बिजदेनी जैसे साहित्यकारों का जन्म हुआ।

महोदया, पिछले वर्ष आई कोसी नदी की बाढ़ ने मेरे संसदीय क्षेत्र अररिया को जानमाल का गंभीर नुकसान पहुंचाया था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी इस क्षेत्र की जनता के आंसू थमे भी नहीं थे कि भयंकर चक्रवाती तूफान ने मेरे संसदीय क्षेत्र अररिया को तहस-नहस कर दिया। भारत के पूर्वी भाग में आए भीषण चक्रवात से भारी तबाही हुई है। चक्रवात से बिहार, पश्चिम बंगाल और असम राज्य भी प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा मेरे संसदीय क्षेत्र अररिया के जोगीहाट, भरगामा, नरपतगंज, रानीगंज आदि प्रखण्डों में लगभग चालीस लोगों के जीवन को समाप्त कर दिया है। इस भयंकर चक्रवात से करोड़ों रूपए की संपत्ति, जान-माल तथा गरीब किसान की 70 प्रतिशत फसल तबाह हुई है। मक्के और सूरजमुखी की फसल लगभग समाप्त हो चुकी है। मुझे दुख के साथ कहन पड़ रहा है कि पिछली बार बाढ़ के समय

माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे संसदीय क्षेत्र अररिया का दौरा किया था, पीड़ितों के लिए विशेष पैकेज का भी ऐलान किया था, लेकिन आज तक केन्द्र सरकार की तरफ से कोई सहायता हमें प्राप्त नहीं हुई है। इसी प्रकार से तूफान की चपेट में आए अररिया संसदीय क्षेत्र की जनता को राज्य सरकार की तरफ से उचित मदद मिल रही है, लेकिन अभी तक केन्द्र सरकार की तरफ से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है। बिहार के साथ हमेशा अन्याय और भेदभावपूर्ण व्यवहार होता रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिहार को विशेष राज्य का पैकेज देना चाहिए। कभी वहां की बिजली काट दी जाती है, कभी बीपीएल लिस्ट से गरीब लोगों के नाम काट दिए जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के साथ भेदभाव न किया जाए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): वहां बाढ़ का एक भी पैसा नहीं मिला है लोगों को।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग शान्त हो जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मै चाहती हूं कि सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिले। माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य श्री हुक्मदेव नारायण यादव, श्री कीर्ति आजाद, श्री नामा नागेश्वर राव, श्री उदय सिंह एवं श्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन ने श्री प्रदीप कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया है।

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, I want to raise a very important matter and urgent matter before this august House for its consideration.

As we are all aware, last year the Union Cabinet had introduced an innovative scheme to waive interest on education loans. The scheme envisages providing full subsidy on interest on loans taken by students belonging to economically weaker sections from the banks under the Education Loan Scheme. This would definitely help a large number of poor students who are availing loans from banks.

Now, the bank authorities are pressurizing students to make interest payment during their course tenure, for the loans taken before April, 2009 saying they are not applicable for interest subsidy scheme. In fact, it is a violation of

policies framed for education loan. After the announcement of interest subsidy on education loans, the parents who are availing education loans did not pay interest on their loans for the last few months. In view of above circumstances the bank authorities defer to issue next instalment of loans to student. This would generate severe situations among banks and students. In such a situation most of the students would be compelled to break off their education on a halfway due to financial problems. This situation will adversely affect the merit of this notable scheme and the Government should intervene in this issue timely for rescuing the future of lakhs of students in our country.

Most of the students belong to poor families and they do not have any source of paying higher rate of interest. For those suffering students, this decision of the UPA Government to provide interest subsidy was a relief from their hardships. As everyone is aware the fee structure and cost of education is not affordable for parents who are living in average living conditions in the States such as Kerala. If this condition may be continuing, lakhs of students from economically weaker sections will lose their future.

Therefore, the Government should take urgent action to extend the range of interest subsidy to all the students who are availing education loans currently. Also, ensure immediate distribution of the circular of the subsidy scheme, as it has not reached out to the banks so far. Also, the Government should ensure speedy implementation of this decision through apparent orders and instruct the banks *via* Indian Banks Association. Thank you.… (*Interruptions*)

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): Madam, it is a very serious matter.

SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam, this is a very serious matter.

MADAM SPEAKER: Do you want to associate yourself with the matter raised by him? Please send your name to the Table.

Shri A.K.S. Vijayan and Shri R. Thamaraiselvan with associate with the matter raised by Shri K.C. Venugopal.

श्री लालू प्रसाद (सारण): मैडम, सन् 1931 तक देश में जनगणना जातीय आधार पर होती थी। देश में जनगणना होती थी उसमें बैकवर्ड क्लासेज़, सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो हैं, ब्रैकेट में जाति लिखी जाती थी। अभी जो जनगणना हो रही है, मुझे बताया गया है कि उसमें ऐसा नहीं हो रहा है। लॉ मिनिस्टर जी ने भी कहा था कि जाति आधार पर जनगणना हो, लेकिन कहीं से प्रेशर आने के बाद एक साजिश के तहत वर्तमान में हो रही जनगणना से पिछड़े वर्गे को हटा दिया गया है। अब कैसे मालूम होगा कि बैकवर्ड क्लास वालों की संख्या क्या है और वे कैसे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए हमारी पुरजोर मांग है कि आप जनगणना कराएं, लेकिन जैसे सन् 1931 की तरह जनगणना होती थी, उस आधार पर कराएं और उसमें जाति को भी रखें। यह बहुत जबर्दस्त साजिश है, सरकार को इसे देखना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना): मैं भी अपने आपको लालू जी के इस मुद्दे से सम्बद्ध करता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, जनगणना से सम्बन्धित बहुत महत्वपूर्ण विषय उभर कर आ रहे हैं। एक विषय लालू जी ने अभी यहां रखा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि नियम 193 के तहत इस पर एक सम्पूर्ण चर्चा कराई जाए ताकि इससे सम्बन्धित तमाम विषयों पर हम अपनी बातों को रख सकें। इसलिए बीएसी में इस पर निर्णय लिया जाए और जनगणना पर पूरी चर्चा कराई जाए।

SHRI V. NARAYANASAMY : If the notice is given in proper form, the hon. Speaker can consider that.

श्री लालू प्रसाद : इसी सत्र में कराई जाए, नहीं तो सोमवार को हम फिर यह मामला उठाएंगे।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, आप इस पर नोटिस दे दें।

श्री शरद यादव : सुषमा जी ने जो कहा, उस बारे में आपका क्या कहना है?

अध्यक्ष महोदया: मैंने उसे मान लिया है। आप उस बारे में नोटिस दे दें।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): अध्यक्षा जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मुम्बई उपनगरीय रेल मुम्बई की जीवन रेखा है। रोजाना लगभग 65 लाख यात्री इसमें यात्रा करते हैं। मुम्बई उप नगरीय रेल के जो मोटर मैन हैं और दूसरे कर्मचारी हैं, वे अपनी अलग-अलग मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि रेल मंत्रालय ने उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। वे अपनी इन मांगों को लेकर तीन मई से अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल पर भी जाने वाले हैं। यदि ये लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाते हैं तो पूरे मुम्बई की कानून व्यवस्था बाधित हो सकती है। मुम्बई में यदि रेल यात्रा बंद हो जाती है तो उसका दुष्परिणाम पूरी मुम्बई के रहन-

सहन पर पड़ेगा और कानून व्यवस्था ही बिगड़ सकती है। मुम्बई में 65 लाख से ज्यादा यात्री रोजाना यात्रा करते हैं। आप समझ सकते हैं कि इनके हड़ताल पर चले जाने से मुम्बई पर क्या असर पड़ेगा। अध्यक्ष महोदया जी, इसलिए आपके माध्यम से मेरी रेल मंत्री जी से मांग है और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि भूख-हड़ताल होने से पूर्व, इन सारे कर्मचारियों के जो संगठन हैं उनसे माननीय रेल मंत्री जी बात करें और इस प्रकार से भूख-हड़ताल के बाद, अगर रेल बंद हो जाती है और उससे जो स्थिति उत्पन्न होगी, उसे रोकने का प्रयास रेल मंत्री जी करें।

अध्यक्ष महोदया : श्री गोपीनाथ मुंडे तथा श्री आनंद प्रकाश परांजपे जी को श्री अनंत गंगाराम गीते द्वारा उठाये गये मामले से सम्बद्ध किया जाता है।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने देश के करोड़ों किसानों से जुड़े हुए लोक महत्व के प्रश्न को उठाने की अनुमति दी है। आज संपूर्ण देश में किसानों की अगर कोई कैश-क्रॉप है या कोई नगदी फसल है तो पूरे देश का किसान गन्ने की आय पर ही निर्भर करता है। किसान के घर के जीविकोपार्जन की बात हो या उनके घर की न्यूनतम प्रतिपूर्ति का सवाल हो, उसकी प्रतिपूर्ति गन्ने की नगदी फसल से ही होती है। आपने पिछले दिनों देखा कि संपूर्ण उत्तर भारत के किसान गन्ना मूल्य को लेकर, देश की राजधानी दिल्ली में आये थे और जिस तरह संघर्ष और आंदोलन के बाद, उनके गन्ना मूल्य का निर्धारण हुआ और आज मूल्य निर्धारण के बाद, किसानों ने अपने गन्ने को चीनी-मिलों को दिया। चीनी मिलों में गन्ना पिराई का वर्ष 2009-2010 का सत्र समाप्त हो चुका है और इंडियन शुगर कंट्रोल एक्ट की धारा(पांच) में है कि अगर किसान जिस दिन अपना गन्ना चीनी मिलों को देता है, उसकी आपूर्ति के 15 दिन बाद, उसके गन्ने के मूल्य का भुगतान करना मिल की बाध्यता है, यह अधिनियम में है। अगर वह गन्ने का भुगतान नहीं करता है तो उस गन्ना मूल्य पर उसे 10 प्रतिशत ब्याज भी मिलेगा। आप देखिये कि अगर और जगहों पर अधिनियम लागू हैं तो उस अधिनियम का अनुपालन हो रहा है, लाभ हो रहा है लेकिन देश के करोड़ों किसान जो असंगठित हैं, इस नाते उनका कोई दबाव नहीं है और आज ये चीनी मिलें, चाहे वे इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन (एस्मा) से जुड़ी हुई हों, चाहे निजी क्षेत्र की हों या सहकारी क्षेत्र की हों, चाहे संघ क्षेत्र की चीनी मिलें हों, मैं भारी मन से कह रहा हूं को करोड़ों रुपया गन्ना मूल्य मिलों पर बाकी है।

इससे सभी सहमत होंगे कि अगर गन्ना कैश-क्रॉप है, गन्ना नगदी फसल है तो किसान अपनी बेटी का विवाह, उन्हीं गन्ने की पर्चियों के भुगतान से करता है। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के लोग भी सहमत होंगे कि अगर किसान को उस गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं होता है तो किसान की बेटी का विवाह भी

स्थगित हो जाता है। ये बातें हम आये दिन देखते हैं और हम इसमें कितना सहयोग कर सकते हैं। बूढ़े बाप के इलाज के लिए मेडीकल कॉलिज ले जाने के लिए किसान के पास कोई पैसा नहीं होता है, उन्हीं पर्चियों को गिरवी रखकर पैसा देता है और जब गिरवी रखने के बाद भी भुगतान मिलें नहीं करती हैं, कई सोसाइटियां नहीं करती हैं तो उनके सामने आत्महत्या की स्थिति आ जाती है। बच्चों के स्कूल से नाम कट जाते हैं, उनकी फीस नहीं दी जा सकती है। ...(व्यवधान) आज उत्तर प्रदेश में 1111 करोड़ 95 लाख रुपया बाकी है। ग्यारह सौ करोड़ रुपया गन्ना किसानों का है, यह किसी एक व्यक्ति का नहीं है। किसी का दो हजार, किसी का चार हजार है। इस तरह से 128 मिलों पर रुपया बाकी है। यह इंडियन शुगर कंट्रोल एक्ट से होता है कि उन मिलों के खिलाफ रिकवरी जारी होनी चाहिए, आरसी सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए और इसके बाद भी भुगतान नहीं करते हैं तो उसका क्या कारण है? अगर किसान खाद, बीज और पंपिंग सैट के लिए लिया पैसा बैंक को नहीं देता है तो वह तो लॉक-अप में बंद हो जाता है।

लोकअप में बंद हो जाता है, आरसी जारी हो जाती है और ये मिल मालिक करोड़ों रुपया गन्ना मूल्य नहीं दे रहे हैं, तो एयरकंडीशंड घरों में बैठे हुए हैं। इनके खिलाफ राज्य सरकारें आरसी जारी नहीं कर रही हैं।

अध्यक्ष महोदया : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदया, इससे महत्वपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती है। 1100 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के किसानों पर बाकी है। मैं कहना चाहता हूं कि 565 लाख टन गन्ने की पिराई हुई है। किसान रोज केन सोसायटीज के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई कदम भी राज्य सरकार द्वारा नहीं उठाया गया है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार के कार्यकाल के तीन साल पूरे होने जा रहे हैं, कम से कम अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले उन मिल मालिकों के खिलाफ कार्यवाही करे। गन्ना भुगतान करना सुनिश्चित जिम्मेदारी है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाएं।

श्री रेवती रमन सिंह, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : 1100 करोड़ रुपयों का गन्ना मूल्य बाकी है। मैं किसानों के हित की बात कह रहा हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री रेवती रमन सिंह।

...(व्यवधान) *

* Not recorded

अध्यक्ष महोदया : अगर आप अपने को सम्बद्ध करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम टेबल पर भेज दीजिए।

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती): महोदया, मैं अपने को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा गन्ना किसानों की समस्या मुद्दे से सम्बद्ध करता हूं।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): महोदया, मैं भी अपने को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा गन्ना किसानों की समस्या मुद्दे से सम्बद्ध करता हूं।

12.52 hrs.

SUBMISSION BY MEMBER

Re: Need to enhance the recommendatory quota of MPs for grant of financial relief from Prime Minister's Relief Fund for critically ill patients

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि पांच दिन बाद लाटरी में मेरा नाम निकला और आपने मुझे बोलने का मौका दिया। गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों को, जैसे कैंसर, एड्स, हार्ट, गुर्दा, किडनी का कहीं से पैसा नहीं मिलता है। सिर्फ प्रधानमंत्री राहत कोष एकमात्र साधन है, जहां से पैसा मिलता है। हमने देखा है कि हमें चिट्ठी भेज दी जाती है कि आपके 24 मामलों में पैसा दे दिया गया है और अब राहत कोष में पैसा नहीं है, आपका कोटा पूरा हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि गरीब आदमी क्या कर सकता है। वह राम-राम जप कर परलोक सिधार जाए, सिर्फ यही हो सकता है। यह वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य में हर नागरिक की बात कांग्रेस पार्टी और यूपीए की सरकार करती है। आम आदमी को अगर गंभीर बीमारी के लिए पैसा चाहिए, तो हमें चिट्ठी मिलती है कि आपका कोटा पूरा हो गया है। हम चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री राहत कोष में धन की कमी है, तो हम सांसदों से पैसा ले लें, हम सभी सांसद पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरह का काम न किया जाए कि गरीब मरता रहे।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इतना विलम्ब से पैसा मिलता है, तब तक बहुत से मरीज परलोक सिधार जाते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर इनके पास चिकित्सा हेतु धन की कमी है, तो सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करे। राष्ट्रीय चिकित्सा राहत कोष बनाए। महोदया, जब मुलायम सिंह जी मिनिस्टर थे, तब इन्होंने भरपूर पैसा दिया था। मैं चाहता हूं कि उसी तरह की व्यवस्था पूरे देश में लागू हो। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती सुस्मिता बाउरी, शेख सैदुल हक़, श्री पुलीन बिहारी बासके और श्री राजेन्द्र अग्रवाल अपने को इस विषय से सम्बद्ध करते हैं।

...(व्यवधान)

श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर): इसमें कोटे वाली लिमिट खत्म कराई जाए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री रवनीत सिंह, आप बोलिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें बोलने दीजिए, वह नये मैम्बर हैं। आप नये मैम्बर को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अपने आपको इस विषय से एसोसिएट कर लीजिए।

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया : वह नये मैम्बर हैं, आप उन्हें बोलने दीजिए। आप बैठ जाइये। आप नये सदस्य को बोलने दीजिए। आप अपने आपको इससे सम्बद्ध कर लीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : रघुवंश प्रसाद जी, वह एक नये सदस्य बोल रहे हैं। आप जरा सुन लीजिए।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Madam, what the hon. Member Shri Rewati Raman Singh brought to the notice of the House is a very serious matter. I will convey the sentiments of the House to the hon. Prime Minister. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : रघुवंश प्रसाद जी, अब आप बैठ जाइये।

श्री रवनीत सिंह (आनंदपुर साहिब): अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया। मैं पंजाब के कंडी इलाके की बात करना चाहता हूं जो पंजाब का दस परसैन्ट हिस्सा है और 58 हजार हैक्टेअर जमीन उसके अंदर आती है। पंजाब की टोटल जमीन की दस परसैन्ट कंडी एरिया की जमीन है और पंजाब के सबसे बड़े ग्रीन एरिया को यह क्षेत्र कवर करता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ लगने के कारण वहां का जो जंगल है, वह बिल्कुल खत्म होता जा रहा है और वहां से सारे जंगली जानवर नीचे कंडी एरिया में आकर किसानों की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। क्योंकि हमारे यहां शिकार करने पर बिल्कुल पाबंदी है, हालांकि यह ठीक भी है। लेकिन जो वहां के इलाके के किसान हैं, उनकी लैंड होल्डिंग पहले ही बहुत कम है। वहां दो या तीन एकड़ वाले किसान हैं।

महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी एरिया से अब वहां कोई शादी भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वहां के नौजवान लड़के जंगलों में सारे दिन और रात जंगली जानवरों से अपनी फसल बचाने के लिए बैठे रहते हैं। ...(व्यवधान)

* Not recorded

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record. Please do not disturb him. He is a new Member. Please do not disturb him. Let us observe this…

(Interruptions) …[*]

श्री रवनीत सिंह : मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें जंगली जानवरों के बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन साथ ही वहां के लोगों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए और वहां कंटीली तार के लगाने के बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि वहां जो पीएलपीए एक्ट है, वह अंग्रेजों के समय का बना हुआ है, जिसके कारण हम वहां के दरख्त भी नहीं काट सकते हैं। इसलिए सरकार को वहां कोई न कोई रॉयल्टी देनी चाहिए, कोई न कोई प्रबंध जरूर करना चाहिए तथा वहां के लोगों को मुआवजा देना चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा एआईबीपी स्कीम के तहत वहां कंडी कैनाल बनाने की योजना थी, उससे वहां के बहुत अधिक लोगों का इसका फायदा मिलना था। लेकिन यह कैनाल जहां से निकलनी थी, पंजाब सरकार ने उसका ट्रैक अपने आप ही चेंज कर दिया। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के साथ कंडी कैनाल निकलनी चाहिए थी, लेकिन जहां ट्यूबवैल्स लगे हुए हैं, जहां लोगों को सिंचाई का पानी पहले से ही मिल रहा है, वहां वे कंडी कैनाल निकालने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करूंगा कि उसे रोकना चाहिए और पहले सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट ने जो रास्ता डिसाइड किया था, वहीं पर यह कैनाल बननी चाहिए। इसके साथ ही उस एरिया में कोई न कोई इको-फ्रैंडली, जैसे हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्रीज को पैकेज दिया था, क्योंकि यह एरिया भी पहाड़ों के साथ ही पड़ता है। इसलिए वहां जम्मू-कश्मीर या हिमाचल प्रदेश की तरह कोई न कोई इको-फ्रैंडली इंडस्ट्रीज के लिए पैकेज देना चाहिए।

इसके साथ ही मैं फिर से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[*] Not recorded

13.00 hrs.

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यो, पिछले दो दिन से ज़ीरो ऑवर नहीं हुआ है। मेरे पास बहुत लम्बी सूची है। मैं चाहती हूं कि सभी माननीय सदस्य बोलें। अगर आप सब की राय हो तो हम भोजनावकाश डेढ बजे से ढाई बजे तक करेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : ठीक है।

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदया, बहुत दिनों के बाद मेरा नम्बर लगा है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और विशेा रूप से रेल मंत्रालय का ध्यान सतना लोकसभा क्षेत्र, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है जहां विगत 17 अप्रेल से लगातार अनिश्चितकालीन धरना और सत्याग्रह जिसे मैंने खुद दिनभर बैठकर पारम्भ किया था, की ओर दिलाना चाहता हूं। इस आन्दोलन का आज 14वां दिन है। संसदीय संर्घा समिति ने रेल सम्बंधी समस्याओं को लेकर 42-सूत्री ज्ञापन रेल मंत्री जी को और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से स्वयं मिलकर 15 अप्रेल को दिया था। मेरे लोक सभा क्षेत्र से इलाहाबाद-मुम्बई रेलमार्ग निकलता है और इस मार्ग से 50 जोड़ी रेलगाडियां निकलती हैं लेकिन मेरे क्षेत्र के 20 रेलवे स्टेशन बुनियादी सुविधाओं से मोहताज हैं। गाड़ियां तो निकलती हैं लेकिन इमरजैंसी कोटा किसी में भी नहीं है जबकि सतना एवं मईहर धार्मिक एवं पर्यटन की दृटि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां वर्ा में करोड़ों लोगों का आना-जाना होता है। फिर भी रेल मंत्रालय इसकी लगातार उपेक्षा कर रहा है। मैंने पिछली लोक सभा में और वर्तमान लोकसभा में इन समस्यांओं के निदान के लिये अपनी बातें .यहां रखी हैं परन्तु सफलता नहीं के बराबर मिली है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि आन्दोलन को गम्भीरता से लेते हुये तत्काल उच्चस्तरीय वार्ता कराकर समस्याओं का समाधान करें अन्यथा मुझे 3 मई से जबलपुर एवं 6 मई से रेलवे बोर्ड के सामने सत्याग्रह पर बैठने के लिये मजबूर होना पड़ेगा।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Madam, this Green Tribunal Bill has been carried over from the first part of the Budget session. If the hon. Speaker agrees, we can dispense with the lunch hour and finish that Bill before 3.30.

MADAM SPEAKER: Is it all right?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। यह दलितों की सुरक्षा, दलितों के मान-सम्मान से संबंधित विषय है। आजादी के 63 साल बाद भी दलितों पर जातिगत भावना से प्रेरित अत्याचार की घटनाओं में कमी नहीं हो रही है। हरियाणा में मिर्चपुर कांड से पैदा हुआ तनाव अभी खत्म नहीं हुआ था जहां एक सप्ताह पहले एक दलित पिता-पुत्री को जिन्दा जला दिया गया, 100 दलित घरों को आग की भेंट चढ़ा दिया गया था। श्री राहुल गांधी कल उस गांव में गये थे ताकि उन दलितों को कुछ सांत्वना दे सकें, उनके दुख-सुख में शामिल हो सकें।

अध्यक्ष महोदया, अभी दो दिन पहले अम्बाला जिला में सोहाता गांव में दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठकर मन्दिर में मत्था टेकने से वहां के दबंगों द्वारा रोका गया तथा मारपीट की गई। यह परम्परा है कि अपने गांव में बारात प्रस्थान होने से पहले दूल्हा अपने परिजनों और अपने सगे-संबंधियों के साथ मन्दिर में मत्था टेकने जाता है। मान्यता यह भी है कि बारात जाने से पहले मत्था टेककर प्रस्थान करने से बारात इज्जत के साथ बिना किसी विघ्न के दुल्हन दूल्हे के घर के आंगन में आती है। अत्यंत खेद का विाय है कि दलितों की बारात को दबंगों द्वारा रोककर उनके साथ मारपीट की गई जिसमें दूल्हे सहित अन्य परिजन घायल हुये। पुलिस ने खानापूर्ति करते हुये 21 लोगों के खिलाफ एस. सी. एस.टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया लेकिन अभी तक किसी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और न ही कोई प्रभावी कार्यवाही की गई है। हरियाणा में जातिगत भावना को लेकर अनेक प्रकार की घटनायें घटित होती रहती हैं। वहां पर खाप पंचायतें कानून अपने हाथ में लेकर सामान्तर सरकार चला रही है। पता नहीं, हरियाणा में हम किस युग में रह रहे हैं?

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्ति करना चाहता हूं कि इन घटनांओं को अत्यंत गम्भीरता से लिया जाये और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये नया कानून बनाकर कठोर दंड का प्रावधान किया जाये। राज्य सरकारों को ऐसे मामलों में कोई भी ढ़िलाई न बरतने के निर्देश दिये जायें। इसके साथ-साथ मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि समाज में दलितो के प्रति भावना बदलनी चाहिए। यहां तक कि गुजरात के मुख्यमंत्री दलितों के प्रति क्या भावना रखते हैं, उसका उल्लेख उन्होंने अपनी खुद की लिखी हुई किताब में किया हुआ है। यह बहुत निन्दनीय है।...(व्यवधान) अगर संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति इस तरह की धारणा रखते हैं तो वह निन्दनीय है। भविष्य में इस तरह का प्रावधान करना चाहिए कि जो भी दलितों के प्रति इस तरह की भावना रखते हैं, वह

संविधान के खिलाफ है और उन्हें चुनाव लड़ने या इस तरह के संवैधानिक पद होल्ड करने से वंचित किया जाना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।

महोदया, मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि उनके विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।...(व्यवधान)

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (करौली धौलपुर): महोदया, मैं अपने को श्री पन्ना लाल पुनिया जी के मुद्दे से सम्बद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदया : श्री खिलाड़ी लाल बैरवा और श्री रतन सिंह श्री पन्ना लाल पुनिया द्वारा उठाए गए विषय से अपने को संबद्ध करते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब श्रीमती मीना सिंह जी को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती मीना सिंह (आरा): महोदया, आपने मुझे लोक महत्व के इस विषय को शून्य काल में उठाने की अनुमति प्रदान की।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : एक महिला बोल रही हैं, आप उन्हें सुनिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : रघुवंश प्रसाद जी, आपका माइक ठीक है और वह काम करता है। आप बैठ जाइए। आप चाहें तो अपने को इससे जोड़ लीजिए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ...[*]

अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें बोलने दीजिए।

श्रीमती मीना सिंह : महोदया, आपने मुझे लोक महत्व के इस विषय को शून्य काल में उठाने की अनुमति प्रदान की, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूं।

महोदया, बिहार प्रान्त अन्तर्गत भोजपुरा जिला, जिसके अन्तर्गत मेरा संसदीय क्षेत्र आता है तथा जिसे आपका गृह जिला होने का सौभाग्य प्राप्त है, वह एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। मुझे सूचना मिली है कि विगत एक-दो वर्षों में भोजपुर जिले में सैकड़ों जन्मांध बच्चे पैदा हुए हैं। इनमें से करीब पचास बच्चों

[*] Not recorded

का इलाज आरा के एक निजी अस्पताल में वहां के प्रख्यात नेत्र चिकित्सक डॉ. केडिया के द्वारा किया जा रहा है।

महोदया, मुझे वहां के चिकित्सकों द्वारा यह बताया गया है कि जेनेटिक डिसआडर, पर्यावरण की गड़बड़ी, दूषित पानी एवं विटामिन की कमी आदि के कारण ऐसा हो सकता है।

महोदया, किसी भी मां-बाप के लिए उसकी औलाद की क्या अहमियत है, इससे आप एवं सारा सदन अवगत है। ऐसे में जिन परिवारों में ऐसे बच्चों ने जन्म लिया है, उन परिवारों की स्थिति का वर्णन करना संभव नहीं है।

महोदया, हम सभी यह कहते हैं कि आज के बच्चे ही कल के भविष्य हैं। ऐसी स्थिति में मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि यथाशीघ्र केंद्र से जेनेटिक, पर्यावरण एवं नेत्र विशेषज्ञों की टीम भोजपुर भेजी जाए ताकि इस गंभीर समस्या का निदान किया जा सके।

महोदया, चूंकि भोजपुर आपका भी गृह जनपद है, इसलिए मैं विशेष रूप से इस समस्या के निदान के लिए आपका सहयोग चाहती हूं, ताकि भविष्य में ऐसे बच्चे पैदा न हों, जो जन्म से ही अंधे हों। धन्यवाद।

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी (संत कबीर नगर): महोदया, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि शून्य काल में जो बाधा होती है, इससे हम लोगों को निजात मिलनी चाहिए। बहुत मुश्किल से बोलने का नम्बर आ पाता है। महोदया, इस तरह से जो अतिक्रमण हो रहा है, इससे सदस्यों को निजात दिलाना चाहिए। हम यहां अपने क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर आते हैं और लोग हमसे उम्मीद रखते हैं। क्षेत्रों की तमाम समस्याएं हैं, जैसे हमारा जिला सूफी संत कबीर की निर्वाण स्थली है। हमारे जनपद के तमाम लोग बाहर नौकरी करते हैं। वे सैनिक हैं, कुछ भूतपूर्व सैनिक हैं, रेलवे में काम करते हैं। हमारे यहां एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं है, हम इस पर ध्यान दिलाना चाहते हैं कि हमारे जनपद में एक केन्द्रीय विद्यालय जरूर होना चाहिए। हम लोग इसके बारे में लिखते हैं, सरकार से बात करते हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता है। संत कबीर नगर, सूफी संत कबीर की निर्वाण स्थली है। पूर्वांचल में सबसे ज्यादा लोग खेती पर निर्भर करते हैं। वहां शिक्षा का अभाव है। वहां खेती की ट्रेनिंग देने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां गन्ने की खेती सबसे अच्छी होती है, लेकिन गन्ना किसानों की ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है। पूर्वांचल में संत कबीर के नाम से कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, ताकि वहां के किसानों को कृषि की ट्रेनिंग दिलायी जा सके।...(व्यवधान)

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय : उत्तर प्रदेश सरकार से एक भी प्रपोज़ल केन्द्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों बोल रहे हैं? आप बैठ जाइए। उनको बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : महोदया, पूर्वांचल का इलाका नदियों की बाढ़ से पीड़ित है। यहां किसानों की समस्याएं हैं। बेरोजगारी की समस्या है। पूर्वांचल और बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए दूसरे इलाकों में जाकर ज़लालत झेलनी पड़ती है। यहां के किसान मजबूरी में असहाय होकर अपनी लड़कियों की शादी तक टाल दिया करते हैं। किसान भी खुशहाल हो, इस पर केन्द्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। यहां केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संत कबीर के नाम से की जानी चाहिए ताकि वहां के किसानों के लिए अच्छी तकनीक से कृषि करने की व्यवस्था हो सके जिससे ज्ञान अर्जित कर किसान और नौजवान अपनी बेचारगी दूर कर सके ।

महोदया, मैं आपको धन्यवाद देते हुए एक बात का और निवेदन करूंगा कि कम से कम शून्य काल में इस तरह के प्रदूषण को दूर किया जाना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया।

महोदया, आज पूरे देश में न्यायलयों में लंबित मुकद्मों के बारे में सरकार चिंतित है। इसीलिए सरकार चाहती है कि तहसील, ब्लॉक और न्याय पंचायत स्तर पर न्यायालय स्थापित करके त्वरित न्याय दिलाया जाए। प्रत्येक न्यायालय में यह भी लिखा रहता है कि वादकारी का हित, सर्वोच्च हित। लेकिन जस्टिस लेट, जस्टिस डिनाईड भी होता है।

महोदया, आपके माध्यम से मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कानपुर में प्रतिदिन 15 हजार मामले प्रतिदिन निस्तारित होते हैं। कानपूर में 07.04.2010 को पुलिस द्वारा निहत्थे वकीलों पर लाठीचार्ज करने के कारण वकील हड़ताल पर चले गए हैं। मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ, 8 और 9 तारीख को पुलिस द्वारा सैंकड़ों घायल वकीलों को बुरी तरह पीटते हुए उनके चैंबरों को तोड़ा गया। बार एसोसिएशन की लायब्रेरी में घुसकर पुलिस ने तांडव किया, जिसके कारण लायब्रेरी भी क्षतिग्रस्त हुई है। वहां के वकील हड़ताल पर हैं। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने उन अधिवक्ताओं के समर्थन में एक दिवसीय हड़ताल की है।

महोदया, अभी तीन-चार दिन पहले जिला जज की हठधर्मिता के चलते और उत्तर प्रदेश शासन के चलते कानपुर कोर्ट के मुकद्मे इटावा ट्रांसफर कर दिए गए हैं। कानपुर से इटावा ढाई सौ किलोमीटर दूर है। इसके कारण जेल में बंद लोगों की जमानत नहीं हो पा रही है। इटावा के वकीलों ने भी कानपुर के वकीलों के समर्थन में हड़ताल का आह्वान किया है। ऐसी स्थिति में वादकारियों का अहित होरहा है ।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कानून मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो कानपुर के अधिवक्ताओं की मांग है कि डिस्ट्रिक्ट जज को वहां से स्थानांतरित कर दिया जाए और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही हो। मैं चाहता हूं कि वादकारियों के हित में कानून मंत्री जी हस्तक्षेप करें ताकि हड़ताल समाप्त हो और वादकारियों का हित हो सके। दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए वकीलों के चेम्बर्स को तोड़ने से जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कराने के लिए आप सरकार को निर्देश दें, ऐसी मैं मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*SHRI K. SUGUMAR (POLLACHI): Madam Speaker, Pollachi Constituency is out and out an agricultural area. Parambikulam-Aaliyar Scheme provides irrigations facilities. About 4 ½ lakh hectares of land are irrigated by this scheme. This scheme was conceived to irrigate for about 135 days in a year. But due to frequent monsoon failure and lack of storage facilities when there is heavy rain and absence of check dams to conserve have all led to insufficient water flow from the PAP. So water available for irrigation is insufficient now as there is flow only for about 50 to 60 days in a block of two years. Anaimalai river and Nallaru schemes are much awaited for long. They are rather a dream scheme of the people of Pollachi area. So, the Government must come forward to meet the demands and fulfill the aspirations of the people and must go in for completing these projects with farsightedness. This will provide increased water for irrigation round the year. Non-completion of these schemes have resulted in the wasteful flow of about 12 TMC of water every year in the Arabian Sea. This scheme has the potential of benefiting 4 lakh acres of land under cultivation. This will also augment the hydro power generation potential throughout the year. Coimbatore District can also have

* English translation of the speech originally delivered in Tamil

drinking water all through the year. Hence I urge upon the Government to help complete these schemes to meet drinking water needs, power needs apart from irrigation water needs. So this multipurpose Anamalai River and Nallaru Schemes must be taken up urgently on a war footing.

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (करौली धौलपुर): अध्यक्ष महोदया, आपकी अनुमति से मैं अपने संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर राजस्थान की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। केन्द्र सरकार द्वारा बी.पी.एल. लोगों के लिए चलाई जा रही राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, जिसके तहत गरीबों को मुफ्त कनेक्शन दिए जाते हैं, लेकिन मेरे क्षेत्र में ऐसा नहीं हो रहा है। मेरे क्षेत्र से मुझे ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि बी.पी.एल. लोगों से जो एजेंसियां काम कर रही हैं, वे पैसा लेकर कनैक्शन दे रही हैं। सतर्कता समिति की बैठक में भी यह तय किया गया था कि ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर एजेंसियों के खिलाफ एफ.आई.आर. लॉज की जाए, लेकिन इसके बावजूद भी गरीबों को मुफ्त कनैक्शन नहीं दिए जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? केन्द्र की तरफ से गरीबों के लिए अति महत्वपूर्ण योजना है। ऐसी शिकायतें मिलने पर एजेंसियों से जांच करवा कर सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि इस पर अंकुश लगे और गरीब लोगों को मुफ्त दिए जाने वाले कनेक्शनों का पूरा फायदा मिल सके। इसके साथ कार्य भी बहुत धीमी गति से चल रहा है। तेज गति से कनेक्शन देने चाहिए। बी.पी.एल. कनेक्शनों की वजह से बाकी के जो ए.पी.एल. वाले कनेक्शन हैं, वे भी नहीं हो पा रहे हैं। तीन-तीन साल लोगों को डिमांड नोट का पैसा जमा करावाए हो गए, लेकिन उन्हें कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। यह कहा जाता है कि बी.पी.एल. के साथ ही ये कनेक्शन दिए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदया, मेरा निवेदन है कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना गरीबों के लिए एक महत्ती योजना है, इसका बी.पी.एल. लोगों को पूरा फायदा मिलना चाहिए एवं कनेक्शनों पर पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। एक योजना बना कर जो पैसा वसूला गया है, उसे वापस करवा कर सख्त कार्यवाही करवाई जाए ताकि भविष्य में ऐसी योजनाओं का बिना भ्रष्टाचार के गरीब लोगों को पूरा फायदा मिल सके।

अध्यक्ष महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Madam Speaker, I thank you for giving me the chance. For the last few months, there is power crisis all over the country. Power production centres particularly the thermal power production centres are not able to generate required power as per their capacity due to lack of coal. The problem has become acute in my State, West Bengal. The hon. Coal Minister has told in the Upper House that there is no shortage of coal. As per the Coal Minister's statement, the problem lies with the supply of coal to the power generating stations due to lack of railway wagons, and that is why, coal is not being sent to the power generating stations. As per the statement, 166.5 railway wagons are needed, but only 157 wagons are supplied per day by the Railway Ministry.

On the other hand, the hon. Railway Minister is claiming that there is no shortage of railway wagons for carrying such coal. So, the two Ministers are giving contradictory statements and I do not know which one is correct. It is a fact that coal is not properly supplied to the thermal power stations and as a result the power production is hampered.

Apart from that, what is more alarming is that the Coal Authority sometimes supplies low quality of coal to the power generating stations which is hampering the power production.

In such a situation, I would urge upon the Government to supply proper quality of coal with sufficient wagons to the thermal power stations all over the country, particularly in West Bengal, so that power generation is not hampered.

SHRI SURESH KUMAR SHETKAR (ZAHEERABAD): Madam Speaker, as the House is aware that during the last three years IPL matches are being conducted in our country and abroad. IPL matches are being viewed by lakhs of people by spending huge amounts and the organizers of IPL are only benefiting from this commercial sport. Neither the State nor the Central Government are collecting entertainment and other applicable taxes from the IPL matches. IPL matches are completely commercialized and nobody can deny that, including the Government.

Cricket is also an entertainment for the viewers in our country. I do not know why the Government is not directing the IPL organizers to collect the Entertainment Tax from the viewers. The Central Government and State Governments can get huge revenues to its exchequer if the applicable taxes are imposed properly. On the one hand, the Government is collecting each and every type of tax from the common man and on the other hand the people who are spending thousands of rupees to view the IPL matches are being ignored. There is a need to correct the situation in future.

I, therefore, request the hon. Minister of Sports and Youth Affairs, through the Chair, to kindly intervene in the matter and ensure collection of Entertainment and other applicable taxes from this commercialized sport without any waive off in future.

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): अध्यक्ष महोदया, 27 अप्रैल, 2010 को अंडमान के मध्य अंडमान में, एक युवा, श्री सपन मिस्त्री, उम्र 30 साल की, पत्थर की क्वैरी में, ऊपर की मिट्टी धंसने के कारण खदान घंसने से उसकी सायंकाल 5.00 मृत्यु हो गई। 28 अप्रैल, 2010 को दिन में 11.00 बजे उसकी बॉडी को रिकवर किया गया। दुख की बात है कि तहसील ऑफिस रंगत से हवा महल में जो गैरकानूनी क्वैरी चल रही थी उसकी दूरी केवल एक किलोमीटर है, जहां सपन मिस्त्री की मृत्यु हुई। सपन मिस्त्री के परिवार में तीन बच्चे और उसके बूढ़े माता-पिता हैं।

महोदया, यह अत्यन्त दुख की बात है कि ऐसी दुर्घटना पहले भी हरिनगर में हुई, जहां पत्थर की खदान थी। वह आज भी चल रही है। वहां भी दो आदमियों की मृत्यु हो गई, लेकिन भारत सरकार और प्रशासन से उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। सरकार के मुताबिक आम आदमी बीमा योजना, जनश्री योजना है, लेकिन उसके बावजूद बीमा कंपनी की ओर से उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला।

महोदया, उप राज्यपाल महोदय का फंड है। अतीत में उप राज्यपाल महोदय के फंड से ऐसी मृत्यु के समय दो लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन हरिनगर क्वैरी में जिन युवाओं की मृत्यु हुई, उन्हें कोई पैसा नहीं मिला। मुझे उम्मीद है और मैं मांग करता हूं कि उप राज्यपाल महोदय के फंड से सपन मिस्त्री के परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजे के रूप में मिलें और उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए।

महोदया, मैं मांग करता हूं कि जो अधिकारीगण, गलत तरीके से, नियमों के विरुद्ध, पैसे लेकर क्वैरी चला रहे हैं, उन्हें तुरन्त सस्पेंड किया जाए और मध्य अंडमान में नई क्वैरी का अलाटमेंट किया जाए जिसके लिए प्रशासन के पास अनुमोदन की रिक्वैस्ट की गई है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना न घटे और बढ़िया तरीके से क्वैरी चले।

MADAM SPEAKER: Shri Pradeep Majhi – Not present.

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): अध्यक्ष महोदया, 21 अप्रैल को सूरत के एक प्राइवेट स्कूल क्रेडिल स्कूल में प्राइमरी कक्षा के बच्चों के साथ जिंदगी से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। टी.वी. पर उसे देखकर रौंगटे खड़े हो गये। मासूम बच्चों को जलते अंगारों पर चलाया गया, इसलिए ताकि बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े। बच्चों की जान से खेलकर आत्मविश्वास बढ़ाने का यह कैसा तरीका है? स्कूल के दबाव में बच्चों के माता-पिताओं की भी आवाज नहीं निकल पाई। लगभग डेढ़ घंटे तक चले इस खिलवाड़ के दौरान छात्र बेतहाशा रोते रहे और बच्चे जख्मी हो गये, लेकिन स्कूल के अधिकारियों की तरफ से यह क्रूर गतिविधि रुक नहीं पाई।

ऐसे कृत्य के लिए स्कूल को माफ नहीं करना चाहिए। आगे से ऐसी कोई घटना बच्चों के साथ न घटे, यह ध्यान में रखकर इस स्कूल पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए तथा इसकी मान्यता भी रद्द होनी चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदया : श्री शैलेन्द्र कुमार, आप यह ध्यान रखिये कि किसी पर आरोप नहीं लगाएं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं तो सोच रहा था कि आप हमसे नाराज हैं।

अध्यक्ष महोदया : हम किसी से नाराज नहीं होते हैं। आप बोलिये।

श्री शैलेन्द्र कुमार : आपने जो समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस सदन में आपके माध्यम से मैं एक अति लोक-महत्व का प्रश्न सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा।

देश की सुरक्षा और खुफिया सूचना में हमेशा चूक हुई है, जिससे हजारों लोगों की जानें गई हैं। अभी समाचार-पत्रों में आप लोगों ने देखा होगा, टेलीविज़न पर भी आया कि गृह मंत्रालय के कई अधिकारी जबरदस्त भ्रष्टाचार के निशाने पर हैं। निदेशक, गृह मंत्रालय भी रिश्वत में पकड़े गये और बुलेटप्रूफ जैकेट की सप्लाई एक अंजनी टैक्नोप्लास्ट म्पनी ने की थी। मुम्बई की त्रासदी और आतंकी घटना के बाद 20 हजार बुलेटप्रूफ जैकेट्स अंजनी टैक्नोप्लास्ट उस कम्पनी से खरीदने के लिए फैसला मई, 2009 में लिया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा गाइड और अन्य सुरक्षा बलों को ये बुलेटप्रूफ जैकेट्स उपलब्ध कराई जाती

हैं। उसकी भी जांच होनी चाहिए, लेकिन कई बार जब मुठभेड़ हुई हैं तो हमारे सुरक्षा बलों के जवान उसमें शहीद हुए हैं। अभी 59 हजार बुलेटप्रूफ जैकेट्स के ताजा टेंडर को अगर जोड़ दें तो सी.बी.आई. ने तमाम जगहों पर पूछताछ की है। फिर 59 हजार बुलेटप्रूफ जैकेट्स खरीदने के लिए आदेश दिये गये हैं तो मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार इसमें संज्ञान ले। इस प्रकार की बुलेटप्रूफ जैकेट्स के कारण जब मुठभेड़ होती हैं तो हमारे जवान शहीद होते हैं। जब उसकी जांच होती है तो पता लगता है कि बुलेटप्रूफ जैकेट्स नकली थीं।

यह बहुत बड़ा घोटाला है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार की तरफ से इसका जवाब आये कि इस तरह के जो हमारे देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल हैं, जिसमें खुफिया एजेंसी की सूचना में भी चूक होती है तो इस को सरकार गम्भीरता से ले और तमाम जो जानें गई हैं, सुरक्षा में चूक सम्बन्धी मामले में जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाये जायें, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार इसको गम्भीरता से संज्ञान में ले। धन्यवाद।

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं गुजरात के बारे में एक गम्भीर प्रश्न उठाना चाहता हूं।

गुजरात अपना स्वर्ण जयन्ती उत्सव मना रहा है। गुजरात के 50 वर्ष इस वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर गुजरात सरकार ने एक बड़े पैमाने पर महोत्सव का, स्वर्णिम गुजरात का आयोजन किया है। पहली मई को अहमदाबाद में स्वर्ण जयन्ती का एक भव्य समारोह हो रहा है। इस समारोह को गुजरात सरकार के तहत आयोजित किया गया है। लोक प्रतिनिधि और समग्र लोगों का इसमें पूरा का पूरा सहयोग है। यह एक जन-आन्दोलन है, यह सिर्फ रंगारंग कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इस कार्यक्रम के तहत गुजरात के मुख्यमंत्री की प्रेरणा से लोग विविध प्रकार के संकल्प ले रहे हैं और गुजरात को विकास की एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दृढ़संकल्प हैं। महोदया, मैं खेद के साथ आपके माध्यम कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा उत्सव होने पर भी जिसे गुजरात राज्य का ग्रोथ इंजन आजकल माना जा रहा है और इतने बड़े पैमाने पर उत्सव हो रहा है, लेकिन केंद्र के तहत जो दूरदर्शन काम कर रहा है, उसने किसी प्रकार से इस ओर ध्यान नहीं दिया है। उसकी उपेक्षा ही की गयी है। मेरे विचार में यह निंदनीय है। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बड़े पैमाने पर उत्सव हो रहा है, इस उत्सव में महामहिम राष्ट्रपति जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी शुभेच्छायें जतायी हैं। इसलिए इसको अच्छी तरह से टेलीकास्ट किया जाना चाहिए, ताकि इसको गंभीरता से लिया जा सके, क्योंकि यह एक इंपोर्टेंट ईश्यू है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य श्री राम सिंह राठवा और श्री महेंद्रसिंह पी. चौहाण अपने को डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी द्वारा उठाए गए विषय के साथ एसोशिएट करते हैं।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

श्री पोन्नम प्रभाकर (करीमनगर): मैडम स्पीकर, मैं बीएसएनएल को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। बीएसएनएल और एमटीएनएल की गली से लेकर दिल्ली तक सर्विस है, लेकिन उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कभी-कभी किसी एमपी को फोन मिलाते हैं और बगल में एमपी होते हैं, तो भी दिस नंबर इज नॉट एग्जिस्टिंग बताता है। पूरे देश में ऐसी स्थिति है। प्राइवेट सैक्टर में जो नयी कंपनीज आयी हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होने के बावजूद भी आर्गेनाइजेशन स्किल में वे लोग ज्यादा आगे चल रहे हैं। बीएसएनएल और एमटीएनएल के पास इतने एसेट्स हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट है, लेकिन इतना सपोर्ट होने के बावजूद भी बीएसएनएल के लिए कोई डिसीजन सही तरीके से नहीं हो रहा है और पर्टिकुलरली कनेक्शन और कनेक्टिविटी के बारे में प्राब्लम हो रही है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से कंसर्न मिनिस्टर के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इसके लिए आपकी सोच होनी चाहिए, क्योंकि बीएसएनएल देश के हर गांव तक पहुंचने की कनेक्टविटी का माध्यम है। इसको अच्छी तरीके से चलाने के संबंध में मेरी रिक्वैस्ट है। यहां जो मेंबर्स मौजूद हैं, वे भी इसके साथ एसोशिएट करेंगे और मिनिस्टर के ऊपर दबाव डालेंगे, ऐसा मेरा मानना है।

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): महोदया, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। मैं बुंदेलखंड से संसदीय क्षेत्र जालौन के गरौठा भोगनीपुर क्षेत्र से चुनकर आया हूं। हमारे यहां लगातार कई वर्षों से कम वर्षा के कारण सूखा पड़ा हुआ है और पानी का स्टेटा बहुत नीचे चला गया है। तालाब, नहरें पोखर, नदी, बांध और कुएं आदि सब सूख चुके हैं। जनजीवन में पीने के पानी का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। नदी और नहरों का पानी पूरी तरह से सूख गया है। वहां का स्टेटा नीचे जाने की वजह से हैंडपंपों ने पानी देना बंद कर दिया है।

* Not recorded

माननीय अध्यक्षा जी, वहां जो मवेशी जानवर हैं, वे मरने लगे हैं। किसानों के जानवर मर रहे हैं। स्थिति यहां तक गंभीर है कि जंगलों के भी जानवर मरने लगे हैं। साफ पानी पीने के लिए लोगों को दूर से पानी लेकर आना पड़ता है। हमारी मातायें और बहनें रात-रात भर जगकर पानी के लिए हैंडपंप की लाइन में खड़े होकर पानी लेती हैं। जो हैंडपंप पानी दे रहे हैं, वहां रात-दिन भारी हुजूम लगा रहता है और पानी मुश्किल से वहां के लोगों को पीने के लिए मिल पा रहा है। हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि ऐसी गंभीर पेयजल की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, तत्काल तुरंत पेयजल योजना को लागू करके पूरे बुंदेलखंड में एवं हमारे संसदीय क्षेत्र जालौन, गरौठा और भोगनीपुर में तत्काल कम से कम प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुसार तीन-तीन, चार-चार हजार हैंडपंप शीघ्र लगवाने का कष्ट करें। जिससे कि वहां के गंभीर संकट को दूर किया जा सके। वहां लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। भोजन से तो लोग काम चला लेंगे, लेकिन पानी के बिना काम नहीं चल रहा है। वहां बहुत गंभीर स्थिति है। वहां अकाल की स्थिति है। वहां लोगों में उदासीनता है और लोगों में रोष पैदा हो गया है। सरकारों, जनप्रतिधियों एवं अधिकारियों के प्रति भी आक्रोश व्याप्त है। इस आक्रोश को ध्यान में रखते हुए हमारे पूरे बुंदेलखंड और संसदीय क्षेत्र जालौन, गरौठा, भोगनीपुर में आठ हजार हैंडपंप शीघ्र लगाए जाएं। ये चाहे बुंदेलखंड पैकेज से लगवाये जाएं। चाहे संसदीय कार्य मंत्री जी अलग से कोई ऐसी योजना बनाएं जिससे वहां के मौजूदा संकट को हल किया जा सके और वहां पेयजल का संकट दूर हो सके। इससे हम सरकार के आभारी रहेंगे। यदि ऐसे पेयजल के संकट के समय पर पीने के लिए पानी की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है तो निश्चित तौर पर वहां के लोग आपके आभारी रहेंगे तथा हमारा क्षेत्र आपका आभारी रहेगा। पहले लोग हमारे क्षेत्र में सूखे के कारण भूख से मर रहे थे, लेकिन बुंदेलखंड में अब लोग प्यास से भी मरने लगे हैं।...(व्यवधान) पीने के पानी के अभाव में हजारों जानवर मर गए हैं।

मैं पुन: निवेदन करूंगा कि इस पर सरकार विचार ही नहीं करे बल्कि इसे तत्काल लागू करे, काम करे, तभी वहां के लोगों का कल्याण होगा और तभी हम मानेंगे कि सरकार बुंदेलखंड तथा हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र के प्रति संवेदनशील है।

श्री रतन सिंह (भरतपुर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं भरतपुर से आता हूं जो राजस्थान का पूर्वी द्वार है और उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा से लगा हुआ है। इसकी दिल्ली से सीधी लगभग 130 किलोमीटर है। भरतपुर के अतिरिक्त अलवर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र में सम्मिलित किया हुआ है जिससे वहां सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास और रोजगार के अवसर सुलभ हो रहे हैं। लेकिन भरतपुर, आगरा, मथुरा, हरियाणा की सीमा और अलवर के पास होते हुए भी अभी राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र के लाभ से वंचित है। वहां रोजगार के अवसर नहीं हैं, आधारभूत सुविधाओं का उचित विकास नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय नगरीय विकास मंत्री जी से पुरजोर प्रार्थना करता हूं कि भरतपुर को भी अन्य जिलों की तरह राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए और वे सब सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं जो अन्य जिलों को राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र में मिल रही हैं। इससे भरतपुर में रोजगार के अवसर मिलेंगे और आज आबादी का जो निष्क्रमण हो रहा है, वह रुकेगा। इससे एक लाभ यह भी होगा कि दिल्ली में आबादी का जो घनत्व बढ़ रहा है, उसमें कमी आएगी।

13.37 hrs.

NATIONAL GREEN TRIBUNAL BILL, 2009 - Contd.

MADAM SPEAKER: Let us now take up item No.15. Shri Shailendra Kumar may speak now.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे राष्ट्रीय हरित अधिकरण विधेयक, 2009 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस पर पक्ष और विपक्ष के सम्मानित सदस्यों द्वारा चर्चा हो चुकी है।

13.39 hrs.

(Dr. M. Thambidurai *in the Chair)*

माननीय मंत्री श्री जयराम रमेश जो अधिकरण विधेयक बिल लेकर आए हैं, मैं इन्हें बधाई देना चाहूंगा। अब तक लगभग पांच हजार ऐसे मामले पूरे देश में लंबित पड़े हुए थे जिनकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन राष्ट्रीय हरित अधिकरण विधेयक से एक आशा और उम्मीद जगी है। आपने देश में बैंचेज स्थापित करने के लिए जो संख्या दी है, मेरे ख्याल से वह कम है। ठीक है, अभी अधिकरण की शुरुआत हो रही है, लेकिन इसके बाद मैं चाहूंगा कि देश के स्तर पर बैंचेज बनाई जाएं ताकि लंबित मामलों का निपटारा हो सके। आज अगर वनों और प्राकृतिक संसाधनों की तरफ गौर से देखा जाए, तो मेरे ख्याल से सरकार ने बहुत कुछ किया है, लेकिन तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जो आज देश स्तर पर जनहित में हैं, वे लंबित पड़ी हुई हैं। कहीं-कहीं पर एनओसी लेने की जो बात होती है, उसमें बहुत देरी होती है जिससे वे योजनाएं लंबित पड़ी रहती हैं। मैं नहीं जानता, क्योंकि उसमें एक एक्सपर्ट कमेटी है, जो उसकी देख-रेख करती है। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारी राष्ट्रीय प्राकृतिक सम्पदा का संरक्षण और उसकी देख-रेख हो, ताकि उसे भी नुकसान न हो और पर्यावरण को भी खतरा न हो। इस ओर भी हमें ध्यान देना होगा। लेकिन बहुत सी ऐसी परियोजनाएं हैं, जो जनहित में हैं, उन्हें भी हमें स्वीकृत करना चाहिए।

मैं याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि मेनका जी बैठी हैं, मैं जानता हूं कि उनको अफसोस होगा और वे एतराज भी करेंगी। हमारे यहां नील गायों का बहुत आतंक है। ...(व्यवधान)

श्रीमती मेनका गांधी (आंवला): वे हिरन हैं। ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : हम उन्हें हिरन ही मान लेते हैं। आज किसान जो फसल लगाता है, वे भारी संख्या में झुंड़ में आकर, खासकर जो फूल-फली है, उसी को खाता है। इससे किसान तबाह हो जाता है। ...(व्यवधान)

श्रीमती मेनका गांधी : उसका उपाय है, जिसे मैं अभी बताऊंगी। ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : उसका उपाय है, लेकिन किसान इतना तबाह हो रहा है, जिसका कोई इंतहा नहीं है। मैं जानता हूं कि आप जो उपाय बतायेंगी, वह भी बहुत मुश्किल होगा। उस उपाय को भी लोगों ने किया है, लेकिन उससे निजात नहीं मिल पायी। मेरे ख्याल से इस ट्रिब्यूनल में, किसानों को जो हानि या क्षति हो रही है, उनके केस जरूर जायेंगे। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वे ऐसा रास्ता निकालें, जिससे हमारे जानवर भी संरक्षित रहें और किसानों का भी उसमें नुकसान न होने पाये।

दूसरा, तमाम ऐसी नदियां और छोटे-छोटे नाले हैं, जिनको संरक्षित करने की जरूरत है। आज नदी-नालों के अलावा हमारी कांस्टीटूएंसी कौशाम्बी में एक अलवारा झील है, जो चार हजार एकड़ में है। उसमें बारिश का पानी बारह महीनों रहता है। जब ज्यादा ओवर फ्लो होता है, तो वह पानी बहकर यमुना नदी में चला जाता है। हमने जिले और प्रदेश सरकार से एक परियोजना बनाकर सरकार को भेजी है। उस झील की कम से कम संरचना हो, उसे संरक्षित रखा जाये और इसके लिए केन्द्र सरकार से कोई बजट जाये। खासकर जाड़ों के मौसम में वहां पर बहुत से विदेशी पक्षी आकर वास करते हैं। लेकिन हम आज तक कुछ नहीं कर पाये हैं। वह लावारिस हालत में है। वहां बहुत से शिकारी भी शिकार करते हैं, इसलिए हमें इस ओर विशेष ध्यान देना होगा।

सभापति महोदय, अभी हमने समाचार पत्रों में देखा कि बाघों के संरक्षण के लिए देश बहुत चिन्ता कर रहा है। बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं, जो लुप्त होने के कगार पर हैं। बहुत से ऐसे पशु-पक्षी हैं, जो लुप्त होने के कगार पर हैं। उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। अब वनों में जो वास करने वाले लोग हैं खासकर जो घुमंतू बिरादरी के हैं। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ने उन जंगलों में वास किया है और जंगल को ही अपना सब कुछ समझा है, आज उन्हें विस्थापित करने की बात हो रही है। एक तरीके से उनके अधिकार को हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। हम इस पक्ष में नहीं हैं कि जंगल को काटा जाये या जंगल को कोई नुकसान हो। मैं भी उत्तर प्रदेश सरकार में वर्ष 1988 में वन मंत्री था। मैं जानता हूं कि नैशनल कार्बेट पार्क, दुधवा नैशनल पार्क, लखीमपुर खीरी पार्क आदि तमाम ऐसे जंगल हरिद्वार में थे। वहां पर भी हमने जाकर देखा था। उनका डेलीगेशन हमसे मिला था। वे चाहते हैं, उनके कहने का मतलब है कि जंगलों से ही हमें सब कुछ मिला है और हम यहां दो-चार-छः पीढ़ी से यहां रह रहे हैं, लेकिन हमें विस्थापित करने की बात

कही जा रही है। अगर उन्हें विस्थापित करना है, तो उन्हें आप कम से कम मकान और रोजगार दीजिए, क्योंकि उनका पूरा जीवनस्तर, जीवनयापन उसी जंगल से ही चलता है। यह भी सोचने की जरूरत है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ऐसे तमाम तरीके की शिकायतें और बातें इस ट्रिब्यूनल में आयेंगी। आपको गंभीरता से यह भी सोचना है कि पर्यावरण से हमारा समाज स्वच्छ रहे।

हमारे जंगल संरक्षित रहें, वहां जो जंगली जानवर हैं, उनकी भी संरक्षा और सुरक्षा होनी चाहिए। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे जो नेशनल हाइवेज हैं, या जो राज्य की डिस्ट्रिक्ट सड़कें हैं, जो अच्छी हालत में बन रही हैं, उनके बगल में भी वृक्ष लगाने की जरूरत है जिससे पर्यावरण शुद्ध हो और उन वृक्षों को सरकारी संरक्षण में लेकर संरक्षित करना होगा। आज हम देखते हैं कि नेशनल हाइवेज के किनारे एक रो में पेड़ लगे हैं, अगर दूसरी और तीसरी रो में भी पेड़ लगे हैं, तो उनकी कटाई हो रही है। उसे हमें रोकना होगा। इसके लिए वन विभाग का पता नहीं क्या मानक है? हम उन पेड़ों को कटते हुए देखते हैं, चाहे यूकिलिप्टस के पेड़ हों या अन्य पेड़ जैसे रेशम के कीड़े का पेड़ हो, उनकी कटाई हो जाती है। पूछने पर बताया जाता है कि इनसे यातायात में बाधा पड़ती है, रोशनी कम आती है, इसलिए इनकी कटाई की जा रही है। मान लीजिए थोड़े-बहुत पेड़ लग गए हैं, पुराने और मोटे पेड़ हैं, तो उनकी कटाई नहीं होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर, नेशनल हाइवेज की जमीन पर वे पेड़ लगे हैं, उनकी सुरक्षा और संरक्षा करनी होगी। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, इस राष्ट्रीय हरित अधिकरण विधेयक, 2009 का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN : I would request the hon. Members to be very brief about this Bill because the hon. Minister has to reply. At 3.30 p.m., we are going to take up the Private Members' Business. Therefore, before that, we want to complete it. Hence, I request the hon. Members to be very brief on this topic.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Sir, I thank you very much for giving me an opportunity to speak on this Bill. I would like to compliment the hon. Minister and his Ministry for bringing forward this Bill. I stand here in total support of the Tribunal but there are a few queries in my mind. I do not doubt his integrity or intentions in bringing forward this Bill. I feel the Bill needs to be strengthened in respect of a few topics which I would like to highlight. Since the time is very less, I would just come to the points.

In the context of the Law Commissions 81st to 86th Reports, there was a suggestion that the Tribunal has to be in every State so that it is more accessible and quick in disposing the matter. That is not found here. The Tribunal is going to be in the East, West, North and South only – in the four regions. So, the accessibility of the Tribunal is really not going to reach the end person who really needs access to it.

Secondly, Clause 14 of the Bill says that the power to settle disputes, if it involves a substantial question relating to environment, is relating to Schedule-I. Schedule-I specifically does not cover ecology, wet lands and lakes. All these do not come under the term "pollution". So, I would urge upon the hon. Minister to guide us. The whole idea of getting this Tribunal in this specific Bill is about the right to live. He is talking about the right to live. If he is talking about the right to live, it takes beyond food and livelihood. It is about air, water, environment and everything. So, this particular point in Clause 14 does not cover the entire meaning in the constitution of it. The hon. Supreme Court has specifically said that environment has to come in this. So, I would definitely like him to clarify it and enlighten how this issue will be covered.

The other point is about civil courts. The civil court was an option for people before the Tribunal happened. Now, this has been removed because of the Tribunal. So, if a person in any part of rural India likes to make an intervention about his environment, he may not be able to go to a Tribunal. Would this be really the right way to go forward? The accessibility to the civil court has been

totally diluted. Would the civil courts be considered to be brought in again? It is not possible for every person to go to the Tribunal and then go straight to the Supreme Court. Anyway, it is a double-edged sword. If you take it into two phases, you go to the Tribunal and then straightaway to the Supreme Court. For a big company, it could be a very easy option but I am not sure a common man can go quickly to a Tribunal or a High Court. It is an option for him to, at least, prolong or delay the process but it can be used either way by both the parties. If you could kindly clarify this point, I would be happy.

The other point is, the power of framing schemes does not exist which the Supreme Court had before in respect of the Environment Ministry when they used to take decision on this. It is like environmental solutions. If you remember, when the issue of the Taj Mahal came, they said that the colour was changing. There was a policy decision taken by the Supreme Court. All the businesses which were there were moved out.

So, it was an environmental solution which the hon. Supreme Court gave. Will this tribunal be able to support, monitor and do a follow up? I say this because it is not just a case one gas leak or water getting polluted in an area. Suppose this happens somewhere and there is effluent coming out, should there not be a monitoring system? Even if you go to the court, the Supreme Court would monitor it, but I feel this is lacking in this Bill. This is a very important thing and this is more applicable to chemical zones. There are a lot of chemical zones in this country. If you see the State where I come from, in Maharashtra most chemical zones are near rivers. So, after all the pollution damages that they have caused, do we have an option of shifting those plants from there? Could that be an option? We will have to review this entirely and it is more for the chemica zones. I think environmental solutions are extremely crucial for this tribunal.

The other thing is about moulding the requirement of relief. When we talk about civil courts, the civil courts do not have the option of doing it. Take the case of Bhopal Gas Tragedy where repercussions had come out much later. Suppose

something happens today and you do not know what the repercussions are going to be for 5 or 10 years and if there is a requirement of moulding the relief, will this tribunal have the right to do it? That is the clarification I am looking to get from the hon. Minister because environment is about nature, it is not about suing one party or the other and the issue ending there. It is about long-term consequences which are going to affect the whole society.

Then, I would like to make a point regarding *amicus curiae* because these are environmental issues and they need very specific interventions. We need super speciality people to come and make interventions. So, would this tribunal, like the Supreme Court used its brains, help them research? Would this tribunal have this option which will help them study the matter about the ground reality and not just go by reports made by people?

There is one more point about strict liability about hazardous effects. There is no strong reaction because there are a lot of people who do a lot of business and they promise a lot of things. For example, as it happened in the case of Bhopal Gas Tragedy where they said that they considered everything and they gave an assurance, but always there can be freak accidents. So, when dealing with such cases, I feel the company has to pay for the consequent damages that they cause. So, there has to be extremely strict liability clause for that purpose in this Bill.

The other two things which are missing in this Bill are the doctrine of public trust and inter-generational equity. I think when these projects are taken up, they are long-term projects, they are not there just for 5 or 10 years, they are there for generations ahead and generations have paid a price because sometimes, people there start having upper respiratory track infections. That is the first reaction to air pollution and after 5 or 10 years, you realise that the entire block there is suffering from cancer. There have been such instances and the hon. Minister is very much aware of these situations. So, does the Minister think that this Bill has covered these issues?

The last point that I would like to make is about the appointment of Chairperson and other Members of this Tribunal. There are a lot of Government people involved. Clause 5 (2) (b) says:

> "…has administrative experience of fifteen years including experience of five years in dealing with environmental matters in the Central or a State Government or in a reputed National or State level institution."

If you are having 10 people, all the people could be from the Government and it could be a Government-dominated body. So, how are you going to keep a fine balance? I am not insisting that there have to be NGOs and I am not defending the NGOs. But you really need to have people who really work on the field. We have a great Minister right now who thinks that environment is a big deal. We all need to realize that. But there can be changes at all levels. The intention of the Bill is very good. But how are we going to make sure that the people involved in this tribunal also feel the same way?

I am sure the hon. Minister will clarify these points. I thank the hon. Minister for bringing this Bill. We all talk about the issue of global warming and climate change and at least India being a participant in the global negotiations, I am sure, will definitely make a difference to this country.

SHRIMATI MANEKA GANDHI (AONLA): Mr. Chairman, Sir, environmental crimes are the most serious crimes in the world, not only because they hurt you immediately but they hurt all the generations to come. Mining, poisoning the rivers for gold panning, throwing sewage into the water, opening polluting industries and ignoring all the current laws whether from brick kilns to chemical factories, damming rivers just to give money to contractors, allowing inappropriate factories near forests, allowing inappropriate hotels outside sanctuary areas, allowing the sale of polluting consumer goods like firecrackers for instance, the sale of flooring material that have clearly come from destroying hill ranges like the Aravallis, the export of leather and minerals, these are genocidal crimes, no less than war by a few upon the whole of India. To treat them so lightly as civil issues rather than criminal ones and allow the polluter to pay his way, probably from the same money that he has earned by polluting the area, is cynical and shows collusion with the enemy.

Before I start, I am going to talk about the Minister. The Minister is like a rain upon the desert as I said before. We have waited for 20 years for a good minister and he and I share the same values. We have had 20 years of contract driven Ministers or Ministers who did not understand what they were doing. To have a person who uses his brains, which is just commonsense, is like *manna* on the desert. However, Jairam and I share most values.

13.56 hrs.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

The only difference between us is that I am so passionate about India, I want everything done today, yesterday and Jairam wears his passion like a cloak which he takes off and puts on when he changes Ministry. I would urge him that he could be the best Minister in the entire Cabinet but he is in a very ticklish position. If he is good at his job, he has the contractor driven lobby baying for his

head for more dams, more roads, more cutting of trees, more encroachment, and more killings and if he is bad at his job, he has the whole of India to spit on him as they have on environment ministers in the previous 20 years. He has generations of children who will remember him as the bogeyman. So, he is stuck between a rock and hard place. In this case, he needs to wear his passion and to do things quickly.

This Tribunal does not really reflect the person that Jairam is and I am going to point out a few things which could make it better. None of these things that I propose have come from my mind. They are the *crux* of 40-50 environmental study groups that have put themselves together to see what is wrong with the Bill and what can make it better.

We have had two absolutely useless Bills before this on the same lines which never ever matured into anything. We need to have one good Bill. The National Green Tribunal Bill 2009 that would judge environmental issues was introduced on 31st July 2009. This establishment of a National Green Tribunal has been done for the effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection and conservation of forests and other natural resources, but it will have the same powers as a civil court. It will subsume various State level authorities that address environmental issues as well as committees created by the Supreme Court for that purpose.

It comes in response to the 186th Report of the Law Commission of India on the proposal to constitute under the NEAA Act 1997 for the limited purpose of providing a forum to review administrative decisions on environment. Unfortunately, the implemented NEAAs have remained dysfunctional as no judicial member has been appointed since 2000. If the Minister really wanted, he could have made these tribunals work because it is the Executive who has made them fully inoperative, instead this new Bill that he is bringing in which is flawed.

So far as the National Environmental Tribunal Act is concerned, the legislation has yet to be notified after eight years. Since it was enacted by

Parliament, the Tribunal under the Act is yet to be constituted. These two Tribunals are non-functional and remain only on paper, in which case this is an important Bill.

If it had been conceptualized to provide safeguards to the poorest of poor communities in the face of a rapacious attack on their resources it might have been approached differently. But it seems to be yet another mechanism to give jobs to bureaucrats.

Now, I would take its clauses one by one. Some of the amendments have already been made by the Minister. Some of them seem simply cosmetic like changing one year to two years. Three of them seem all right. I would recommend the following:

The appointment of experts: The intent of most appointed bodies can be judged from its composition and on that score the Bill fares poorly. The proposed composition of the Tribunal follows a tried, tested and failed track. Anybody who has read the Bill is bound to wonder, as did all the NGOs, whether it is meant to be a club for retired IAS officers and technocrats.

As it stands, the expert members of the Tribunal would need "administrative experience of fifteen years including five years experience in dealing with environmental matters in the Central or State Government or in a reputed national or State level institution."

14.00 hrs.

This is an undisguised code for the 'Job for the Boys' programme that all senior retired bureaucrats join. For instance, if I wanted a job in the Tribunal, I do not have any of these administrative experiences. What prevents Rajendra Singh or Medha Patkar, or people who have actually done a huge amount of work in environmental protection? They cannot join the Tribunal even though they have the experience, and even though they have the passion. After all, Supreme Court Judges are not born knowing the law. What they do sitting at the Supreme Court is to have an eye for truth, an eye for justice, and common sense which is what anybody working on the ground has. But you have excluded us from this by saying administrative experience of 15 years, 5 years experience in dealing with environmental matters in the Central or State Government. What would you count as experience? Bureaucrats are changed every three years. They are really neither learned nor educated in anything they do. It is simply a matter of passing files around. Why not give an appointment or the ability to get appointed, the window of opportunity to people who have actually worked in environmental management?

All earlier attempts in handling environmental problems through the NEAA and other bodies have failed because their control was left in the hands of bureaucrats. Had such appointees been competent, those Government Departments or institutions where they served would surely have been instrumental in protecting the environment, which is clearly not the case, which is why you need a Tribunal. In fact, it is the colossal failure of the administration that has creating the compelling logic for the Tribal.

What would be infinitely better is for the Tribunal expert members to be of technical and scientific background, experts in public health, occupational health, social science with relevant experience in environmental and occupational health or with qualifications for its membership. There is no provision in this Bill for ecologists, environmentalists, hydrologists and anybody from civil society or

NGOs who have been active in the field of environment to become a member. This should be changed.

Moreover, a Tribunal member can join a corporate house whose case he might have dealt with within two years of demitting office. You have changed it from one year to two years. It is a dangerous proposition that harms transparency and impedes Tribunal independence. The House panel feels that judges should not be allowed to take up Directorship of any concern or be associated with any industrial house.

Even worse, the shortlisting of candidates will be done by the Ministry of Environment and Forests. We know the kind of pressure that is put on them to select weak or vicious people with no integrity or value, either irrelevant retired bureaucrats or technocrats in search of re-employment.

This is what should be amended. There should be a transparent process of appointment of members and Chairman. There should be a noted environmental lawyer or jurist as a member. No bureaucrats should be there as expert members. In fact, a specific clause that anyone working in MoEF or any Ministry whose decisions are subject matter before the court, cannot be included. If we need these great experts, they can be called in for advice. They can be *amicus curiae* if they like. The word 'expert' as qualified by the Bill is expert in science, engineering, technology, and having administrative experience. Is it the only thing that makes you expert? How about people who have spent their lives in the field working with cold logic to get justice? The field should be open to anyone who has dealt with environmental matters in the field. As I said, I, for one, would like to be a member. What amendment can you put in to include people like me? Obviously, by including NGOs, civil society organisations, wildlife scientists, ecologists, the Bill will have meaning, please amend this Bill.

Then I come to the second clause, that is, restrictions on who can approach the Tribunal. There is an amendment here, which is a good amendment. It says that any person aggrieved including any representative body can file an application. Judicial and quasi-judicial institutions cannot be strong if only a few people conveniently selected by the authorities are allowed to approach them. Moreover, since the courts have recognised that since environment falls within the purview of Article 21, it is clear that all persons have a duty to protect the environment and a corresponding right to question the adverse impact on environmental health. The Bill ignores this principle.

In Clauses 14 to 16 it is given that the Tribunal is only allowed jurisdiction in those cases considered substantial. And this word 'substantial' has been qualified to mean the community at large rather than individual or a group of individuals, and the damage should be grave. That is an extremely serious error. The Tribunal judges what is substantial without any qualification.

When does a group of individuals become a community? Would 50 remaining *Jarawa* tribals qualify as a community or group of individuals when their forests are cut down by loggers? Does the individual not deserve protection or does he have to wait until everyone suffers as much as him? Leaving the judging of the issue to the Tribunal to decide whether the group is large enough or the issue is grave enough is ridiculous. Let us suppose I live in a lane of six houses which has three *peepal* trees and a company comes in and cuts them down. This would seem so small to the Tribunal but it is life and death to that lane. Also much of the pollution is non-point and has many sources. So, these words – substantial, grave, broadly measurable – should be removed.

What should the Bill add? All issues arising out of non-implementation or compliance of approval conditions should be a subject of the Bill. This is one of the main grievances, as you have with all the mining cases that you have taken action on. They take the approvals for a small patch of land and then destroy an

entire district as in Karnataka, Andhra and Rajasthan. You have no compliance mechanisms. Why do you not make this Bill one of your instruments?

Why is the Bill in Clause 15 restricting itself to just providing compensation and perhaps restitution of property? Does this make sense – after the companies have finished mining, the tribals will get some money from them and black empty holes in the ground laid waste as restitution? The Bill has cut off prospective activity which includes environmental damage. An amendment is needed here to include prospective damage rather than simply retrospective jurisdiction. Has the Ministry not heard of the word 'precautionary' principle? Obviously it has because that is one of the amendments that it has brought in, and that is well done. But prevention of pollution is the most important way to protect the country. The Ministry has protected itself by refusing to give the Tribunal the teeth to challenge its decisions. While I am fairly sure that there would be very little need to challenge Shri Jairam's decisions, we have had Secretaries like Ghosh and Ministers like Mr. Balu and Mr. Raja and Mr. Meena and Mr. Kamal Nath who march to different drummers. Therefore, the Bill should be amended to give it powers to review a statutory authority's exercise of judgement. The courts are subject to review of their decisions. Why not a Ministry or an Expert Appraisal Committee? Bring in an amendment for review of abuse of authority or failure of application of mind. Then, you will see that Government clearances will survive vested interests. … (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

SHRIMATI MANEKA GANDHI : Sir, I am going to take ten minutes more.

According to Clause 15, the Tribunal can give compensation to the victim but it cannot quash the approval granted. Is that right? What does this mean? So, I can keep giving money in the air notionally to the forest dweller but I cannot stop the mining licence. In which case, what is the point of this Bill? On the one hand, the Bill can give compensation to individuals; on the other hand it prevents them from approaching the Tribunal because the licence is made *pacca*. So, basically

this Bill is neither fish nor fowl and will help polluters carry on their business while giving money to the victims. Either the drafting is poor or this is a deliberate attempt to make something useless again.

Has the Bill got any real power? … (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आपका समय समाप्त हो गया है।

SHRIMATI MANEKA GANDHI : Sir, I am afraid, you will have to give me some time because this Bill is really very important. … (*Interruptions*) मैं अभी दस मिनट और लूंगी। मैं आपसे माफी चाहती हूं, क्योंकि मैं एक्सीड कर रही हूं। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल पांच मिनट में समाप्त करिये।

SHRIMATI MANEKA GANDHI : Has the Bill got any real power? The proposed enactment does not have the power to stall any project that caused damage to environment. It can act only when the damage is done by dealing with the origin of pollution. It also fails to hold the polluting companies criminally liable for their acts of omission and commission such as the Bhopal's industrial disaster or, God forbid, any nuclear accident.

One of the significant amendments proposed in the new draft is that decisions of the Tribunal can be challenged in the Supreme Court. The earlier draft said that the Tribunal's decisions would be final and binding. The amendments still do not address some core concerns. For instance, the Bill is vague about the Tribunal's mandate and states that it will deal, as I said before, with substantial questions. That means, it will only look at single point sources of pollution and not cases where there are multiple points.

Should this Tribunal not have the power to act for the protection and cancel environmental clearances, if necessary; provide incentives to individuals who work as eyes and ears to nature and wildlife? Why should it penalize alert NGOs and civil society for raising their voice? Should it not have the power to issue contempt of court notices to polluting companies?

Clause 18(e) is another bizarre clause which says that among the people who can file for relief/compensation or settlement is " any representative body or organization functioning in the field of environment". This is highly problematic. There is no reason why only an environmental organization can file appeals before the Tribunal. Why not human rights organization, public health institutions, labour groups or plaintiffs? Why should the ‘permission of the Tribunal' be needed before applications are filed before it?

This portion of the Bill should simply be deleted, before it heads inevitably towards a constitutional challenge in the Supreme Court.

All Indians are affected by a pollution problem and when their rights are taken away. For instance in Kutch where companies have come and drilled deep wells in the ground and robbed hundreds of villages of their ground water. Is that not a Human Rights problem as much as environment ? If an authority takes away a forest and substitutes it with an iron ore company in Orissa, is that not a Human Rights problem?

The rights of social organizations to approach the Tribunal should be expanded because at the moment the provisions are draconian. In 18(e), it is written: “A number of institutions need not be 'representative' or even working in the field of environment and yet be concerned about environment loss.” This line has to be amended if justice is to be served.

When can we approach the Tribunal? Limiting the period of accountability: Section 14(3) of chapter III in the Bill deals with Tribunals jurisdiction. It reads: “no application for adjudication of dispute under the Section shall be entertained by the Tribunal unless it is made within a period of six months on the date of which the cause of action for such dispute first arose".

It is not clear why there should be such a restriction. Disputes can arise at any time, and it is silly to expect that only those that arise in the first six months should be entertained by the Tribunal. The Bill is also silent on where it should

take disputes that rise beyond this window time. If I miss the six months window, where should I go?

Similarly, Section 15 (3) say: "No application of grant of any compensation or relief or restitution of property or environment under this Section shall be entertained by the Tribunal unless it is made within a period of five years from the date on which the cause of such compensation or relief first arose". The adverse effects of so many public health hazards -- silicosis, asbestosis, radiation exposure, chemical exposure, for instance -- take more than five years to manifest themselves.

Therefore, this fixed boundary of five years should be removed, or the Bill should specify who will be liable for adverse effects discovered beyond this time limit. Where should the people of Bhopal go?

Section 16, that deals with the appellate jurisdiction of the Tribunal in the matter of "any person aggrieved" by orders or decisions of the Tribunal or National Biodiversity Authority or State Bio Diversity Board, under the stipulated provision of the NTG Bill, the person aggrieved can file an appeal." within a period of thirty days from the date, which I think, you have amended now to 60 days, on which the order or decision or direction is communicated to him"

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRIMATI MANEKA GANDHI : I beg leave for another minute.

The period of filing the appeal is too short, and should be extended to sixty days, as often individuals are prevented by unavoidable situations from filing appeals within 30 days.

Therefore, clause 16 needs to be amended to remove or liberalize the time frames

The last thing is an implicit threat to petitioners. Section 22 (2) of the Bill reads: "Where the Tribunal holds that a claim is not maintainable, or false or vexatious, the Tribunal may make an order to award costs, including lost benefits due to any interim injunction." This provision, according to all the NGOs who has

studied it, is very discouraging. In general, the courts (Tribunal in this case) always have a general right to impose costs of trials and others costs upon petitioners or the accused. This is taken for granted.

There is no need to include this explicitly in Section 22(2) because it will deter people who are poor, concerned citizens, from bringing in any environmental issues before the Tribunal, fearing the imposition of heavy costs in case a claim is disallowed.

In any event, the correct way to tackle this is for the Tribunal to decide whether *prime facie* the claim made by the petitioner is allowed before it, and whether any defendants have a fair amount of explaining to do. If this is done right in the beginning, there is no need for imposing any costs of trial or punitive costs at the end of the trial.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRIMATI MANEKA GANDHI : I would thank you for giving this opportunity.

I would like Mr. Jairam Ramesh to bring in these amendments. You and I are on the same side. Long after we have gone, this Tribunal might hold up to protect India and take some of the pressure off to make Environmental Ministers honest and efficient. Otherwise, there is no other protection we will have, except this Bill. I would urge you to accept these amendments which are in the interests of India.

श्री प्रदीप टम्टा (अल्मोड़ा): महोदय, आपने मुझे इस बिल के ऊपर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीए सरकार का सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, इन तीन के बाद यह चौथा, हैल्दी पर्यावरण का अधिकार आज इस देश के लाखों, करोड़ों लोगों को मिलने जा रहा है। देश के विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से आर्टिकल 21 का जो भी इन्टरप्रिटेशन किया गया, जीने के अधिकार को एक हैल्दी अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया। मैं यूपीए सरकार को और विशेषकर माननीय एनवायरमेंट मिनिस्टर को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि एक बहुत ही क्रान्तिकारी, बहुत ही दूरगामी बिल आज इस देश की पार्लियामेंट में आपके द्वारा लाया गया और पास हो रहा है। बहुत लंबे समय के बाद इस देश ने और दुनिया ने, जब आज ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, भूमंडलीकरण की बात हो रही है, एनवायरमेंट पर खतरे की बात हो रही है, एक समय दुनिया के नक्शे में पर्यावरण को बचाने का कोई अर्थ नहीं था। लोग पर्यावरण को कोई महत्व ही नहीं देते थे। विकास ही केंद्र का मुख्य बिन्दु होता था। विकास और पर्यावरण को एक-दूसरे का विरोधी, एक-दूसरे के खिलाफ समझा जाता था। आज उस हद को पार करके पूरी दुनिया डेवलपमेंट और एनवायरमेंट, इन दोनों को एक-दूसरे का पूरक, एक-दूसरे का साथी समझकर, दुनिया के अंदर पर्यावरण को बचाने के लिए और विकास को साथ लेकर चल रहे हैं। स्टाकहोम वर्ष 1972 के बाद, रेडियोडीजेनेरो के बाद, न्यायालय के निर्णयों के बाद, देश की स्टैंडिंग कमेटी के बाद, सुप्रीम कोर्ट बाद, इन तमाम निर्णयों के बाद हम इस बिल की ओर आये हैं। इसके द्वारा इस देश के पर्यावरण को बचाने के लिए, वैसे भी देश का कानून कहता है, देश का संविधान कहता है कि यह राज्य का दायित्व है, राज्य को पर्यावरण को भी बचाना है, राज्य के जंगलों को भी बचाना है और इस हित में यह बिल बहुत महत्वपूर्ण कारक होगा। यह मैं आज समझ भी रहा हूं। पिछले दो-तीन महीनों से बहुत से विषयों के संबंध में इस देश की संसद में बहुत सी बहसें आयी हैं। आज इस देश में जिसके ऊपर सबसे ज्यादा दबाव है, जो सबसे अर्थपूर्ण भी है, इस देश के पर्यावरण मंत्रालय पर है। देश के फॉरेस्ट मिनिस्टर पर तमाम तरह का दबाव भी है। देश के अंदर बड़ी-बड़ी कंपनियों का जंगलों के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है, आज झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, उड़ीसा के अंदर, जो कोर इंडस्ट्री हैं, जो हमारा फॉरेस्ट का एरिया है, वहां पर पैनीट्रेट करना चाहते हैं। जहां इस देश के लाखों, करोड़ो आदिवासी हैं।

महोदय, अभी कुछ समय पहले मैं गंगा के दर्शन करने के लिए कानपुर गया था। बिट्ठूर में जब मैंने गंगा को देखा तो मुझे यह नहीं लगा कि यह नदी है। वह नदी नहीं थी, एक नाला था। जिस गंगा का अस्तित्व इस देश की सभ्यता, संस्कृति में है, लाखों लोगों की श्रृद्धा कुंभ में है, उस नदी को कोई नहीं देख रहा है। आज हमारे सामने यह एक पूरा बिल जंगलों, पर्यावरण को बचाने के लिए आया है, हवा को बचाने के लिए आया है। आज इस देश को तय करना पड़ेगा कि विकास की इस 50-60 साल की दौड़ के बाद हमने क्या पाया, क्या खोया? यह हमारे जंगलों, पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। मैं अभी जीरो ऑवर में किसानों के ऊपर सुन रहा था, हमारे वहां भी, मैं उत्तराखंड से आया हूं, वहां के किसानों की मांग है कि जंगलों से जानवर आ रहे हैं। सवाल यह है कि इन 60 सालों में, इंसान और वाइल्ड लाइफ, ये दोनों एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। ये दोनों एक-दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए सक्षम हैं। हम अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सक्षम हैं। उनके राइट के प्रोटेक्शन के लिए हमने कुछ नहीं किया है। जंगलों के जानवर आज शहरों की तरफ आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस बारे में भी हमें सोचने की आवश्यकता है। क्या जानवरों के हितों को प्रोटेक्ट करना हमारा फर्ज नहीं है। हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की सोचते हैं, जबकि उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है।

मैं मंत्री जी को अपनी तरफ से बहुत-बहुत बधाई देता हूं। सिर्फ प्राणियों को बचाने का सवाल नहीं है, सिर्फ जंगलों को बचाने का सवाल नहीं है, इस देश की नदियों के अस्तित्व को बचाने के लिए आपने उत्तरकाशी और पाला मनेरी भटपरस्त दो जलविद्युत परियोजनाओं को स्थगित किया है, 850 मेगावाट बिजली की परियोजना को निरस्त किया है, यह बहुत बड़ा कदम यूपीए सरकार ने उठाया है। एक नए सिरे से इस सवाल को सोचने का समय है, इस देश की जो नदियां है, इस देश का जो पानी है, क्या ये सिर्फ विद्युत परियोजनाओं के लिए है? देश के लाखों-करोड़ों किसान सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के लाखों-करोड़ों किसान इस पर निर्भर हैं, खेती इस पर निर्भर है, उनके परिवार इस पर निर्भर है। यह पानी किसी सरकार की देन नहीं है, यह ईश्वर की कृति है। इसे प्रोटेक्ट करना है। इस कदम के लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तीसरी योजना के लिए पर्यावरण मंत्री जी ने जो समिति बनाई है, उस तीसरी योजना को भी निरस्त करने की जरूरत है। मैं सदन में अर्ज करना चाहता हूं कि हमें विचार करना पड़ेगा कि पूरे हिमालय क्षेत्र में नदियों पर जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, चाहे डैम के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे रन आफ दि रीवर के प्रोजेक्ट्स हों, इन पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। उत्तराखंड की सरकार पहले कहती थी कि गंगा को बचाना है, वे धार्मिक उन्माद को पैदा करती थीं और आज विकास के नाम पर जब आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है, तो वे कहते हैं कि इससे विकास अवरुद्ध हो जाएगा। मैं

तमाम राज्य सरकारों से भी अनुरोध करना चाहता हूं और यह भी चाहता हूं कि हमें पूरी तरह से विचार करना पड़ेगा कि नदियों के आगे पर्यावरण और पानी है, जो देश के लोगों का मूल अधिकार है, उस पर्यावरण को दूषित करने के लिए नदियों के किनारे जितनी भी फैक्टरियां लग रही हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। प्रदूषित करने वाली जितनी भी फैक्टरियां हैं, उनके लिए सख्त कानून बनाना पड़ेगा। उनके ऊपर भी चैक लगाना होगा। आपने स्थायी समिति के दस सुझावों को मंजूर किया, मैं उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। पहले इस बिल में यह प्रोविज़न था कि देश में अलग-अलग समय में यह कानून लागू किया जाएगा, लेकिन आपने पूरे देश में एक बार लागू किया है। इसी तरह से पहले जो एनजीओ केवल पर्यावरण से संबंधित थीं, उन्हीं को हस्तक्षेप करने का अधिकार था, आपने उस दायरे को भी खत्म कर दिया है। इसका भी मैं स्वागत करता हूं। शेड्यूल एक में इन्कलूजन और एक्सक्लूजन का अधिकार ब्यूरोक्रेसी को दिया गया है, मेरी यह मांग है कि यह केवल संसद के माध्यम से ही किया जाए ताकि संसद की पकड़ उस पर बनी रहे।

महोदय, वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में लागू हुआ था। वर्ष 1980 में ही उत्तराखण्ड में जंगल बचाओ आंदोलन और चिपको आंदोलन चला था। इन आंदोलनों के परिणामस्वरूप ही देश में कनज़र्वेशन एक्ट आया था। जिसके लिए हम श्रीमती इंदिरा गांधी के बहुत-बहुत आभारी हैं।

महोदय, आज सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इस देश में कोई न कोई ऐसी लॉबी है जो इस पर्यावरण संरक्षण एक्ट में संशोधन चाहती है। एक खिड़की यहां से मिल रही है। पहले मैं भी सोच रहा था कि इस संरक्षण एक्ट में किसी अपील का अधिकार नहीं होता था, आज यह ग्रीन ट्रैब्यूनल को दिया जाए, यह हमारा डैमोक्रेटिक अधिकार है। लेकिन जिस तरह का देश में माहौल बन रहा है, देश के मुख्य जंगलों पर लोगों की नजर है। आर्टिकल 48ए के अनुसार राज्य का दायित्व है कि वह पर्यावरण और जंगलों की रक्षा करेगी। लेकिन इस समय देश के सबसे रिच फॉरेस्ट्स, जहां आंदोलन चल रहे हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। आज हम पर्यावरण संरक्षण एक्ट में संशोधन करके ग्रीन ट्रिब्यूनल बना रहे हैं, यह जो हम नई खिड़की खोल रहे हैं, इससे कहीं ऐसा न हो कि हिमालय और इस देश के जंगलों का नुकसान न हो। मैंने बहुत सी बहसों में सुना है कि जो कोर फॉरेस्ट एरिया हैं, जो नेशनल पार्क हैं। वहां पर भी बहुत सी पावर सैक्टर का दबाव है, जिसका यहां जिक्र भी आया है। कहीं ऐसा न हो कि ग्रीन ट्रिब्यूनल के माध्यम से फोरेस्ट कंजरवेशन एक्ट में थोड़ा सा डायल्यूट हो जाए, इसे बचाना है। अगर इसमें किसी भी तरह की डायल्यूशन होगी तो मैं समझता हूं कि इसमें हमारा सारा प्रयास बहुत ही नेगेटिव दिशा की तरफ चला जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस बिल का बहुत स्वागत करता हूं, यह बिल इस देश के राइट टू एजुकेशन, काम के अधिकार के साथ,...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री प्रदीप टम्टा : इस देश को हेल्दी पर्यावरण देने का बहुत बड़ा अधिकार दे रहा है, इसके लिए मैं ग्रीन ट्रिब्यूनल बिल का स्वागत एवं समर्थन करता हूं।

*SHRI C. SIVASAMI (TIRUPPUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the National Green Tribunal Bill, 2009. In order to ensure the growth of economy of a country, we need to have both, agricultural growth and industrial growth. A country can really develop only when agriculture and industry grow. When industries grow, there is bound to be a damaging affect both on the land resources and water resources. The industrial waste can cause pollution in so many ways and ground water degradation is the worst form of it. This is a natural corollary where we get succumbed to air pollution, water pollution and noise pollution.

This Bill has been contemplated to bring certain redressal way out to those people and industries who are affected by pollution due to industrialization. This National Green Tribunal Bill is a welcome measure. This Tribunal will provide certain remedy to those who are affected by environmental pollution. This is an after-thought move extending benefit to those who suffer due to after affects. But it would be better we take enough of precaution and preventive measures well in advance so that there is not much of fallout due to pollution. Prevention is always better.

In Tamil Nadu, Tiruppur is an industrial town popular for several knitting industrial units. Annually, Rs. 10,000 crore worth of foreign exchange is earned by the garment units. This industrial town is earning industriously this huge amount as foreign exchange for the coffers of our Union Government. Tiruppur, Karur, Erode, Dindigul, and Vellore are towns where industrial effluents from dyeing units and tanneries are causing great pollution and concern. But at the same time, we must have to come to terms with the reality that these hundreds of units are providing jobs to thousands of workers and lakhs of people dependent on them. The great threat of pollution to ground water is a hard reality. In order to get effluent treatment plants, that will help avoid polluting the ground water.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil

We, on behalf of AIADMK, under the able guidance of our hon. chi Thalaivi Amma raised this issue on the floor of this House to draw the attention of the Government. The Government did pay heed to our demand and had set apart Rs. 200 crore in this year's budget for setting up an effluent treatment plant in Tiruppur. I would like to record our sense of gratitude.

Not only in Tamil Nadu, wherever we find threat to ground water potential due to industrial activity and effluents, the Centre must come forward to extend grant-in-aid to such industry to help overcome the problem of treating the industrial waste and effluents. This will help the country in a big way to conserve ground water potential without getting polluted. This will help us to overcome the problems that may accrue to the people which result in litigations and taking both the parties to tribunals that are being created through the passage of this Bill.

If we could take enough of preventive and precautionary measures, such a need to knock at the doors of courts and tribunals may not arise. At this juncture, I would like to offer a suggestion to this Government to widen the depleting green cover and forest areas. We must preserve nature with its pristine glory. To achieve this, we need to have 33 per cent of our landmass to be covered with thick vegetation and forest cover. Day by day deforestation is on the increase. We must arrest this trend. We need to make great efforts to widen the forest cover. This can be achieved with the help of farmers to whom we can liberally extend grants and provide subsidy. If farmers are encouraged to grow fruit trees, like mango, amla, guava and coconut in a big way, it would help both the ways. Thick vegetation will be on the increase while providing remunerative post-harvest occupation to the farmers. When the cultivable lands are also diminishing because of factors like realty and industrial activity, this can be a viable alternative to help overcome the natural calamity that may befall due to inevitable pollution caused by industrialization.

India is an agricultural country and hence, it would be better to go in for greater green cover in the vicinity of our cultivable lands. Our farming pattern

must change. Cultivation of crops will go on with cultivation of plants and trees, like mango, amla, guava and coconut. This will help us to save mother nature extending the much needed green cover in the country. In order to go ahead with this in a big way, we need to involve our farmers by offering them incentives like grant-in-aid and subsidies.

When this Green Tribunal is formed, we must ensure that adequate protection is given to the tribal people living in the forest areas carrying on with their traditional occupation. Their livelihood should not get affected. They must be assured of their daily earning. This is very much necessary to see that those people who can help nature without exploiting it are protected. This Green Tribunal must include nature-lovers and people who have got great concern for environmental protection. Only then we would be able to ensure that environmental pollution and degradation are stalled. We must involve our people to save environment.

With these words, I conclude and thank you.

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय, जिसकी इस देश को बहुत आवश्यकता थी, जिस पर भारत सरकार कानून बनाने जा रही है, पर बोलने और सुझाव देने का मौका दिया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण विधेयक, 2009 पर सदन में बहस हो रही है। अपनी बात कहने से पहले मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज इस देश को जिस सबसे बड़ी वस्तु की आवश्यकता थी और जिस कानून की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, वह इसी की थी। इस राष्ट्र और देश के पर्यावरण को बचाने के लिए जिसकी आवश्यकता थी, उसके लिए आप सदन में बिल लेकर आए हैं।

महोदय, पर्यावरण के बारे में सर्वोच्च न्यायालय में संघर्ष लम्बे समय से चला आ रहा था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रकार से भारत सरकार के अधिकांश अधिकारों को, केस की सुनवाई के माध्यम से, अपने हाथों में लेने और मॉनीटरिंग कमेटी बनाने का काम किया और शायद उसी के माध्यम से पर्यावरण की हिफाजत अभी तक चल रही थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भारत सरकार को यह भी निर्देश था कि इस संबंध में एक कानून बनाया जाए, ताकि पर्यावरण की हिफाजत हो सके।

महोदय, संयोग से मैं बिहार राज्य में, 15 सालों तक वाटर रिसोर्सेस का मिनिस्टर रहा हूं। जब इस राष्ट्र की जल-नीति बन रही थी, तो उसकी जो सब-कमेटी थी, मैं उसका भी मैम्बर था। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पर्यावरण का एक मूल विषय पानी, जल यानी वाटर है, लेकिन जब इस देश की जल-नीति बन रही थी, जब वॉटर पालिसी बन रही थी, तो उसमें पानी के उपयोग की प्राथमिकता में पर्यावरण भी है, यह वाक्य ही नहीं था। मैंने लगातार 10 बैठकों में, यहां तक कि भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने भी इस सवाल को उठाया था कि पानी केवल ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, पानी केवल सिंचाई, बिजली और उद्योग के लिए नहीं है, बल्कि पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता पर्याप्त और शुद्ध पानी है। यदि हमने पानी को पर्यावरण की प्राथमिकताओं में नहीं रखा, तो शायद इस देश का भला नहीं होगा।

महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं। जल नीति में चौथी प्राथमिकता में पर्यावरण को रखा गया है। मेरा कथन था कि ड्रिंकिंग वाटर एक ऐसा सब्जैक्ट है, जिसकी उपयोगिता है। लोगों को यदि पीने के पानी की आवश्यकता है, तो उसे हर हालत में देना होगा, लेकिन सैकिंड प्रायर्टी हमारे पर्यावरण को दी जाए, तो ठीक रहेगा। ऐसा नहीं हुआ। सैकिंड प्रायर्टी इर्रीगेशन को, थर्ड प्रायर्टी इनर्जी को और चौथी प्राथमिकता पर्यावरण को दी गई। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि यदि हमारी नदियां ही जिन्दा नहीं रहेंगी, तो हमारे पर्यावरण का क्या हाल होगा। यदि हमने सिंचाई के लिए नदियों को सुखा डाला, यदि हमने नदियों

को जलाशयों में कैद कर डाला और यदि हमारी नदियां ही जिन्दा नहीं रहेंगी और उनकी वहीं मृत्यु हो जाएगी, तो हमारी इकौलौजी का क्या होगा। लोग, पानी, नदियों और जलाशयों को देख कर ही अपना निवास बनाते हैं। इन्हीं के किनारे हमारी सारी सभ्यता बनी और विकसित हुई है। हमारे सारे बड़े-बड़े शहर नदियों के किनारे पर हैं। आज उनकी क्या दुर्दशा है, यह आपको पता है। आज जब हम पानी का प्रयोग करने चलते हैं, तो पर्यावरण को दिमाग से निकाल देते हैं। भले ही पूरी नदी सूख जाए, लेकिन उसके पानी को खेतों में डाल देते हैं। माननीय मंत्री जी, सरकार की ओर से भी खतरा पर्यावरण को है।

विकास और पर्यावरण यदि दोनों एक साथ नहीं चले तो पृथ्वी ही नहीं बचेगी, उस पर रहने वालों का विकास करके कोई क्या करेगा। मनुष्य के लिए विकास की आवश्यकता है, उसका पेट भरने के लिए, उसको जीवन चलाने के लिए उसकी समृद्धि और उन्नति आवश्यक है, लेकिन इस धरती को, पृथ्वी को पर्यावरण के खतरे में डालकर नहीं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। नदियों से बालू निकाला जाता है। यह नदियों का बालू नदियों का जीवन है, पानी के फिल्ट्रेशन का काम करता है। यदि हम नदियों से बालू को हटा लें तो केवल कादो और कीचड़ बचेगा। नदियों में बचा कादो और कीचड़ पानी को फिल्टर नहीं कर सकता है। यही साफ पानी हमारा ग्राउण्ड वाटर है, हमारा पीने का पानी है, लेकिन कभी भी इस पर सोच नहीं हुई कि हमारी नदिया में बालू को कितना गहरा रहना चाहिए, कितनी मोटाई रहनी चाहिए। हमारे पानी के फिल्ट्रेशन के लिए हमारी नदियों से बालू की मात्रा क्या रहनी चाहिए।

मैं एक-दो उदाहरण के साथ कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी, आपने अपने विभाग को शायद अनुशासित किया है। मैं पांच साल बिहार का पर्यावरण मंत्री भी रहा हूं और जो मैंने देखा...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको दिया गया समय पूरा हो गया है, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री जगदानंद सिंह : मैं अपने दल का एकमात्र वक्ता हूं और अन्त में आपने मुझे बोलने के लिए पुकारा। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन मुझे अपनी बात तो कहने दी जाये। अगर इस तरह से बातें होंगी कि अन्तिम वक्ता और कोई बात भी न कहे। तीन दिन से यह बहस हो रही है, माननीय मंत्री जी चौथे दिन भी, पांचवें दिन भी आपकी बहस जा सकती है, यदि इस महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन को आप विश्वास में लीजिए। केवल आपकी बात सुन लेने से इस कानून में परिवर्तन-परिवर्धन नहीं हो जायेगा। यदि हमारे मैम्बर पार्लियामेंट की बात आप नहीं सुन पाएंगे तो हो सकता है कि आपकी नीयत अच्छी हो, लेकिन कानून में खोट रह जायेगा। मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं।

हमारा जो बिहार का बाल्मिकि टाइगर प्रोजैक्ट है, यह वर्जिन फोरैस्ट है। वहां पर आपके विभाग ने, भारत सरकार और केन्द्रीय मंत्रालय ने माइनिंग की अनुमति दे दी, जबकि आपका कानून कहता है कि हम

कभी सैंचुरी में एक खरपतवार भी नहीं छूने देंगे। हम आदिवासियों को भी तेंदू का पत्ता नहीं तोड़ने देते, लेकिन सैंकड़ों सालों से वहां माइनिंग हो रही थी। हमने फोरैस्ट मिनिस्टर की हैसियत से जब उस पर रोक लगाई तो वह आदमी दिल्ली केन्द्रीय सरकार के सामने चला आया। मेरी बहस से मुझे याद है कि मैंने उस समय के फोरैस्ट मिनिस्टर से कहा था कि हम केन्द्रीय कानून लागू करने वाले लोग हैं, लेकिन जो हमारे अधिकार बने हैं, उसमें केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उस समय भी भारत सरकार ने, केन्द्रीय सरकार ने बिना राज्य सरकार की अनुमति के माइनिंग की अनुमति दे दी थी। उसमें मुझे सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा। यदि सी.ई.सी. ने राहत नहीं दी होती तो हम उस वर्जिन फोरैस्ट को नहीं बचा पाते। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने मंत्रालय को निश्चित ही अनुशासित करेंगे, वरना भारत में बने हुए जितने कानून हैं, उन कानूनों में खामियां नहीं हैं, कानूनों में कमी नहीं है...

उपाध्यक्ष महोदय : अब इनकी बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

(Interruptions) ... *

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मंगनी लाल मंडल। माननीय सदस्य आप भी समय का ख्याल रखें। बोलने वाले सदस्य काफी हैं और आप लोगों ने नाम दिये हैं तो बुलाना तो है ही।

* Not recorded

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कई सप्ताह से यह विधेयक जबरदस्त कसरत करता रहा है कि कब अन्तिम परिणति तक यह विधेयक पहुंचेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि आज अन्तिम परिणति में यह विधेयक पहुंच गया है। सरकार का इस पर उत्तर होगा और फिर इसे पारित कराया जायेगा।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं, लेकिन इस विधेयक के कुछ प्रावधानों के बारे में मैं कुछ कहूं, उससे पहले 2-3 बातें मैं यहां रखना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं। जब से इस विभाग का कार्यभार इन्होंने संभाला है, पर्यावरण के मामले में सरकार के अंदर भी और सरकार के बाहर भी एक जबरदस्त चेतना की लहर पैदा हुयी है। इसके लिए मैं श्री जयराम रमेश जी को व्यक्तिगत रूप से बधाई देता हूं। उनको धन्यवाद देता हूं कि पर्यावरण के लिए उन्होंने एक संकल्प किया और एक बीड़ा उठाया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से दो तीन बातों की ओर इनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूं। बीटी बैगन के बारे में पिछले दिनों जबरदस्त हंगामा सारे देश में हुआ। माननीय मंत्री जी ने बीटी बैगन का समर्थन किया। यद्यपि इस मामले में अभी स्थगन है। कई राज्यों ने भी इसका विरोध किया है। इनके तर्क का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन तर्क के पीछे जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि को मैं सामने लाना चाहूंगा। इन्होंने तर्क दिया है कि जनसंख्या बढ़ रही है। इन्होंने सही बात कही। खाद्यान्न की जबरदस्त आवश्यकता होगी, इन्होंने यह बात भी सही कही। इसीलिए जो बीटी जेनेटिक है, हिंदुस्तान को इसको एडॉप्ट करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए और उसका उत्पादन करना चाहिए।

उन्होनें बीटी कॉटन का उदाहरण दिया कि बीटी कॉटन के यील्ड में इससे जबरदस्त वृद्धि हुयी है। यह कॉटन है। कॉटन पहना जाता है, खाया नहीं जाता है। ठीक है कि पर्यावरण का असर उस पर भी होता है, लेकिन माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि कृषि मंत्री से और अन्य विभागों से इनका पर्यावरण के मामले में को-आर्डिनेशन होगा, जो होता ही है। दुनिया के कई देशों में जहां बीटी जेनेटिक का, आनुवांशिक बीटी का उत्पादन अंगीकार नहीं हुआ है, वहां प्रति हेक्टयर यील्ड खाद्यान्न, इंडिया से चार गुना ज्यादा है। जो बीटी आनुवांशिक उत्पादन है, जिस पर ये जोर दे रहे हैं, कृषि विभाग से बात करके, क्योंकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में चीन हमसे आगे है और भी कई देश हमसे आगे हैं, इसलिए इस पर जोर देना चाहिए। जो बीटी बैगन और बीटी कॉटन है, खाद्यान्नों के मामले में जो इनका अनुसंधान हो रहा है, उसके अनुसंधान पर भी ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए।

एक वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में इनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आईपीसीसी पर बड़ा जबरदस्त हंगामा हुआ। जो वैज्ञानिक अनुसंधान हमारा पर्यावरण के मामले में है, इसमें हमको विनिश्चय होना चाहिए, नहीं तो दुनिया के देशों में हमारी हंसी उड़ेगी, जैसी हंसी अभी ग्लैशियर के मामले में हुयी है। यह कहा गया कि इतने वर्षों में ग्लेशियर संपूर्ण रूप से पिघल जाएगा। आईपीसीसी के चेयरमैन ने कह दिया कि हमारा वैज्ञानिक अनुसंधान यह कहता है। यद्यपि जयराम रमेश जी ने अपनी असहमति व्यक्त की, लेकिन बाद में चेयरमैन का इन्होंने बचाव किया। इसीलिए मैं पर्यावरण मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो आनुवांशिक उत्पादन है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान है, पर्यावरण से संबंधित इन सब मामले में भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। पकड़ ढीली नहीं होनी चाहिए और इसको भी आपको विभाग की परिधि में लाना चाहिए। मैं दो बातें कहना चाहूंगा कि कि चीन में प्रतिवर्ष चार मिलियन हेक्टेयर वन की वृद्धि हो रही है, यह बात माननीय मंत्री जी जानते हैं। हमारे यहां एक आइडियल है कि जो पूरा हमारा भौगोलिक क्षेत्र है। उसमें 33 प्रतिशत फारेस्ट होना चाहिए, जो अभी 20-21 प्रतिशत के लगभग है। हम इसमें 0.04 पर्सेंट के हिसाब से बढ़ रहे हैं। हो सकता है, हमारा आंकड़ा कम हो, जबकि चीन बढ़ रहा है, चार मिलियन प्रतिवर्ष के हिसाब से। हमारे यहां जो डी-फारेस्ट्रेशन हुआ है, इसमें वृद्धि होनी चाहिए। हम विकास के मामले में चीन के मॉडल को एडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उसके पर्यावरण के मॉडल को भी एडॉप्ट करना चाहिए। चीन में जाकर कहा है कि कोपेनहेगेन में हम दोनों ने गलबाहीं की है, हम दोनों एक साथ हैं, घेंट में घेंट हमने मिलायी है। घेंट में घेंट का मतलब यह जानते हैं या नहीं, यह मुझे नहीं पता है, लेकिन विशुद्ध हिंदी शब्द है कि गर्दन में गर्दन को जोड़ देना, घेंट में घेंट मिलाना। आपने चीन में जाकर इसे कहा है, तो पर्यावरण के मामले में भी इस बात को एडॉप्ट करना चाहिए।

मैं दो बातें और कहूंगा, उसके बाद विधेयक पर आऊंगा।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अभी विधेयक पर नहीं बोल रहे हैं?

श्री मंगनी लाल मंडल : यह विधेयक की पृष्ठभूमि है, चूंकि विधेयक कई कानूनों की पृष्ठभूमि को लेकर आया है। जब विधेयक कई कानूनों की पृष्ठभूमि लेकर आया है, तो मुझे भी माननीय मंत्री जी को विधेयक की पृष्ठभूमि के बारे में अपनी बात कहने दीजिए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सिर्फ यह आग्रह कर रहा हूं कि आप समय का ध्यान रखें।

श्री मंगनी लाल मंडल : मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। महोदय, जब आप चेयर पर होते हैं तब हमें ज्यादा नहीं बोलने देते हैं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो समय निर्धारित है, उसी हिसाब से बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री मंगनी लाल मंडल : ठीक है, मैं दो बातें और कहकर विधेयक पर आऊंगा।

मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक समाचार आया है कि केरल में चमगादड़ विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि वहां साल में एक बार धार्मिक उत्सव आता है, तो बड़े पैमाने पर उसका संहार होता है। यह संहार इसलिए होता है कि चमगादड़ को मारकर जितना उसका भक्षण करेगा, वह समझता है कि धार्मिक रूप से स्वर्ग में जाएगा। मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि केरल सरकार से इस मामले में पूछना चाहिए और इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए।...(व्यवधान)

मैं दिल्ली के बारे में ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। दिल्ली के फुटपाथों पर पेड़ लगे हुए हैं। दिल्ली में पेड़ों की संख्या दिनों-दिन घटती जा रही है। कुतुब मीनार से साकेत की तरफ जो सड़क जाती थी, पहले उसके दोनों किनारे पेड़ लगे हुए होते थे, लेकिन अब दुकानें बन गई हैं। वे दुकानों इललीगल नहीं हैं, अनअथोराइज़्ड नहीं हैं, अथोराइज्ड हैं। उसी तरह जब कैप्टन एरिया में कोई पेड़ सूखता है तो उसकी जगह कोई न कोई दुकान बन जाती है, चाहे दवाई की दुकान हो या फल की दुकान हो। मैं कहना चाहता हूं कि शहरी मंत्रालय से बात करके उन्हें इसके बारे में बताना चाहिए।...(व्यवधान)

महोदय, आप घंटी बजा रहे हैं, इसलिए मैं बिल पर आता हूं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शुरू में ही बिल पर बात करने के लिए कहा गया था।

श्री मंगनी लाल मंडल : मैं अभी बिल की पृष्ठभूमि पर बोल रहा था। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोल रहे हैं कि मैं बिल पर आ रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री मंगनी लाल मंडल : मैं बिल के क्लॉज पर आ रहा हूं। 1995 और 1997 के अधिकरण के बारे में जो कहा गया है...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, बिल को पास भी करना है।

श्री मंगनी लाल मंडल : अगर आप कहें तो मैं बैठ जाता हूं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बैठने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि संक्षेप में बोलने क लिए कह रहे हैं।

श्री मंगनी लाल मंडल : मैं यही बात कह रहा हूं। मैं एक और बात का उल्लेख करके अपनी बात समाप्त कर दूंगा। पृष्ठभूमि की अनुसूची में सात कानून जो पहले बनाए गए थे, उनका उल्लेख है। बिल की धारा 33(1) में पार्लियामैंट के अधिकार को हड़पने का प्रयास किया गया है। धारा 33 (1) में कहा गया है - केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, अनुसूची 1 का पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के

उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संसद द्वारा अधिनियमित किसी अन्य अधिनियम को उसमें सम्मिलित करके या उसमें पहले विनिर्दिष्ट किसी अधिनियम का उसमें से लोप करके संशोधन कर सकेगी। किसी कानून में संशोधन करने की पावर पार्लियामैंट की है। इस बिल की धारा 33(1) में सरकार कह रही है कि अनुसूची एक में जो सात कानून हैं, उस कानून के प्रोवीजन से हम इसमें संशोधन करेंगे। अब तक सरकार को यह अधिकार होता है कि जो कानून बनेगा, उसके अनुसार रूल्स बनेंगे और उन रूल्स को पार्लियामैंट में ले करना होगा। लेकिन सरकार को यह अधिकार कभी नहीं है कि जो कानून पहले से है, उसमें संशोधन करने का अधिकार इस बिल द्वारा ले सके। इसलिए मैं समझता हूं कि यह संविधान सम्मत नहीं है, संविधान के प्रावधान के विपरीत है। मैं सरकार से इस पर स्पष्टीकरण चाहता हूं।

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Respected Deputy Speaker Sir, today we are discussing about the National Green Tribunal Bill, 2009 in this august House. I want to mention at the very outset that there are a few shortcomings in this Bill; it is actually lacking in certain powers. Suppose you have a forest in front of your house and that is being cleared off. There is no provision in this Bill to stop this deforestation beforehand. Once an incident has already taken place, one can approach the tribunal, not before that. Thus it is clear that the Bill does not provide for any anticipatory power. At the most you can have a kind of post mortem but you cannot prevent any incident from occurring. So there are certain anomalies here.

Secondly, this tribunal should be endowed with the power of contempt of court; otherwise the decisions of the tribunal will not be followed and implemented effectively.

Thirdly, a judge can be appointed as the chairman of the committee which will be constituted but there is no mention of the eligibility of other members of the committee. The Government will have the sole right to select them. And this will convert the committee into a state machinery. The Government can act according to its own whims and fancies. Therefore persons who are renowned environmentalists, jurists, experts, writers or social activists should the chosen impartially to carryout the functions. The bureaucrats must not interfere in its functioning. If that is not done then it will become a state – run arrangement.

There is a provision in the Bill whereby, within 6 months of any incident, appeal should be made to the tribunal. If the matter is more important then a grace period of two more months will be available. But the ground reality is something different. The workers or labourers who toil hard in coal and iron mines work in pathetic condition in dark and damp atmosphere. It is thus often found that after 2 to 3 years these people fall sick, they are plagued by various diseases. So I demand that the window period for appeal should be extended by at least 3 years instead of 6 months.

* English translation of the speech originally delivered in Bengla..

Article 21 of the constitution confers the Right to Life upon the citizens of the country. Similarly we should incorporate the Right to Clean Environment in this Bill. Though it is an integral part of Right to Life, it has not been recongnised by the Bill under consideration.

Sir, it has also been said that the Tribunal Court will deal with substantially big cases. So the people who are to oppose the tribunal might raise the issue of firstly determining whether the cases are really substantial and important or not. Therefore if a case goes to the tribunal, it will become highly time consuming. This will be a genuine problem.

It is also not very clear that where will this tribunal function from. Thus sir there are so many issues which need to be addressed before we go about with the Bill. The issues relate to the environment, to the people of this country and are not to be overlooked.

I had a lot to say but due to paucity of time I am winding up my speech but would urge upon the Hon. Minister to look into these aspects sincerely. With these words I thank you and conclude my speech.

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me an opportunity to participate in the debate on the National Green Tribunal Bill.

I have got basically four points to make and I will try and complete this within the stipulated time.

If there is one word in this which has some significance, it is the word 'green'. Why was it not called ecological or ecology or environment? It is because 'green' encompasses a larger meaning in this particular context. So, I welcome the National Green Tribunal Bill.

However, under clause 2 (1) (a), it is given:

> " 'accident' means an accident involving a fortuitous or sudden or unintended occurrence while handling any hazardous substance or equipment, or plant, or vehicle resulting in continuous or intermittent or repeated exposure to death, of, or, injury to, any person or damage to any property or environment but does not include an accident by reason only of war or civil disturbance;"

So, it is pertinent to note that the seemingly innocuous italicized words above denote that despite the worst experiences of industrial disaster, the National Green Tribunal Bill promotes strict liability over absolute liability that has formed the basis of environmental governance in India.

In M.C. Mehta *vs.* Union of India, the Oleum gas leak case, the Supreme Court examined the concept of strict liability as prevalent in England, laid down in the English case Rylands *vs.* Fletcher and found it to be irrelevant and unacceptable in the Indian context. The Supreme Court, therefore, laid down the principle of absolute liability. It is well said but I do not want to go into that because it will take too much of time.

It is, therefore, clear that the jurisprudence in this area of law has evolved to the extent that there are no exceptions or defences available to a hazardous industry when an accident occurs. The Bill by carving out exceptions such as war and civil disturbance, either of which has been defined in the Bill, is seeking to turn the clock back on the evolution of environmental jurisprudence in India.

There are other issues like the substantial question relating to environment. I will not get into that because that has been dealt with by other Members. What I would now like to take up is the recommendations of the Law Commission.

The recommendation of the Law Commission, at page 145 of its 186th Report, was that exemplary costs be awarded where the application or appeal was frivolous and vexatious. Such a power might not be entirely inappropriate in a few cases where the suits are brought in bad faith or without credible basis. But where the Tribunal has the power to impose costs for a false case, costs might easily be imposed merely because the Tribunal reached a different interpretation of the law or fact than that presented by the claimant, no matter whether it was filed in good faith or not. Ordering costs against impoverished litigants will dissuade them and other litigants from filing claims before the Tribunal. Such a power must be exercised sparingly.

Finally, Sir, I would like to bring to the notice of this House that the North-East and the Eastern Himalayas is a bio-diversity hot spot. So, in the implementation of this Bill and Bench has to be made available in the North-Eastern region.

With these words, I thank you for giving me this opportunity.

SHRI BIBHU PRASAD TARAI (JAGATSINGHPUR): The aim and object of National Green Tribunal Bill is to dispose of cases relating to environment, environmental protection, conservation of forests and other natural resources including enforcement of any legal right relating to environment and giving relief and compensation for damages to persons and property. But the form in which this Bill is being introduced and if it is not modified or amended then it will be dangerous and detrimental for the poor and tribal people.

The Bill clearly says that the tribunals shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure 1908 and shall be guided by natural justice. In our country, more than 65,000 civil cases are pending before a number of civil courts. What will be the fate of these cases? What will be the fate of the poor farmers and tribal people who have taken shelter before the civil courts? On the one hand, for industrial growth we are transferring the land to the multinational companies, corporate houses and industrial houses.

15.00 hrs.

On the other hand, we evict the poor farmers and tribal people. We have been cultivating the land for more than 50 to 60 years. It is a burning issue in my Constituency. More than 4000 families have been cultivating more than 10,000 acres of barest land in Mahakalpada block of Kendrapada district. They are landless and poor people. Now the Department of Forest is taking stringent action against them to evict them from this land. At the same time, in my Constituency, the Government has given forest clearance for the POSCO project and around 3600 acres of forest land have been transferred to the POSCO company. Will this Tribunal safeguard the interest of the poor people or will it keep the interest of the multinational companies and industrial houses? Article 21 of the Constitution says that the right to health and environment has been construed as the right to life. We should think about the right to livelihood. We should look after the livelihood of the poor farmers and tribals.

If we see the composition and structure of the Tribunal, it will have the retired judges of the Supreme Court as also the retired Chief Justices of High Courts. If this is so, then this Tribunal will be the court of corruption. So, we should see that the sitting judges should be appointed instead of retired judges.

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill.

I welcome the National Green Tribunal Bill. Due to the recommendations of the Law Commission regarding environment cases, we have to dispose of these cases quickly. In fact, the Green Tribunal Bill has been introduced by our Government. The Tribunal gives relief and compensation for the damages to the persons and also for property. This Bill deals with civil cases only. I want to say that the preservation of forests is very important.

15.03 hrs.

(Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

At the same time, the development work is also important. Many developmental works related to forest areas are pending for a long time. Both development and preservation of forests and environment are essential. They must go hand-in-hand. Then only our development can be improved.

I live in Western Ghat areas near Cuttivalim, Papanasam and Manimutharu. In these areas, once upon a time, there used to be dense forests. People are not allowed to enter these areas. No permission is given for any hydel project or road project. We are waiting for a long time for construction of Papanasam-Trivandrum link road in the Western Ghat areas. But they have not allowed it. Even after that there is a heavy deterioration and depletion in the dense forest. What is the reason? The anti-social elements are cutting the forests. The Green Tribunal Bill must give solution to protect such forests. I would submit that this is a very important point.

Sometimes wild animals come down from these forests and enter the nearby villages. They damage the cultivable crops. The farmers depend upon cultivation of banana, sugarcane and various other crops.

People are cultivating various crops. It is causing more damage to the crops. The Bill must give protection to the people and also to the crops. At the same time, nowadays, in most of the States, ground water is getting affected due to environmental pollution. This results in industries causing more damage to it. About 30 per cent of the water is damaged due to this problem. This is very important as drinking water is very essential for the society.

The UN Summit was held in Copenhagen and our hon. Minister and Prime Minister attended it. The Western countries are trying to politicise the matter. Our hon. Minister told that environmental protection at the global level should be done by a scientific approach and not by politicising it since the Western countries are trying to politicise the issue and suppress the developing countries.

This Bill is welcomed by all of us as it seeks to preserve our forests and it brings forward speedy and swift remedy in environmental cases. I hope it will give more protection to people in this environmental scenario.

SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED): Mr. Chairman, I am thankful to you for giving me an opportunity to speak on this Bill.

The National Green Tribunal Bill, 2009 is introduced in this august House for effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection and conservation of forests and other natural resources including enforcement of any legal right relating to environment, giving relief and compensation for damages to persons and property.

I understand that we are framing this Bill in accordance with the intentions of the United Nations Conference on the Human Environment held in Stockholm in 1972 and also in tune with the decisions taken at the United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro in 1992.

In the proposed Bill, clause 14 of Chapter III provides for the Tribunal, and jurisdiction over all civil cases where a substantial question relating to environment is involved. Such question arises out of the implementation of the enactments specified in Schedule I, which include the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1974, the Forest (Conservation) Act, 1980, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, the Public Liability Insurance Act, 1991 and the Biological Diversity Act, 2002.

The primary function of the Tribunal, as per this Bill, is to hear the disputes arising out of the questions referred to in sub-section 1, that is, when violation is taking place on the seven Acts mentioned in Schedule I.

Clause 15 mentions about relief and compensation to the victims of pollution and other environmental damage arising under the enactments specified in Schedule I.

Clause 16 empowers an aggrieved person to prefer an appeal within 30 days from the date on which the order or decision or direction is communicated to him, in matters mostly affecting the Acts mentioned in Schedule I.

At the first instance, I have to congratulate the hon. Minister for taking a bold step in providing some provisions to book the persons or establishments who violate the Acts in Schedule I mentioned in the Bill. Also, the Bill provides scope of compensation for the people who suffer by the above violations. But, Sir, I have my own doubts about the achievement of protection of our trees, forests, rivers and the greenery by this Bill.

What are all the actions proposed to be taken against the State Governments and industries for not planting trees in the stipulated area as a pre-condition for granting permission to construct dams or establishing factories?

What is the present situation in our cities? Most of the cities and towns are now becoming concrete jungles. The FAR is a rule applicable practically only to poor people; so also the CRZ stipulations are blatantly violated and huge buildings have come up near the sea-shore and riversides. Only the poor people are denied permission to construct their houses near the sea sides. In my place Ernakulam, near the major port of Cochin, in the reclaimed portion of the marine-drive close to the sea, huge buildings have come up in a row and not even leaving space to pass breeze from sea. This has practically suffocated this city. Complaints and suggestions have been filed with the authorities but all these have been ignored. By destroying the trees and greenery, our cities are losing their lungs.

I would request the hon. Minister that this Bill should provide clauses to file complaints before the proposed Tribunal, against the above violations of using and misusing of public land by City Corporations, Municipalities and Panchayats, only to construct huge concrete structure not leaving space at least up to 20 per cent of the total area, to provide parks and public places where trees have to be planted in such a way to have lung-space for providing oxygen to people. The city-forests of European countries are good example for this.

There is one more point. This Bill should also have clauses to take action against the persons who damage partially or fully the trees planted near public roads and other public places.

Sir, considering the vast nature of our country, sittings of the Tribunal are to be conducted region-wise so as to facilitate to attend hearings by the aggrieved people who cannot afford to travel much distances.

I now come to the last point. I understand that clause 34 of this Bill empowers the Central Government to make rules by notification in the official Gazette for carrying out the provisions in this Bill. It further enumerates the matters for which the Central Government may make rules by the consent of each House of Parliament. I would request the hon. Minister to provide clauses in this Bill to achieve our goal of protecting our environment in an effective manner. I hope the hon. Minister will consider the above suggestion.

DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): Mr. Chairman, Sir, I am grateful to you for giving me the time to speak on this Bill. The time is very short. Certainly, I will conclude my speech within three minutes.

I am adoring the greatest topic laid before this House for discussion by our hon. Minister. He is a knowledgeable Minister. He is a philanthropist and he knows the history of the environment of my State.

I would like to draw the kind attention of the hon. Minister to the fact that when the individual tree is green, the jungle is green. When the individual society is healthy, the entire country is healthy. If you are cutting a tree, you are cutting the jungle. According to the evolution process of Darwin theory, when the tiger is killed, you cannot protect the tiger. When you are cutting the tree, when you are cutting the jungle, you are cutting the throat of the human beings. When the tiger is killed, when the day it is being published globally, to save the tiger, we have to protect the forests and the jungle is to be saved. The animal kingdom cannot be protected unless and until the jungle is protected. The day when we are inhaling oxygen, when we are consuming it daily, when we are exhaling carbon-di-oxide, the trees are exhaling more oxygen to save human life. So, trees are our friends and gods. When the law is enacted in this august House, if somebody is killed and annihilated or butchered, the law is applicable under Section 302. There are advocates. They can plead and get a person released under culpable homicide. In the same way, when a tree is killed, you have to apply the same law. By that, it will create the awareness and nobody will go to cut the tree. That should be the law to a cutter who is cutting the tree. When a tree is cut and killed, thousands of birds are also killed. When the tree is killed, the entire animal kingdom is killed.

In our tradition, in our Puranam, Alayam, Karunalayam, Namami, Bagavad Padam, Sankaram, Lok Sankaram, we are invoking the holy traditional masters to protect the life of the tree. Man is a tree and tress is a man!

If the life of elephants is protected, the entire animal kingdom will be protected. You might have seen Konark. There were about one lakh elephants and our King also presented one lakh elephants as you could see from the Mahabharata where there is evidence of it. There is not time. Otherwise I would have quoted it. You can see the title of Gajapati was conferred upon only Lord Jagannath. But you see the number of elephants present in my State now. It is about 2,000 or 3,000. Why is it declining? If you cannot protect our elephants and if you cannot protect our tigers, you cannot protect the precious wildlife. So, when this Bill is passed, I appeal to the Government that just as we apply Section 302 of the IPC when a man is killed, we should apply Section 302 even when animals are killed and when trees are cut. By that you can save the animal kingdom and our forests.

With these words, I conclude.

SHRI BHAKTA CHARAN DAS (KALAHANDI): Mr. Chairman, Sir, I support the National Green Tribunal Bill, 2009. Our UPA Government has brought this Bill in the interest of environment and the suffering tribal people dwelling in the forest region. The Congress Party has always been conscious enough to bring this kind of legislations as in the case of the Forest Conservation Act of 1980 during Indiraji's period, the declaration of Ganga Cleaning Programme during Rajivji's period and even the Prime Minister Dr. Manmohan Singh has also taken up the Ganga Cleaning Programme.

This Bill clearly states that the decision would be taken by the majority and naturally when the majority takes the decision, nobody can tamper the decisions taken in the interest of environment. In our country, we have seen that there have been many instances of blind and brutal mining and there have been no compensatory plantations, with the result the ecological imbalance has gone to the extent of causing global warming and now we are all expressing our concern about climate change situation.

This Bill states very clearly that both the offences committed by the companies and offences committed by the Government departments would be covered. I have recently pointed out some of the violations committed by some companies to the hon. Minister of Environment and Forests and he has taken a very serious view on this matter and I thank the hon. Minister for that. I have been fighting an environment battle for the last six years to save the Niyamgiri Hills. There have been series of violations committed by the State Government and some private companies. In spite of the clearance given by the hon. Supreme Court of India about a year back, just because of the directive given by the Supreme Court to the Ministry of Environment that they have to look into the environment aspect and then give the clearance, the hon. Minister Shri Jairam Ramesh has not yet given clearance for mining of bauxite in Niyamgiri Hills. About 8,000 primitive tribals and more than a lakh of people sustain their livelihood out of traditional earning from this forest region which is spread over 240 sq. km. in Raigada,

Gajapati and Kalahandi districts of Orissa and this forest has about 26,000 plants. There are a lot of animals and medicinal plants in this forest. The hon. Minister has taken a very serious view of this issue and he has not yet given clearance. I would urge upon the Minister and the Government not to give forest clearance and the Government of Orissa may be asked to go for some other substitute.

Sir, there has been blind and brutal mining in Orissa. My brother friend raised the matter that the Ministry of Environment has given clearance to the Pasco Company. Sir, in that area the greenery is not involved there, the forest is not there. It is only cultivable land and the Government has sold away that land to the Pasco Company. So, Environment Ministry is not held responsible for this.

Sir, in Orissa, we are poor in every sense. There is a lot of poverty, infant deaths, child selling, starvation deaths and we are in back bench in every field. There has not been progress, there has not been mindful industrialisation in true sense… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please do not disturb him.

SHRI BHAKTA CHARAN DAS : Sir, the Government has been busy in signing the MoU. You can calculate how many trees have been felled in Orissa during the last ten years tenure of the present State Government. The environmental damage is caused to the highest extent by our State Government in Orissa. It is totally ignored. Our tribal people could not make any appeal before anybody, but I think, the tribals have got the right now to make their appeal before this Green Tribunal to save their forests, save their sustainability and save their future.

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): Thank you, Mr. Chairman, Sir. I rise to support the National Green Tribunal Bill 2009. The Bill seeks to create special courts for environmental matters. The Bill has come to this House after thorough scrutiny by the Parliamentary Standing Committee. I appreciate the efforts put in by the Environment Minister to bring in this Bill under the guidance of the hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh Ji and the UPA Chairperson, Shrimati Sonia Gandhi Ji. Sir, it is always 'better late than never'.

The Bill consists of five Chapters. The Bill consists of elaborate details. I thank the officials for producing a comprehensive Bill. The Tribunal will consist of both judicial and subject expert members. The Government should not compromise on the integrity, honesty and qualifications of the judicial and expert members.

Another important thing is that the Tribunal will hear only substantial questions relating to environment which affect the community at large and not just individuals or groups of individuals or cause significant damage to the environment and property or cause harm to public health.

Here I would like to submit that the criteria to determine what a substantial question related to the environment are open to interpretation. There is an apprehension that the Bill may reduce access to justice in environmental matters by taking away the jurisdiction of civil courts. All cases under laws mentioned in the Bill will now be handled by the Tribunal which will initially have Benches at only five locations.

I would request the hon. Minister to consider setting up of a Bench at Vijayanagram, Andhra Pradesh as it is blessed with a lot of thick forest coverage and it is a Scheduled Area. There is ample greenery. It is the most backward district in coastal Andhra Pradesh and it is a tri-State junction, that is, to Orissa, Chhatisgarh and Madhya Pradesh. This should be the norm for setting up of Tribunals at five locations. I would request the hon. Minister once again to consider this.

The Bill does not give the Tribunal jurisdiction over some laws related to the environment. The qualifications of the judicial members of the Tribunal are similar to that of the National Environmental Appellate Authority. The Government has been unable to find qualified members for the national Environment Appellate Authority for the past three years. I wonder how they would find qualified members for the Green Tribunal.

The Bill gives option to the Government to appoint members with administrative experience as expert members instead of specialization in environment. The Bill does not mention the minimum number of members of the Tribunal and also does not mention the composition of the Selection Committee for selecting members. For example, some other laws that establish tribunals specify the persons who shall decide or be consulted. May I know whether any woman Members are proposed to be nominated in the Selection Committee for selecting Members? The Bill states that the order of the Tribunal shall be final and contains no provision for appeal. I feel that the citizens must be given an opportunity to go and appeal in the Supreme Court.

Finally, it has been mandated that if we cut one tree, we have to plant four trees. This has to be implemented carefully. Wherever construction of buildings, national highways is going on, it has to be stipulated that they have to plant trees to maintain ecological balance. So far as tanks and ponds are concerned, the Government should give priority to plant more trees to strengthen and increase the ground water and also put an end to encroachments on ponds and lakes. This will help in environmental protection and conservation of forests to a great extent. There is a need to draw up a comprehensive plan for planting trees. This will be a future asset for our country. So far as scheduled areas are concerned, there is a need to pay more attention because the tribals depend to a large extent on the forest produce. This will also help us in reducing global warming. There is a need to involve Interior Tribal Development Agency. Local bodies and panchayats should be involved in this social responsibility. There is a need to involve NGOs,

Revenue Department, police and local bodies in protecting our environment and conservation of forests.

On the whole, this Bill is a good piece of legislation. I hope the Minister will clarify the points raised by me. Once again, I extend my full support to the Bill.

MR. CHAIRMAN : The hon. Minister may kindly reply.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI JAIRAM RAMESH): Mr. Chairman, Sir, I believe you want to start the Private Members' Business at 3.30 p.m. I cannot finish this in 10 minutes.

MR. CHAIRMAN: It all depends on how brief you are.

SHRI JAIRAM RAMESH: I can respond to this on Monday. I have absolutely no problem in doing it, but I do not want to rush the reply. If you can give me 20 minutes, I will do it today. Otherwise, I will do it on Monday.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please do not disturb. The Parliamentary Affairs Minister may kindly respond.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, the Minister has responded to it that he will do it on Monday.

MR. CHAIRMAN: So the reply will be on Monday.

The discussion on this Bill is complete. We will now take Private Members' Business.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदय, इस विधेयक का तीन मिनट का समय बाकी है।

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, since three minutes are there, you can just initiate the reply.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, if you want, I will try to finish in the next 15 minutes. If you can give me 15 minutes.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb now.

… (*Interruptions*)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, I would request the indulgence of the House for 20 minutes; let us conclude this because we have very few days left; otherwise we will have to finally extend the Session. So, we have to complete some legislative business. We will have to take it to Rajya Sabha… (*Interruptions*)

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I will finish in 15 minutes.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: If the House agrees, the hon. Minister will start his reply and complete it within 15 minutes.

… (*Interruptions*)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : नहीं।

MR. CHAIRMAN: Rules are clear; that is why the House has to agree. Please sit down.

… (*Interruptions*)

श्री पवन कुमार बंसल : हम आपका सहयोग चाहते हैं, बिल निपटाने हैं। हम उसमें भी समय ले लेंगे। ये रूल्स हैं।

MR. CHAIRMAN: The House is supreme. Please sit down now.

… (*Interruptions*)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदय, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ऐसे मुझे बैठने के लिए मत कहिये। मैं नहीं बैठूंगा, पहले मेरी बात सुनिये।

श्री पवन कुमार बंसल : रूल वेव हो जाते हैं।

MR. CHAIRMAN: What have you to say?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदय, हमने रूल्स पढ़े हैं। आप बैठने की क्या बात करे हैं?

महोदय, यह नियम 26, न सदन को न सरकार को किसी को अधिकार नहीं देता है कि जो गैर सरकारी सदस्य का राइट है, वह उसमें इन्क्रोच करे। जब यह अधिकार ही नहीं है तो आप सदन से कैसे अधिकार ले रहे हैं? यह कहीं नहीं लिखा है, यह लिखा है कि अगर समय लेंगे तो दूसरा दिन देंगे। आप आज पूरा समय ले लीजिए, लेकिन सोमवार को हमें हमारा ढ़ाई घंटे का समय दे दीजिये।

श्री पवन कुमार बंसल : आधा घंटा बाद तक साढ़े छह बजे तक चलेगा।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : नहीं, आप छह बजे के बाद आधा घंटा ले लीजिये।

श्री पवन कुमार बंसल : चार बजे से साढ़े छह बजे तक चलेगा। आपके पास ढ़ाई घंटे हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : आप छह बजे के बाद ले लीजिये। प्राइवेट मेंबर का अधिकार हम नहीं छोड़ेगे। यह नियम कहता है, क्या आपको मालूम नहीं है?

MR. CHAIRMAN : You have now made your point. Please sit down.

Hon. Members, as I said earlier, if the House agrees, I will allow the hon. Minister to give his reply and pass this Bill. Now, I would like to take the sense of the House.

… (*Interruptions*)

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

… (*Interruptions*)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : आपको यह अधिकार नहीं है।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : यदि साढ़े तीन की जगह पौने चार हो जाते हैं, तो वहां भी 15 मिनट बढ़ा देंगे। प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस ढाई घण्टे का ही तो है। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। यह बिल राज्य सभा में भी जाने हैं। यदि इन्हें अभी पास नहीं किया गया तो हमें सैशन बढ़ाकर 7 की बजाय 13-14 तारीख तक ले जाने पड़ेंगे।...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : आप 9 बजे से 7 बजे तक बैठिए, हम तैयार हैं। लेकिन प्राइवेट मैम्बर्स बिल साढ़े तीन बजे से छः बजे तक ही रखिए। छः बजे के बाद आप इस बिल पर एक घण्टा या दो घण्टा बहस कीजिए, हम तैयार हैं। लेकिन यह गैर सरकारी बिजनेस का सवाल है, सदस्य का सवाल है। गैर सरकारी बिल पर सभी सदस्यों को सोचना चाहिए। यह आज तक कभी नहीं हुआ।...(व्यवधान)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Let it go on record that Shri Hukumdeo Narayan Yadav does not want to proceed with this Bill. … (*Interruptions*) Let it go on record that this is the cooperation from the hon. Members in passing this legislation and go ahead. … (*Interruptions*) ऐसा करेंगे तो कोपरेशन कहां है। हम आपसे केवल 15 मिनट के लिए ही कह रहे हैं और आपने 15 मिनट तो इसमें ही निकाल दिए हैं। आपस में कोई तो बात होती है...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I have already said this. I think, the sense of the House is for the reply of the hon. Minister now. So, I would request the hon. Minister to start his reply now.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb now. Now, the hon. Minister.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI JAIRAM RAMESH): Mr. Chairman, Sir, I will try my best to finish my reply in the quickest possible time so that the Private Members' Business can start at the quickest opportunity.

Sir, 24 hon. Members have presented their views, spread over a three-day period. Broadly, the idea of having a National Green Tribunal has been supported. There have been some criticisms in respect of many of the provisions of the Bill, which I will respond to as quickly as I can.

Before I respond to the criticisms, I would like to mention that the National Green Tribunal Bill is one element of a revised or a reformed or a re-structured approach to environmental governance. On the one side, we need an effective Environmental Protection Authority that actually monitors compliance, that ensures implementation of laws, and on the other side, you have the National Green Tribunal Bill which deals with the civil dimensions of implementation of these laws. So, the National Green Tribunal Bill is not an answer to the problems of environment and forest. It provides an opportunity for people to claim civil damages arising out of the non-implementation or the wrong implementation of the laws relating to environment and forest. So, do not see this in isolation.

In the monsoon Session of Parliament, I hope to bring forward a legislation to establish a National Environmental Protection Authority. The National Environmental Protection Authority will be charged with the responsibility of ensuring proper implementation of the laws relating to environment and forest. And a part of the implementation is to provide an opportunity for individuals of our country to claim civil damages out of the non-implementation of the laws. So, there is a judicial dimension to governance. There is an Executive dimension to governance. This Bill deals only with the judicial dimension.

Sir, many Members have criticized the Bill for many of its provisions. Let me say straightaway that I am going to bring forward ten amendments today,

which will take care 90 per cent of the problems that have been expressed by the hon. Members.

The most important amendment that I am going to bring forward is an amendment to Clause 18 (2) (e), which will provide an opportunity for any individual, for any citizen of India to approach the National Green Tribunal. This was the criticism that was made; that it does not provide an opportunity for individuals and it provides a limited access. But I am going to bring forward this amendment today to Clause 18 (2) (e) which will expand the definition of 'persons aggrieved'. So, any person aggrieved can approach the National Green Tribunal.

Sir, the second important criticism that was mentioned was that this Bill does not have the foundational principles, which should govern its functioning. That is why I am going to amend Section 19(a), which will bring principles of sustainable development. Precautionary principles, polluter pays principles, intergenerational equity, will all be part of this Amendment.

The third important Amendment that I am going to bring forward is that this Act will come into force simultaneously. It would not be Section by Section. The entire Act will come into force at one go. This was also a criticism that had been made by some hon. Members.

The fourth Amendment that I propose to bring forward is that the decisions of the National Green Tribunal can be appealed in the Supreme Court. So, anybody who is aggrieved by the decision of the National Green Tribunal can go to the Supreme Court. Mr. Rajiv had raised this issue that suppose this Tribunal gives a decision against community rights, and the Bill as it stood today, there was no appeal against that decision. But the Amendment I am going to bring forward to Section 21 will provide for an appeal to the Supreme Court on any decision of the National Green Tribunal.

The fifth Amendment is about the place of sitting. We did not specify the territorial jurisdiction. We are now going to specify the territorial jurisdiction in the Amendment as well.

The sixth Amendment relates to the number of members, the judicial members, the expert members. We will have a minimum of 10 judicial members, a minimum of 10 expert members; and not exceeding 20. We specified that in the Act itself.

The seventh important Amendment I am going to bring forward is the Amendment, which will enable a deadlock to be broken so that we give the Chairperson of the Tribunal, the authority to break the deadlock in case there is a deadlock.

Then, I am going to bring forward some other Amendments in order to maintain the integrity and the credibility of the Tribunal.

Sir, these Amendments, which I will propose at the end of my speech today, will, I believe, go a long way in assuaging the concerns of many hon. Members.

I would just like to deal with two or three significant criticisms that have been made that are not dealt with in these Amendments. I propose to come back to these criticisms in the rules that we will frame. The rules will be framed; they will be put on our website; they will be laid on the Table of the House; and the hon. Members of Parliament will have every opportunity of responding to these rules. So, I will not do anything without parliamentary approval of the rules that will govern this Act.

Sir, there was a criticism that Schedule (1) of this Bill will give an opportunity for the Government to amend these Acts. That is the complete misreading of Schedule (1). There are seven laws in Schedule (1). We are not going to amend any law in Schedule (1). Please be under no fear on this. There is not going to be amendment of the Forest Conservation Act or amendment of Environment Protection Act, 1986. Schedule (1) only lists those Acts for which the National Green Tribunal has jurisdiction. What we are saying is that we can expand Schedule (1) or delete Schedule (1) by the Government and we will lay that decision on the floor of the House. We do not want to amend the Act every time we want to do it. We want to add or delete by notification. Of course, we

will be laying that notification on the Table of the House. So, it is wrong as Mr. Mangani Lal Mandal was trying to say or some other Members were saying that this gives the power to the Government to amend the Act. No. We are not going to amend any Act in Schedule (1). Schedule (1) only says that these are the Acts for which the jurisdiction of the National Green Tribunal applies.

Sir, there was also some criticism of one year and five years saying: "in Bhopal, the effects are long-ranging and why are we limiting to five years". I will clarify this. In the rules, it will be five years from the date the injury begins to manifest itself and the cause is attributable to the environmental damage. I will make this very clear in the rules. The hon. Members should not have any fears on this score.

As far as members are concerned, we will have a Selection Committee. This Selection Committee will ensure that this does not become a parking place for retired civil servants. This is a fear that has been expressed, and I assure the hon. Members that we will have a transparent Selection Committee. Environmentalists, people with background in environment, will be made members of the National Green Tribunal. Activists may not be members but if activists have the requisite educational qualifications, I do not see any reason why an activist should be debarred from being a member of the National Green Tribunal.

So, I think regarding the rules, many of the rules that will govern the selection of members will be made clear, and I can assure the hon. Members that we will not be found wanting on this score.

One or two other criticisms have come. How is this different from the previous National Environment Tribunal? I want to make it clear that the National Environment Tribunal of 1995 dealt only with hazardous chemical substances. It had limited scope whereas this National Green Tribunal deals with Water Act, Air Act and Environment Protection Act. It deals with the Forests Conservation Act. It also deals with the Biological Diversity Act. So, its scope is much larger. All that I

am trying to accomplish by having the National Green Tribunal is to provide an opportunity for people, who feel aggrieved by the non-implementation of these laws, to seek civil damages, to go to the National Green Tribunal and we have specified that the National Green Tribunal should give a decision normally within six months.

So, we are trying to bring this. There are 5,600 cases in our judiciary today relating to environment. I am sure the number of cases will increase. We need specialised environmental courts. The Supreme Court has said this. The Law Commission has said this. India will be one of the few countries which will have such a specialised environmental court. I believe Australia and New Zealand are the two countries that have such specialised tribunals. I think India would be one of the few countries to have a specialised environment tribunal.

I want to assure the hon. Members that let us give this National Green Tribunal a try. If, after a couple of months, we feel the need for amending some of the provisions, we will come back to Parliament. I have a completely open mind on this. But I believe it is important to set a beginning, to start the process and give this National Green Tribunal an opportunity to perform. I will stop here.

I have also said in the past and I want to repeat it here that my intention is to locate the National Green Tribunal in Bhopal, not in Delhi. I do not want to create another Delhi-based institution. I want to locate it in Bhopal because Bhopal was the scene of the humanity's worst industrial environmental tragedy in 1984 and by locating the National Green Tribunal in Bhopal, I think our Government and our Parliament would be showing some small sensitivity to that great tragedy. We can never obliterate that tragedy from our memories but by setting the National Green Tribunal in Bhopal, I think we would send a signal that we mean business. It will have four Benches in different parts of the country. We will expand the number of Benches depending on the generosity of my senior colleague, the Minister of Law, who has just walked in and is sitting right next to me.

We will follow a circuit approach so that access is not difficult for ordinary people. People will not come to courts. Courts will go to people. I assure you this. Tribunal will go to the people. People will not come to the Tribunal. I want to assure this and give it a chance. If, at the end of one year, I am proved wrong, I will come back to Parliament, if I am still in this post, and come for the amendment.

I think I have kept my time.

So, with these few words, I would now urge the hon. Members to extend their full support to the National Green Tribunal Bill.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please sit down. Nothing should go on record.

(Interruptions) …[*]

MR. CHAIRMAN: You can meet him later. There is no time.

The question is:

> "That the Bill to provide for the establishment of a National Green Tribunal for the effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection and conservation of forests and other natural resources including enforcement of any legal right relating to environment and giving relief and compensation for damages to persons and property and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

[*] Not recorded

MR. CHAIRMAN The House shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 Definition

MR. CHAIRMAN : Hon. Member Shri M.B. Rajesh, are you moving your amendments?

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Yes, Sir. I beg to move :

"Page 3, line 14,--

f*or* "other than"

substitute "including"" (48)

"Page 3, *omit* lines 20 and 21." (49)

MR. CHAIRMAN : I shall put Amendment Nos. 48 and 49 moved by Shri M.B. Rajesh to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 Establishment of Tribunal

MR. CHAIRMAN : Shri Rajesh, are you moving your amendment?

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Yes, Sir. Since this is a very important amendment, I am seeking a clarification. This is an amendment regarding setting up of Green Tribunal Benches in every State.

SHRI JAIRAM RAMESH : Sir, I cannot give an assurance on this. All I can say is that depending on the workload, depending on the cases that come to the National

Green Tribunal, we have an open mind on expanding the number of Benches as far as the National Green Tribunal is concerned.

SHRI M.B. RAJESH : Sir, I beg to move :

"Page 3, line 36,--

after "Act"

insert "and there shall also be established a bench of the National Green Tribunal in every State."" (50)

… (*Interruptions*)

श्री जयराम रमेश: मुझे बैंचेज़ बढ़ाने में कोई एतराज नहीं है। अगर केसेज़ आएंगे, अगर इसमें वर्कलोड बढ़ेगा तो मैं अपने कानून मंत्री से जरूर गुज़ारिश करूंगा कि और बैंचेज़ की स्थापना करें।

MR. CHAIRMAN : I shall put Amendment No. 50 moved by Shri M.B. Rajesh to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"Clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause

Clause 4 Composition of Tribunal

Amendments made:

Page 3, line 39,--

for "such number of full time Judicial Members",

substitute "not less than ten but subject to a maximum of twenty full time Judicial Members." (4)

Page 3, line 41,--

for "such number of full time Expert Members",

substitute "not less than ten but subject to maximum of twenty full time expert Members." (5)

Page 4, *for* lines 1 and 2, *substitute*—

"(3) The Central Government may, by notification, specify the ordinary place or places of sitting of the Tribunal, and the territorial jurisdiction falling under each such place of sitting." (6)

Page 4, *for* lines 7, *substitute*—

"matters [including the circuit procedure for hearing at a place other than the ordinary place of its sitting falling within the jurisdiction referred to in sub-section (3)], pertaining to the applications and appeals;". (7)

Page 4, *after* line 9, *insert*—

"Provided that the number of Expert Members shall, in hearing an application or appeal, be equal to the number of Judicial Members hearing such application or appeal;

(d) rules relating to transfer of cases by the Chairperson from one place of sitting (including the ordinary place of sitting) to other place of sitting." (8)

(Shri Jairam Ramesh)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member Shri Rajesh, are you moving your amendment?

SHRI M.B. RAJESH : Yes, Sir. I beg to move :

"Page 3, *after* line 42,--

insert "Provided that the Expert Members shall include social scientists with specialization in or familiarity with the enviro-occupational health aspects and shall be appointed in consultation with the State Governments"." (51)

MR. CHAIRMAN : I shall put Amendment No. 51 moved by Shri M.B. Rajesh to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clause 4, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

Clause 5

Clause 5 **Qualifications for appointment of Chairperson, Judicial Member and Expert Member**

Amendment made:

Page 4, line 29,--

for "one year",

substitute "two years". (9)

(Shri Jairam Ramesh)

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clause 5, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 5, as amended, was added to the Bill.

Clauses 6 to 14 were added to the Bill.

Clause 15 Relief, Compensation and restitution

MR. CHAIRMAN : Shri Rajesh, are you moving your amendment?

SHRI M.B. RAJESH : Yes, Sir. I beg to move :

"Page 6, *omit* lines 36 to 42." (52)

MR. CHAIRMAN : I shall put Amendment No. 52 moved by Shri M.B. Rajesh to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clause 15 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause15 was added to the Bill.

Clause 16

Clause 16 Tribunal to have appalat jurisdiction

Amendments made :

Page 7, line 6,-

for "2009"

substitute "2010". (10)

Page 7, line 9,-

for "2009"

substitute "2010". (11)

Page 7, line 12,-
for “2009”
substitute “2010”. (12)

Page 7, line 15,-
for “2009”
substitute “2010”. (13)

Page 7, line 18,-
for “2009”
substitute “2010”. (14)

Page 7, line 21,-
for “2009”
substitute “2010”. (15)

Page 7, line 24,-
for “2009”
substitute “2010”. (16)

Page 7, line 26,-
for “2009”
substitute “2010”. (17)

Page 7, line 31,-
for “2009”
substitute “2010”. (18)

Page 7, line 34,-

for "2009"

substitute "2010". (19)

(Shri Jairam Ramesh)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member Shri Rajesh, are you moving your amendment?

SHRI M.B. RAJESH : Yes, Sir. I beg to move :

"Page 7, *omit* lines 30 to 32." (53)

MR. CHAIRMAN : I shall put Amendment No. 53 moved by Shri M.B. Rajesh to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clause 16, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 16, as amended, was added to the Bill.

Clause 17 Liability to pay relief or compensation in certain cases

Amendment made:

Page 8, *after* line 4, *insert*—

"(3) The Tribunal shall, in case of an accident, apply the principle of no fault.". (20)

(Shri Jairam Ramesh)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 17, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 17, as amended, was added to the Bill.

Clause 18 Application or appeal to Tribunal

Amendments made:

Page 8, *for* lines 16 and 17, *substitute* –

"(e) any person aggrieved, including any representative body or organisation; or". (21)

Page 8, line 22,
omit ",with the permission of the Tribunal". (22)

(Shri Jairam Ramesh)

MR. CHAIRMAN: The question is :

"That clause 18, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 18, as amended, was added to the Bill

Clause 19 was added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80(i)

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I beg to move:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 23 to the National Green Tribunal Bill, 2009 and that this amendment may be allowed to be moved."

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 23 to the National Green Tribunal Bill, 2009 and that this amendment may be allowed to be moved."

The motion was adopted.

New Clause 19A Tribunal to apply certain principles

Amendment made:

Page 9, *after* line 20, *insert* –

"Tribunal to apply certain principles.	19A. The Tribunal shall, while passing any order or decision or award, apply the principles of sustainable development, the precautionary principle and the polluter pays principle.". (23)

(Shri Jairam Ramesh)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That new clause 19A be added to the Bill."

The motion was adopted.

New clause 19A was added to the Bill.

Clause 20 Decisions to be taken by majority

Amendment made:

Page 9, *for* line 21, *substitute*—

"Decision to be taken by majority.

20. The decision of the Tribunal by majority of Members shall be binding:

Provided that if there is a difference of opinion among the Members hearing an application or appeal, and the opinion is equally divided, the Chairperson shall hear (if he has not heard earlier such application or appeal) such application or appeal and decide:

Provided further that where the Chairperson himself has heard such application or appeal along with other Members of the Tribunal, and if there is a difference of opinion among the Members in such cases and the opinion is equally divided, he shall refer the matter to other Member of the Tribunal who shall hear such application or appeal and decide.". (24)

(Shri Jairam Ramesh)

MR. CHAIRMAN: The question is :

"That clause 20, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 20, as amended, was added to the Bill

Clause 21 Finality of order

Amendment made:

Page 9, *for* line 22, *substitute*—

"Appeal to Supreme Court.

21. Any person aggrieved by any award, decision or order of the Tribunal, may, file an appeal to the Supreme Court, within ninety days from the date of

communication of the award, decision or order of the Tribunal, to him, on any one or more of the grounds specified in section 100 of the Code of Civil
5 of 1908. Procedure, 1908:

Provided that the Supreme Court may, entertain any appeal after the expiry of ninety days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal.". (25)

(Shri Jairam Ramesh)

MR. CHAIRMAN: The question is :

"That clause 21, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 21, as amended, was added to the Bill

Clause 22 Cost

MR. CHAIRMAN: Shri M.B. Rajesh, are you moving your amendment?

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Yes, Sir.

I beg to move:

"Page 9, *omit* lines 25 to 28." (54)

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment No. 54 moved by Shri M.B. Rajesh to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 22 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 22 was added to the Bill.

Clauses 23 to 25 were added to the Bill.

Clause 26 Offences by companies

MR. CHAIRMAN : Mr. Rajesh, are you moving amendment No. 55?

SHRI M.B. RAJESH : Sir, this amendment is about awarding maximum punishment of life imprisonment. We have the experience of Bhopal tragedy. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please give him time to think about it?

SHRI M.B. RAJESH: Sir, the hon. Minister, in his reply, has referred to Bhopal tragedy. To deal with these types of cases, we should make a provision for awarding maximum punishment of life imprisonment. The present term of punishment is only for three years. It is not sufficient and that is why I want to move this amendment.

Sir, I beg to move:

> "Page 10, *after* line 40,--
>
> *insert* "(3) Notwithstanding anything in sub-sections (1) and (2), the Tribunal may award maximum punishment of life imprisonment in cases where it deems fit and may also terminate or suspend contracts." (55)

MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment No. 55 to clause 26 moved by Shri M.B. Rajesh to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 26 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 26 was added to the Bill.

Clause 27 was added to the Bill.

Clause 28 Bar of jurisdiction

MR. CHAIRMAN: Are you moving amendment No. 56, Mr. Rajesh?

SHRI M.B. RAJESH : Sir, since the hon. Minister himself has brought the amendment to protect the right to appeal to the Supreme Court, I am not moving this amendment.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 28 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 28 was added to the Bill.

Clauses 29 to 31 were added to the Bill.

Clause 32 Act to have overriding effect

MR. CHAIRMAN: Are you moving the amendment, Mr. Rajesh?

SHRI M.B. RAJESH : Sir, I beg to move:

"Page 11, *after* line 46,--

> *insert* "Provided that the provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, the powers under the Sixth Schedule to the Constitution and the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 and in case of any conflict, the later Acts shall prevail." (57)

MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment No. 57 to clause 32 moved by Shri M.B. Rajesh to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 32 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 32 was added to the Bill.

Clause 33 was added to the Bill.

Clause 34 Power to make rules

Amendment made:

"Page 12, *after* line 20, *insert*—

"(ca) the transfer of cases by the Chairperson from one place of sitting (including the ordinary place of sitting) to other place of sitting;" (26)

(Shri Jairam Ramesh)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 34, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 34, as amended, was added to the Bill.

Clauses 35 and 36 were added to the Bill.

Clause 37 Repeal and savings

Amendments made:

Page 13, line 25,--

for "2009",

substitute "2010". (27)

Page 13, line 32,--

for "2009",

substitute "2010". (28)

Page 13, line 39,--

for "2009",

substitute "2010". (29)

(Shri Jairam Ramesh)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 37, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 37, as amended, was added to the Bill.

Schedules I and II

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Schedules I and II stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Schedules I and II were added to the Bill.

Schedule III

Amendments made:

Page 17, line 11,--

for "2009",

substitute "2010" (30)

Page 17, line 14,--

for "2009",

substitute "2010" (31)

Page 17, line 16,--

for "2009",

substitute "2010" (32)

Page 17, line 18,--
for “2009”,
substitute “2010” (33)

Page 17, line 29,--
for “2009”,
substitute “2010” (34)

Page 17, line 31,--
for “2009”,
substitute “2010” (35)

Page 17, line 38,--
for “2009”,
substitute “2010” (36)

Page 17, line 40,--
for “2009”,
substitute “2010” (37)

Page 18, line 7,--
for “2009”,
substitute “2010” (38)

Page 18, line 8,--
for “2009”,
substitute “2010” (39)

Page 18, line 15,--

for "2009",
substitute "2010" (40)

Page 18, line 17,--
for "2009",
substitute "2010" (41)

Page 18, line 25,--
for "2009",
substitute "2010" (42)

Page 18, line 27,--
for "2009",
substitute "2010" (43)

Page 18, line 30,--
for "2009",
substitute "2010" (44)

Page 18, line 35,--
for "2009",
substitute "2010" (45)

Page 18, line 36,--
for "2009",
substitute "2010" (46)

(Shri Jairam Ramesh)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Schedule III, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Schedule III, as amended, was added to the Bill.

Clause 1 Short title and commencement

Amendments made:

Page 2, line 4,--

for "2009" *substitute* "2010". (2)

Page 2, *for* lines 5 to 9, *substitute*—

"(2) It shall come into force on such date as the Central government may, by notification in the Official Gazette, appoint." (3)

(Shri Jairam Ramesh)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

16.00 hrs.

Enacting Formula

Amendment made:

Page 2, line 1, --

for "Sixtieth" *substitute* "Sixty-first". (1)

(Shri Jairam Ramesh)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Enacting formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Preamble and the Long Title were added to the Bill.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: The Minister may now move that the Bill, as amended, be passed.

SHRI JAIRAM RAMESH: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

16.01 hrs.

PRIVATE MEMBERS' BILLS - Introduced

MR. CHAIRMAN : Now the House shall take up Private Members' Business. Introduction of Bills.

Item No.17 Shri Khagen Das -- not present.

Item No. 18 Shrimati Supriya Sule.

16.01½ hrs.

(i) TWO CHILD NORM BILL, 2009*

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for promotion of two child norm to control population in the country and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for promotion of two child norm to control population in the country and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRIMATI SUPRIYA SULE : I introduce the Bill.

16.02 hrs.

(ii) COMPULSORY REGISTRATION OF MARRIAGES BILL, 2009*

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the compulsory registration of all marriages solemnized in the country and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. CHAIRMAN: The question is:

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 30.04.10

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the compulsory registration of all marriages solemnized in the country and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was ado pted.

SHRIMATI SUPRIYA SULE : I introduce the Bill.

16.02½ hrs.

(iii) INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL, 2009[*]
(Insertion of new section 23 A)

SHRI VARUN GANDHI (PILIBHIT): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Medical Council Act, 1956.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Medical Council Act, 1956."

The motion was adopted.

SHRI VARUN GANDHI : I introduce the Bill.

MR. CHAIRMAN: Item no. 21 Shri G.S. Basavaraj -- Not present.
Item no. 22 Shri G.S. Basavaraj -- Not present.

16.03 hrs.

(iv) PROHIBITION ON USE OF CASTE OR RELIGIOUS TITLE BILL, 2009*

SHRI L. RAJAGOPAL (VIJAYAWADA): I beg to move for leave to introduce a Bill to prohibit the use of caste name or title relating to caste or religion as prefix or suffix with names by the citizens and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. CHAIRMAN: The question is:

---

[*] Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 30.04.10

"That leave be granted to introduce a Bill to prohibit the use of caste name or title relating to caste or religion as prefix or suffix with names by the citizens and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI L. RAJAGOPAL : I introduce the Bill.

16.03½ hrs.

(v) PREVENTION OF INSULTS TO NATIONAL HONOUR (AMENDMENT) BILL, 2010* (Insertion of new section 2 A)

SHRI L. RAJAGOPAL (VIJAYAWADA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971."

The motion was adopted.

SHRI L. RAJAGOPAL : I introduce the Bill.

16.04 hrs.

(vi) ABOLITION OF CHILD LABOUR BILL, 2010*

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I beg to move for leave to introduce a Bill to abolish child labour in the country and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN: The question is:

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 30.04.10

"That leave be granted to introduce a Bill to abolish child labour in the country and for matters connected therewith.

The motion was adopted.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : I introduce the Bill.

MR. CHAIRMAN: Item No. 27, Shri N.S.V. Chitthan.

16.04½ hrs.

(vii) ERADICATION OF UNEMPLOYMENT BILL, 2010*

SHRI N.S.V. CHITTHAN (DINDIGUL): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for eradication of unemployment by ensuring employment to the youth and payment of unemployment allowance to the unemployed and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for eradication of unemployment by ensuring employment to the youth and payment of unemployment allowance to the unemployed and for matters connected therewith. "

The motion was adopted.

SHRI N.S.V. CHITTHAN : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Sec 2 dated 30.04.10

16.05 hrs.

(viii) ANTI-HIJACKING (AMENDMENT) BILL, 2010*

(Insertion of new section 4A)

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Anti-Hijacking Act, 1982.

MR. CHAIRMAN : The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Anti-Hijacking Act, 1982."
>
> *The motion was adopted.*

SHRIMATI SUPRIYA SULE : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 30.04.10

16.05½ hrs.

(ix) VICTIMS OF NATURAL CALAMITIES (REHABILITATION AND FINANCIAL ASSISTANCE) BILL, 2010*

SHRI N.S.V. CHITTHAN (DINDIGUL): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the rehabilitation and financial assistance to the victims of natural calamities and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the rehabilitation and financial assistance to the victims of natural calamities and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI N.S.V. CHITTHAN : I introduce the Bill.

16.06 hrs.

(x) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2010*

(Amendments of article 85)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 30.04.10

16.06½ hrs.

(xi) PRICE CONTROL BILL, 2010*

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the constitution of a Commission for determining the prices of all consumer and industrial goods and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a Commission for determining the prices of all consumer and industrial goods and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL : I introduce the Bill.

16.07 hrs.

(xii) INDIGENT PERSONS WELFARE BILL, 2010*

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the welfare of indigent persons and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the welfare of indigent persons and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL : I introduce the Bill.

MR. CHAIRMAN: Dr. Sanjeev Ganesh Naik - Not present.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 30.04.10

16.07½ hrs.

(xiii) BAN ON WITCHCRAFT BILL, 2010*

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में किसी भी रूप में जादू-टोना पर पाबंदी का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for ban on witchcraft in any form in the country."

The motion was adopted.

श्री ओम प्रकाश यादव : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

16.08 hrs.

(xiv) FARMERS (OLD AGE PENSION) BILL, 2010*

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for old age pension to small and marginal farmers and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for old age pension to small and marginal farmers and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI P.T. THOMAS : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 30.04.10

16.08½ hrs.

(xv) INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 2010*

(Insertion of new section 335A)

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860."

The motion was adopted.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : I introduce the Bill.

16.09 hrs.

(xvi)PERSONS LIVING BELOW POVERTY LINE (IDENTIFICATION) BILL, 2010*

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एक बोर्ड की स्थापना करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the setting up of a Board for identification of persons living below poverty line and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री सतपाल महाराज : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 30.04.10

16.09½ hrs.

(xvii) VOLUNTARY ORGANISATION (REGULATION) BILL, 2010*

श्री प्रदीप टम्टा (अल्मोड़ा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वैच्छिक संगठनों की मान्यता और विनियमन तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for recognition and regulation of voluntary organizations and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री प्रदीप टम्टा : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

सभापति महोदय : श्री जगदम्बिका पाल अनुपस्थित

श्री योगी आदित्यनाथ अनुपस्थित

श्री राजेन्द्र अगवाल।

16.10 hrs.

(xviii) AGRICULTURAL AND PROCESSED FOOD PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY (AMENDMENT) BILL, 2010* (Amendment of Section 4 etc.)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985"

The motion was adopted.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 30.04.10

16.11 hrs.

COMPULSORY VOTING BILL, 2009 – Contd.

MR. CHAIRMAN: Now, we will take item No. 41 – Compulsory Voting Bill for consideration and passing.

Shri Arjun Ram Meghwal.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा पेश किए गए गैर सरकारी विधेयक अनिवार्य मतदान का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने पिछली बार चर्चा करते हुए कहा था कि अनिवार्य वोटिंग होने से इस देश में कई बीमारियां एक साथ दूर हो जाएंगी। जैसे मसल पावर की बीमारी दूर हो जाएगी। धन बल का प्रयोग वोटिंग के समय काफी होता है, यह बीमारी भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा पिछड़े वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जब वोटिंग करने जाते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है कि तुम्हारा वोट तो पड़ गया है, इस समस्या से भी निजात मिल जाएगी।

16.12 hrs.

(Shri Inder Singh Namdhari *in the Chair)*

यह एक महत्वपूर्ण बिल है, जिस पर सदन को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में चुनाव प्रक्रिया में सुधार का भी लम्बा इतिहास रहा है और अनिवार्य वोटिंग का भी लम्बा इतिहास रहा है। लेकिन बार-बार दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट का सहारा लेकर इस अनिवार्य मतदान प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट जब आई थी, उस समय देश में कई तरह की परिस्थितियां थीं। देशकाल और परिस्थिति के अनुसार निर्णयों में परिवर्तन होते रहे हैं। किसी जमाने में दिल्ली में कोई आदमी जब सीएनजी की बात करता था, तो उसे पागल कहा जाता था। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया, तो आज दिल्ली में सीएनजी जरूरी हो गई है और प्रेक्टिकल भी हो गई है।

आज हम सदन में तो अनिवार्य वोटिंग की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त चावला साहब ने मदुरै में कहा कि अनिवार्य वोटिंग व्यावहारिक नहीं है। वह यह बात दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कह रहे थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन को यह तय करना चाहिए कि

अनिवार्य वोटिंग होनी चाहिए या नहीं। अगर ऐसा हो जाएगा तो जैसा मैंने पूर्व में कहा कि देश से कई बीमारियां दूर हो सकती हैं। मुझे खुद का अनुभव रहा है और मैंने देखा है कि एससी और एसटी के लोग वोटिंग नहीं कर पाते हैं। जब चुनाव के समय वे वोटिंग के लिए जाते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है कि आपका वोट तो पड़ गया है यानि कोई और उनका वोट डाल जाता है।

अगर वोटिंग अनिवार्य हो जाएगी तो जो वोट नहीं देगा, उनकी कई सुविधाएं वापस ली जा सकती हैं और पोजिटिव पनिशमेंट भी लगा सकते हैं । लेकिन चुनाव आयोग के कुछ लोग कह रहे हैं कि यह प्रेक्टिकल नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा देश है और इतने सारे लोग हैं, कैसे इसे अनिवार्य कर सकते हैं। दूसरी तरफ कई लोग कहते हैं कि वोटिंग राइट फेंडामेंटल राइट का हनन है। वोट देना अधिकार है, सिविल राइट नहीं है। सन् 2004 में इसी सदन में उस समय के माननीय सदस्य श्री बची सिंह रावत ने अनिवार्य वोटिंग हेतु गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया था।

उस समय भी दिनेश गोस्वामी समिति की बात कहते हुए, यह कहा गया था कि यह व्यावहारिक नहीं है। व्यावहारिक नहीं है के साथ यह भी कहते हैं कि मतदान करना कर्तव्य नहीं है।

सभापति महोदय : मेघवाल जी, गुजरात हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, वहां गुजरात में अनिवार्य वोटिंग कर दी गयी थी।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : वह लोकल-बॉडीज में की थी।

सभापति महोदय : हां, चुनाव तो वह भी है ना।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : लेकिन वह बिल राज्यपाल ने वापिस किया है, डिसीजन कहां आया है? वह बिल राज्यपाल ने वापिस कर दिया है। जो इसके विपक्ष में तर्क देते हैं, वे कहते हैं कि भारत जैसे बड़े देशों के लिए यह व्यावहारिक नहीं है। मतदान करना कर्तव्य नहीं है, बल्कि अधिकार है। अतः मौलिक अधिकारों का प्रयोग चाहे तो व्यक्ति करे, या नहीं करे। अगर कोई व्यक्ति किसी को वोट नहीं देना चाहता तो नैगेटिव वोट का विकल्प उपलब्ध नहीं है। मैंने नेट से भी बहुत सी सूचना ली, मैंने यहां जो डिबेट हुई, उससे भी बहुत सी इंफोर्मेशन ली। यह जो तीन मुद्दे अनिवार्य मतदान के विपक्ष में जा रहे हैं और वे इन्हें बार-बार कह रहे हैं।

अनिवार्य मतदान के पक्ष में जो मुद्दे हैं, मैं उन्हें यहां प्रस्तुत करना चाहता हूं। अनिवार्य मतदान लागू होने से वोट प्रतिशत में बढ़ोत्तरी होगी। सरकार भी कहती है कि वोट प्रतिशत में बढ़ोत्तरी हो। लोकतंत्र की मजबूती होगी, ज्यादा लोग भाग लेंगे। दुनिया के लगभग 32 देशों ने अनिवार्य मतदान प्रक्रिया अपना ली है। इसमें ब्राजील जैसा देश भी है, जिसकी भारत से कई बातों में समानता है। भारत के समान वह देश भी बड़ा

देश है, जनसंख्या भी काफी है। आस्ट्रेलिया, इटली के साथ ब्राजील जैसे देश ने भी अनिवार्य मतदान की प्रक्रिया अपना ली है। इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। मतदान के दिन अपनाई जाने वाली बैड-प्रैक्टिसेज जैसी समस्या का समाधान हो जाएगा। कुछ लोग दारू बांटते हैं, कुछ लोग पैसा बांटते हैं, उससे छुटकारा मिलेगा। धनबल, बाहुबल में कमी आयेगी और कमजोर वर्गों के वोट सुरक्षित हो जाएंगे। किसी और समुदाय द्वारा वोट देने के भय से मुक्ति मिलेगी तथा लोगों का सही प्रतिनिधित्व होगा। आज हम देखें तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां 40-50 प्रतिशत वोट ही पड़ते हैं।

अभी हमारे राजस्थान में, बीकानेर जिले में, ग्राम पंचायतों के चुनावों में 90 प्रतिशत, 95 प्रतिशत वोट पड़े, इसका मतलब यह है कि लोग वोट देना चाहते हैं। एमपी के चुनावों में वोट कम पड़ते हैं, एमएलए के चुनावों में भी वोट कम पड़ते हैं, कारण क्या है, इस पर हमें चिंता करने की जरुरत है? मैंने बहुत से ऐसे वोटरों से चर्चा की जो वोट नहीं देते हैं, जैसे आर्मी के लोग - वे कहते हैं कि हमारा आई-कार्ड ही नहीं बना। ऐसे ही कुछ उद्योगपति हैं जो घर से बाहर निकलना नहीं चाहते। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि लाइन बहुत लम्बी होती है, कुछ कहते हैं कि हम जाएंगे, वोटर-आई-कार्ड देखेंगे या और कोई प्रूफ देखेंगे, वह नहीं होगा तो वापस आना पड़ेगा। अगर चले गये और लाइन में तीन घंटे बिताने के बाद हमारा नम्बर आया, तो वह हमसे सहन नहीं होगा। इसलिए हम वोट देना नहीं चाहते हैं। इन छोटी-छोटी चीजों का समाधान यह सदन कर सकता है। अनिवार्य वोटिंग का मुद्दा माननीय जेपी अग्रवाल जी ने जो प्रस्तुत किया है, यह स्वागत-योग्य कदम है। इससे कई बीमारियां एक साथ दूर होंगी। समाज में कुछ लोग ठेकेदार बने हुए हैं, वे कहते हैं कि हमारे पास आओ, हम आपको हजार वोट एक साथ दिला देंगे। They are the contractors of the voters. इस बीमारी से भी आपको मुक्ति मिलेगी। ठेकेदार सब को वोट देने के लिए कहेगा और जो नहीं देगा, उसे नॉन-वोटर का सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। उसे लगेगा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी सुविधा को छीन लिया जाएगा। उसको डर लगेगा और वह वोट देने के लिए मोटिवेट होगा।

भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए इसमें अनिवार्य वोट देने की प्रक्रिया होनी चाहिए। मतदान के बाद जो कोर्ट कैसेज होते हैं, उससे भी हमें मुक्ति मिलेगी। सबसे बड़ा फायदा इससे यह होगा कि जो राजनैतिक अस्थिरता आ रही है उसमें कमी आयेगी। चुनाव आयोग को भी फायदा होगा, जो कोड ऑफ कंडक्ट लगाते हैं, बहुत से पाइंट उसमें जोड़ते हैं। जब अनिवार्य मतदान हो जाएगा तो मॉडल-कोड ऑफ कंडक्ट भी लगाना नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट की मशीनरी में कमी आयेगी। ये कुछ बिंदू थे, जिनके ऊपर मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता था।

सभापति महोदय, कई ऐसे देश हैं, जिनमें नियम तो बन गया है, लेकिन उन्होंने अपवाद छोड़ा है। जैसे इटली, अस्ट्रिया हैं, उन्होंने कहा है कि अनिवार्य मतदान है, लेकिन कोई आदमी बहुत बूढ़ा है, कोई बीमार है, कोई मतदान केंद्र से बहुत दूर है और ये अगर मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते हैं या कोई व्यक्ति जेल में है, तो इनके लिए छूट है। ऐसे कुछ अपवाद इस बिल में हम भी ला सकते हैं। अगर लगता है कि शुरू में कुछ ज्यादा अपवाद होने चाहिए, तो उनका भी प्रावधान कर सकते हैं, जिससे कि कुछ परसेंट छोड़ कर ज्यादातर लोग तो वोट देने के लिए प्रेरित होंगे।

गुजरात में ऐसा हुआ था, बाद में राज्यपाल महोदय ने वापस ले लिया था। उन्होंने दो चीजें की थीं, एक थी, जो वोट देने नहीं आएगा, उसका राशन कार्ड जब्त किया जाएगा, दूसरा, उसमें दो दिन की सज़ा का प्रावधान था। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं क्योंकि दो दिन की सज़ा ठीक नहीं है। मैं पोज़ीटिव पनिशमेंट की बात करता हूं। जैसे कोई आदमी साल में बीस लाख रुपए कमा रहा है, वह वोट देने नहीं आ रहा है, तो हम उसे दंड दे सकते हैं कि अगर तुमने वोट नहीं दिया और नॉन वोटर केटेगिरी में भारत सरकार ने खड़ा कर दिया, तो तुम्हें प्रधानमंत्री सहायता कोष में बीस हजार रुपए देने पड़ेंगे। वह भारत से पैसा कमा रहा है, भारत में ही लखपति बना है और भारत की लोकतंत्र की प्रक्रिया में वोट नहीं दे रहा है। हम नेगेटिव पनिशमेंट न देकर पोजीटिव पनिशमेंट तो दे ही सकते हैं। जैसे कोई गरीब आदमी है, यह कह सकते हैं कि नॉन वोटर गरीब आदमी का इलाज कराएगा। इससे भारत सरकार का रिलीफ फंड भी इकट्ठा होगा। जैसे मुख्यमंत्री सहायता फंड है, प्राकृतिक आपदा फंड है, कहीं बाढ़ आ जाती है, उस फंड में हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। कई सालों के बाद उसे लगेगा कि बहुत पैसा लग रहा है, हमें वोट देना चाहिए, तो वह वोट देने के लिए प्रेरित होगा।

मैंने नेट से बहुत चीजें ली हैं। कई देशों ने कहा कि उनके राशनकार्ड जब्त कर दो। सरकारी अस्पताल में इलाज की मनाही। सरकारी स्कूलों में दाखिले की अनुमति न देना। पासपोर्ट वीजा पर प्रतिबंध और वोट न देने वाले को ग्राम पंचायत, नगर निगम, सरकारी निकाय में आर्थिक जुर्माना जमा कराना। इनकम टैक्स रिटर्न के साथ मतदान प्रमाण पत्र लगाएं अन्यथा टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। जब श्री टी.एन. शेषण थे, तब आई कार्ड शुरू हुआ। अभी तक हम वोटर आई कार्ड नहीं बना पाए हैं। जब ऐसा किया गया था, तब भी लोगों ने कहा कि यह प्रेक्टिकल नहीं है, लेकिन आज बहुत से राज्य ऐसे हैं, जहां 90 परसेंट या 95 परसेंट वोटर आई कार्ड हैं। वोटर आई कार्ड बनाया गया, ऐसे ही हमें नॉन वोटर आई कार्ड का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा कि इस आदमी ने वोट नहीं दिया, इसलिए उसे जारी कर दो। इसे जारी करने के बाद पाजीटिव पनिशमेंट के सिद्धांत जारी कर दिए जाएं, इससे रिलीफ भी मिलेगी और लोग वोटिंग के प्रति प्रेरित भी होंगे।

मैं पोजीटिव पनिशमेंट के सिद्धांतों की बात कहता हूं। उसके हमें सदन में या समिति बनाकर चर्चा करनी चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था करेंगे, तो मेरा मानना है कि अनिवार्य मतदान के लिए जो बिल लाया गया है, इससे देश का भला होगा।

सभापति जी, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अनिवार्य मतदान बिल का समर्थन करता हूं और हमारी पार्टी भी इसका समर्थन करती है।

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, our esteemed colleague, Shri J.P. Aggarwal has introduced this Bill under the nomenclature, The Compulsory Voting Bill, 2009. I must appreciate the honest intention of the hon. Member. In the legislative document, the end is defined. The Legislative document intends to cast more votes for the growth of our democratic system but the means that have been suggested, I think, still are not advisable in the context of our country. India always pleads the persuasive policy in all concerned problems of our country. But the name - Compulsory Voting Bill is clearly smacking of a tinge of autocracy. So, here I am compelled to disagree with the means of the legislative document as has been enunciated. If we peep into our Constitution, we will find that Article 326 enshrines:

> "Elections to the House of the People and to the Legislative Assemblies of States to be on the basis of adult suffrage – The elections to the House of the People and to the Legislative Assembly of every State shall be on the basis of adult suffrage; that is to say, every person who is a citizen of India and who is not less than eighteen years of age on such date as may be fixed in that behalf by or under any law made by the appropriate Legislature and is not otherwise disqualified under this Constitution or any law made by the appropriate Legislature on the ground of non-residence, unsoundness of mind, crime or corrupt or illegal practice, shall be entitled to be registered as a voter at any such election."

Therefore, it is clearly prescribed in our Constitution that voting is our right. It is a civic right nonetheless and if we try to make it our civic duty, I think we will be landing in conflict with the basic tenets of our Constitution which advocates equality before the law.

There is compulsory voting in some of the countries in the world. They are pursuing the practice of compulsory voting. It does not mean that we are to mimic the practices of foreign countries because we have to understand the culture, the index of education, the fabric of our society and the ambience under which we are brought up before deciding any policy.

Sir, in our country, when the first election was held in some places, common voters had put up the symbol whom they were suppose to vote. On the top of a tree, the symbol was put to display their support to a particular party. This was the level of maturity that Indians had at that time. But we have journeyed a long and come to the first decade of the 21st century. Still, we are to take into cognizance of whether we will pursue any coercive policy or we will pursue the persuasive policy. Our objective must be to turn out more and more voters in our electoral mechanism because we are belonging to a representative democracy.

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, the allotted time for discussion on Compulsory Voting Bill, 2009 is over. I have six more Members to speak on the Bill. If the House agrees, the time for discussion of the Bill may be extended by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Sir, we are living in a country which preaches representative democracy. Sir, representative democracy is founded on the principle of elected individuals representing the people of our country as opposed to autocracy or direct democracy. Sir, representatives are chosen by the plurality of those who are able to cast vote and who are eligible to cast vote and doing the same. It does not mean that majority of votes are to be earned before being elected. A winning candidate needs to derive the highest number of votes among the contestants. This is the policy we are abiding since the electoral system of our country has been established.

Sir, representative democracy emphasizes individual liberty and that is why, we can say that India is a country which believes in liberal democracy. The liberty of any individual is mentioned in and is regulated by our Constitution. Our Constitution has framed up various measures, hundreds of articles, schedules, etc. to build a checks and balance mechanism in our democracy.

MR. CHAIRMAN: Mr. Chowdhury, do you feel that the craze for voting is coming down day by day?

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Yes, Sir. You have raised a very valid question. It is a problem of representative democracy. Sir, the major problem with representative democracy is voter apathy.

You are absolutely right in saying this. It is the apathy of the voter, it is the indifferent attitude of the voter which is really a matter of great concern. Sometimes, it seems that Governments are being run not by the mandate. They do not have any electoral legitimacy, right to rule. It is often seen. But, Sir, now, we need to have an introspection into the fact as to why the electorate are getting indifferent to the electoral system. Why are they becoming apathetic? Why are they not participating in the electoral process? It needs to be dealt with.

Sometimes, it is found that people are reluctant to cast their votes, to exercise their franchise for or against any of the candidates because they do not like any one contesting the elections. It is also noteworthy to say that more and more people are getting interested, especially those people till now are considered under-privileged section of our society, in the participation of any election.

The Bill is suggesting a number of penal measures so that people could be forced to cast their votes. Even, the hon. Members are referring to some countries of the West. But it is also true that a number of countries where compulsory voting system was in vogue till the other day are now withdrawing it because they find the untenability of compulsory voting. I can refer, Belgium, the oldest country in the world which, is pursuing the compulsory voting practice. It is called Baton Ballot. Some members also referred to Gujarat in the context of compulsory voting, but we cannot simply go by this way as has been proposed by the Gujarat Government. I would pray to the Gujarat Government to keep the citizens of Gujarat in peace and tranquillity. The Government which cannot afford security to the common citizen cannot ask for compulsory voting for the sake of democracy. I must say that.

MR. CHAIRMAN : Shri Adhir Chowdhury, if you make your speech short, we can take up the other Bill. The next Bill is yours. Otherwise, you will be missing the chance.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : I will try to be brief. Even in the year 1983, the Supreme Court affirmed that voting is a formal expression of will or opinion by the persons entitled to exercise the right on a subject or issue in question. Right to vote means the right to exercise the franchise. It is right in favour or against any issue in question or any Resolution. Such a right implies the right to remain neutral as well. Therefore, by this definition, it clearly vindicates that if we ask one to vote compulsorily, then, it will be tantamount to an infringement upon the freedom of an individual.

I must argue that intense mobilisation, more competitive electoral arena, arousal of interest in the elections are now being palpable in the aftermath of the assertion of regional parties.

Sir, I would like to draw your attention to the fact that the electoral turn out in Assembly Elections is found to be more than the National Election. Our voters are mature, they are sensitive and they are conscious. Otherwise, how have the voters of your State, voters of Jammu and Kashmir and voters of Arunachal Pradesh exercised their franchise? It clearly points out to the fact that without adopting any coercive measures, we can have a democratic upsurge in our country where more and more Dalits, minorities, women and under-privileged classes are sucked into the electoral process. They are taking more and more interest in the electoral process now.

So, we need to make a further introspection into the reason as to why the common voters are getting reluctant to cast their votes and the percentage of voting is declining, without resorting to any coercive measures. By the sheer dint of persuasion, by the dint of argument and by the dint of giving avenues for more freedom and more expression, we can increase the voting percentage in our country.

With these words, I conclude.

16.43 hrs.

PRIVATE MEMBERS' BILLS – Contd.

(xix) CENTRAL UNIVERSITIES (CONDITIONS OF SERVICE OF NON-TEACHING STAFF) BILL, 2010

MR. CHAIRMAN : Shri Jagdambika Pal, you may now introduce your Bill.

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for uniform conditions of service for the non-teaching staff of the Central Universities and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN : The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for uniform conditions of service for the non-teaching staff of the Central Universities and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI JAGDAMBIKA PAL : Sir, I introduce the Bill.

16.44 hrs.

COMPULSORY VOTING BILL, 2009 – Contd.

MR. CHAIRMAN : Now we resume the discussion on the Compulsory Voting Bill. Shri Shailendra Kumar.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे अनिवार्य मतदान विधेयक, 2009, जिसे हमारे साथी श्री जयप्रकाश अग्रवाल ने रखा है, पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस बिल पर बल देते हुए, मैं अपने कुछ सुझाव रखना चाहूंगा।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : शैलेन्द्र कुमार जी आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, मैं दोनों तरफ हूं। ये अच्छा काम करेंगे, तो इनके साथ हूं और अगर बुरा काम करेंगे, तो इनके विरोध में हूं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारतवर्ष है, जिसकी आबादी 100 करोड़ से भी अधिक है। अनिवार्य मतदान करने की जहां तक बात है, दोनों पक्षों के सम्मानित सदस्यों ने सुझाव रखे हैं। मैं वर्ष 1998 में जब 12वीं लोक सभा में चुनकर आया था तो मेरे यहां मतदान 34 प्रतिशत हुआ था। मैं 21 हजार वोट से जीत कर आया था। बड़े अफसोस की बात है कि आज हिन्दुस्तान का 50 प्रतिशत मतदाता उदासीन है, वह मतदान करने नहीं जाता। उसे चुनाव से घृणा हो गई है, उसका लोकतंत्र के प्रति विश्वास उठ गया है। अब अनिवार्य मतदान के लिए जागरुकता की जरूरत है। सफेद कुर्ते-पायजामे से भी लोग हेट करने लगे हैं, यह स्थिति आ गई है और यही कारण है कि मतदान का प्रतिशत दिन-प्रति-दिन गिरता चला जा रहा है। हम लोग वित्त विधेयक में कागज पर लिखे आंकड़ों पर लड़ रहे थे, बस उतना ही रह गया है। मैंने पहले भी कहा था कि आप ग्रामीण इलाकों में जाकर हकीकत देखिए तो असली भारत की तस्वीर आपको समझ में आएगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर हम अनिवार्य मतदान कराने के लिए बिल लाए हैं तो वहीं पर अनिवार्य मतदान कराने के लिए हमें सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी। लोगों में जागरुकता लानी पड़ेगी, तभी हमारा यह मकसद पूरा हो पाएगा। मैं डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि संविधान में हम लोगों को भारतवर्ष के सबसे बड़े संवैधानिक देश में उन्होंने वोट ऑफ राइट का अधिकार दिया, चाहे कोई बड़ा, मध्यम वर्ग या छोटा गरीब आदमी भी हो, सब को यह अधिकार दिया है। राजीव गांधी जी जब प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने 18 वर्ष किया। इससे युवाओं में एक नया उत्साह आया कि हम मतदान दे सकते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। मैं पर्सनल पब्लिक ग्रिवेंस लॉ एंड जस्टिस

का भी सदस्य था, इलैक्ट्रो रिफार्म पर हम लोगों ने चर्चा की थी। मुझे चुनाव खर्च के बारे में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि इस बारे में यहां पर बहुत जिक्र हो चुका है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चुनाव का खर्च पूरे तरीके से सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। जिस प्रकार से चुनाव आयोग का चुनाव आचार संहिता सख्ती से इस समय चल रहा है, उस हिसाब से चुनाव का पूरा खर्चा सरकार को वहन करना चाहिए और सब को बराबर देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अनिवार्य मतदान में छूट की बात कही गई है। जो लोग मतदान के दिन गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, अगर वे रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर का मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं तो उन्हें छूट दी जानी चाहिए। खास कर हर मतदाता के लिए उसके अपने मताधिकार के प्रयोग के समय सिक्योरिटी की भी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। हमारे यहां मतदान का स्वरूप धीरे-धीरे बिगड़ता जा रहा है, उस हिसाब से हर मतदाता को सुरक्षा देने की आवश्यकता है। सरकार को इस बात को अपने हाथ में लेना चाहिए। आज भी हम देखते हैं, जब क्षेत्र का दौरा करते हैं तो लोग हमसे मांग करते हैं कि साहब, हम लोगों को वोट डालने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। हमें देखना चाहिए कि जहां हमारी आबादी ज्यादा है, मेरे ख्याल से अब दो सौ या ढाई सौ लोगों के लिए एक बूथ सेट किया गया है। बूथ भी नजदीक होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई बीमार, असहाय या गरीब आदमी है, वह आसानी से पैदल चल कर अपना वोट डाल सके, यह व्यवस्था करनी चाहिए। बूथ तक जाने के लिए कम से कम दूरी होनी चाहिए। हमने एक अनिवार्यता यह रखी कि जिस गांव में मज़रे में जहां पक्के मकान हों, वहीं पर मतदाता बूथ बनाने की बाध्यता है, उसे भी समाप्त करना चाहिए। मेरे ख्याल से अब हर गांव में तमाम प्राथमिक विद्यालय, जूनियर विद्यालय या प्राईवेट विद्यालय ऐसे हैं, जिसमें बूथ बना देने चाहिए, वहां मतदान केन्द्र बना देने चाहिए ताकि उससे लोगों को सहूलियत मिले।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो बहुत बुजुर्ग हैं, जो शारीरिक रूप से निशक्त हैं अथवा जो प्रैग्नेंट महिलाएं हैं, जिन्हें मतदान करने में दिक्कत हो, उनके लिए मोबाइल मतदान केन्द्रों की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि वे उनके घरों के निकट जाकर या गांव में किसी एक स्थान पर आ कर मोबाइल बूथ खड़ी हो जाएं, जहां आकर वे अपना मतदान कर सकें। यह व्यवस्था हमें करनी चाहिए। इस विधेयक के अनुसार जो मतदान न करे, उसके ऊपर 500 रुपए जुर्माना लगाने एवं दो दिन की कैद, राशनकार्ड जब्त और 10 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ने देने की बाध्यता दर्शाई गई है। दूसरी ओर उसे जो सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं में सहूलियत मिलती है, जैसे मकान या भूखंड के आबंटन में उसे अपात्र घोषित कर दिया जाए। जिस व्यक्ति ने वोट नहीं डाला है, यदि वह ऋण लेने जाता

है, तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रकार से तमाम योजनाओं से उसे वंचित रखने की बात कही गई है।

महोदय, अभी श्री अर्जुन जी बोल रहे थे। गुजरात में भी इसी प्रकार का एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके बारे में उन्होंने सफाई दी कि वह तो लोकल या पंचायत के चुनाव के लिए किया गया था। मैं कहना चाहता हूं कि इस दिशा में गुजरात से एक पहल हुई थी। इसे करना चाहिए। हम भी इस पक्ष में हैं कि अनिवार्य मतदान होना चाहिए। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमें इस पर नाज है कि हम भारत के नागरिक हैं। हम यहां 30, 32, 34 और 35 परसेंट पर चुनकर चले आते हैं, यह ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि विश्व में सबसे बड़े लोक तंत्र के रूप में हमारे देश पर कम मतदान के आधार पर कोई बट्टा न लगे। जब हम इतने कम मतों से चुनकर आते हैं, तो बाकी जो 70-75 परसेंट लोग बचते हैं, उनसे कोई मतलब ही न रहे, यह उचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि मतदान के अधिकार को अनिवार्य बनाया जाए, लेकिन इसमें थोड़ा सुधार कर दिया जाए ताकि इतनी बाध्यता न हो और जो पनिश्मेंट की व्यवस्था है, वह थोड़ी कम-ज्यादा हो सकती है, इस पर हम विचार कर सकते हैं।

महोदय, इस विधेयक में यह भी बताया गया है कि जो सरकारी सर्विस में हैं, उन्हें डाक से वोट देने का अधिकार है। इसमें भी कहा गया है कि 10 दिन के वेतन की जब्ती, पदोन्नति में दो वर्ष का विलम्ब हो। यदि ऐसा होगा, तो उसका प्रमोशन ही नहीं होगा। इस प्रकार की तमाम बातें विधेयक में कही गई हैं। मैं इसके ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। जैसा मैंने पहले कहा, इसके लिए और सुविधाएं दीजिए और सुविधाएं देने के बाद, कुछ कम ज्यादा कर के, थोड़ी बहुत जागरुकता और मतदान के प्रति अनिवार्यता करनी चाहिए।

महोदय, इलैक्ट्रोरल रिफॉर्म्स के बारे में दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशें 1990 में आई थीं। उनके ऊपर भी हमें गौर करने की जरूरत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए पुनः इस विधेयक पर बल देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : शैलेन्द्र कुमार जी, एक बार हमारे एक मित्र जीते थे, उनके बारे में लिखा था कि elected but deposit forfeited. वोटिंग इतनी कम हुई कि जीत गए, लेकिन जमानत जब्त हो गई, ऐसा भी होता है।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, मैं सम्मानित सदस्य, श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा लाए हुए प्रस्ताव, अनिवार्य मतदान विधेयक, 2009 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। वोटर लिस्ट बनाते समय जो सर्वेक्षण होता है, उसमें घरों में रहने वाले बहुत से लोग छूट जाते हैं। कभी-कभी तो यह होता है कि इसमें रुचि रखने वाली पार्टियां एक पार्टी विशेष के जो वोटर होते हैं, उनके नाम ही गायब करा देती हैं। इसलिए वोटिंग लिस्ट से नाम गायब होने की बड़ी शिकायतें आती हैं। मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि यदि वोटर लिस्ट से जो नाम गायब होते हैं, तो जिस अधिकारी का सर्वे करने और वोटर लिस्ट बनाने का काम होता है, उसे भी दंडित करना चाहिए, क्योंकि जो लोग वोट देना चाहते हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब होने के कारण वे वोट नहीं डाल पाते हैं।

महोदय, मैं उत्तराखंड से आता हूं और उत्तराखंड के अंदर बहुत सैनिक मतदाता हैं। लगभग 40 हजार मतदाता हैं। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सैनिक मतदाता हैं। इन पहाड़ी राज्यों में बहुत ज्यादा सैनिक मतदाता होते हैं। आप जानते हैं कि सेना, हमारे देश की रक्षा करने के लिए तैनात होती है। अब आप कल्पना कीजिए कि जो सैनिक राइफल लिए दुश्मन की तरफ ताक रहा हो, वह वोट कैसे दे पाएगा?

अगर वह रेकी करने गया है और सीमा पर रेकी कर रहा है, देख रहा है कि दुश्मन है या नहीं और शाम को उसको रिपोर्टिंग करनी है तो वह देश की सीमा की रक्षा करेगा या जहां वह तैनात हुआ है, उस स्थान को छोड़कर वोट देने जायेगा? इसके लिए पोस्टल बैलेट का प्रावधान किया गया है, पर मैं नहीं समझता हूं कि पोस्टल बैलेट इसमें कारगर हुआ है। जो भी ट्रांसपेरेंसी वोटिंग में रखी गई है, जो चुनाव लड़ रहे होते हैं, उनके एजेण्ट होते हैं, इस प्रकार की कोई भी ट्रांसपेरेंसी पोस्टल बैलेट के अन्दर नहीं होती है। यहां तक कि जो पार्टी का मैनीफैस्टो होता है, वह मैनीफैस्टो भी सीमा पर तैनात सैनिकों तक पहुंच नहीं पाता। उन्हें यही नहीं मालूम कि कौन पार्टी है, क्या पार्टी का मैनीफैस्टो है, कौन केंडीडेट चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति के अन्दर वे कैसे सही ढंग से मतदान कर पाएंगे। यह एक बहुंत बड़ी धांधली पोस्टल बैलेट की हो जाती है। मैं मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि इस पूरी धांधली को समाप्त करें और प्रॉक्सी वोटिंग का प्रावधान करें।

एक समय नेहरू जी का गला एक पठान ने पकड़ा और कहा कि तुम कहते हो कि हमें आजादी मिल गई है तो हमें आजादी के बाद क्या मिला। नेहरू जी ने कहा कि तुम प्राइम मिनिस्टर का गला पकड़े हुए हो, यह सबसे बड़ा अधिकार मिला। आजादी का सबसे बड़ा अधिकार, लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार यह है कि हमें वोट देने का अधिकार मिला है और यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहिए।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि:

रावी की रवानी बदलेगी, सतलुज का मुहाना बदलेगा,
गर शौक में तेरे जोश रहा, तस्वीर का जामा बदलेगा।
बेजार न हो, बेजार न हो, सारा फसाना बदलेगा,
कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, तब तो ये जमाना बदलेगा।।

मैं चाहता हूं कि अनिवार्य वोटिंग हो और इसमें जो विसंगतियां हैं, वे दूर हों, भारत का लोकतंत्र मजबूत हो और हम पूरी दुनिया के अन्दर विश्व गुरू के रूप में स्थापित हों, यह हमारी कामना है।

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Mr. Chairman, Sir, I would like to express my thanks to you for giving me this opportunity to speak on the Compulsory Voting Bill.

At this juncture, I would like to appreciate Shri J.P. Agarwal for bringing this Bill at the appropriate time with a novel idea.

I endorse the concept of compulsory voting in principle. Democracy flourishes not only with the full participation of the people but also with the flawless electoral system.

16.59 hrs.

(Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

Sir, before enacting legislation for compulsory voting in the election, necessary spadework should be made to make the concept really workable. It needs to be further improved so that the existing defects and faults are removed, and a perfect system is put into practice. Defective and faulty system results in erosion of the democratic values.

During the Diamond Jubilee Celebrations of the Election Commission, the Chairperson of the UPA and the President of the Congress Party, Madam Sonia ji has lamented over the growing money power, muscle power and criminalization of politics. I appreciate the Congress President for the outright condemnation of the growing evils. If this is the laudable principle of the Congress Party, if it is the worthy idea of the Congress President, I wonder how the Congress Party will be going to fight against these evils ... *

* Not recorded

17.00 hrs.

In all the bye elections held in Tamil Nadu, the ruling party is adopting the same formula. If the Congress party wants to follow the said principles, what Congress President strongly suggested, there is no meaning in continuing alliance with the DMK. They should come out of the clutches of the DMK. It is good for the Congress party and for the country as a whole.

Most of the cadres in the Congress party silently realise the need for breaking away from this ... *. It is up to the Congress High Command to decide its own course of action… (*Interruptions*) I am telling the fact. It is up to the Congress High Command to decide its own course of action. There is nothing more. It is up to you whether you are continuing alliance with the DMK or not. I am not in your way.

Another aspect I want to touch upon is the electoral roll system. Though we have conducted so many elections during the last 60 years, still we have not yet developed an electoral roll system free from defects. More particularly, in Tamil Nadu, the voters' list is full of defects. Thousands and thousands of voters who are otherwise eligible were not included in the voters' list. *En block* deletion of voters' name in a particular area is a common feature. The worst part of it is that voters having identity cards did not find their names in the electoral rolls. All this happened under the direction of the ruling party with the connivance of officials. The Election Commission is helpless. In Tamil Nadu every election is being conducted through the defective electoral rolls… (*Interruptions*)

SHRI J.M. AARON RASHID (THENI): Sir, he is misleading the House… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please sit down.

… (*Interruptions*)

* Not recorded

SHRI S. SEMMALAI : So, the Election Commission should take effective measures for cent per cent inclusion of all eligible voters through scientific verification. I would urge upon the Election Commission to utilize the services of the Central Government employees and the employees working in the public sector undertakings for this task. Only after ensuring defect free electoral system, we can think of introducing compulsory voting in the country… (*Interruptions*)

SHRI N.S.V. CHITTHAN (DINDIGUL): Sir, he is misleading the House and this should not go on record… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I will go through the proceedings. If there is anything unparliamentary or derogatory, I will expunge it from the records. Now, please sit down.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Semmalai, this is a Private Member's Bill. Please do not enter into controversial politics.

SHRI S. SEMMALAI : I am not accusing anybody. The voters' list has not been prepared properly. That is my point… (*Interruptions*) Let the Chairman go through the speech. If I have used any unparliamentary word, he is at liberty to remove it.

MR. CHAIRMAN: I have already given my ruling that if there is anything unparliamentary or derogatory, I will certainly expunge it.

SHRI S. SEMMALAI : If I have used any unparliamentary words, the Chairman is at liberty to delete it.

MR. CHAIRMAN: Mr. Semmalai, you have a very little time. Please confine yourself to the speech.

SHRI S. SEMMALAI : Let me also draw the attention of this august House regarding electronic voting machines (EVMs). Though the Election Commission says that the EVMs are tamper proof, there are instances where the EVMs have failed during the polling process. Electronic machines are liable to fail and the EVMs are no exception. Are we not receiving wrong calls in our cell phones?

Day before yesterday also, the electronic voting system had failed in this very august House during the voting on Cut Motions, and our hon. Speaker directed the Members to use hand slips for voting? To avoid any ambiguity and enable the voters to feel sure that their votes have been rightly recorded, we would call upon the Government to discard the EVMs system and revert back to the old ballot system.

My revered leader, the former Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi J. Jailalitha has time and again urged the Government and the Election Commission to resort to the ballot system of voting for fair elections.

Even in developed countries, this type of EVM system has been given up, and they are conducting the elections through the ballot system. So, without standing on prestige, the Election Commission and the Government should come forward to conduct the elections through ballot voting system in future.

In short, the principle of Compulsory Voting Bill is good but possibility is less. So, at this juncture, I appreciate Mr. J.P. Agarwal for bringing this Bill.

डॉ. प्रभा किशोर ताविआड (दाहोद): सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं गुजरात से आती हूं और दाहोद मेरा इलाका है। It is a tribal belt. वह बहुत गरीब इलाका है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि हमें जीने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है - पहला, हवा जो हमें मुफ्त में मिलती है। यह खुशी की बात है कि हमें अच्छी तरह हवा मिलती है। हम ग्रीन ट्राइबुनल बिल द्वारा पर्यावरण को बचाकर अच्छी हवा लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, पीने का पानी है। गुजरात के दाहोद के आदिवासी लोगों को, हमारी बहनों को पीने का पानी लेने के लिए तीन-तीन किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वहां पीने का पानी नहीं होता। आप समझ सकते हैं कि इरीगेशन की क्या फैसीलिटी होती होगी। गुजरात में अभी तक जो रूलर्स आए हैं, उन सबने ट्राइबल बैल्ट को इरीगेशन से छोड़ दिया है। नर्मदा की कैनाल केवल 40 किलोमीटर दूर से जा रही है, लेकिन हमें उस कैनाल से पीने का पानी नहीं मिल रहा है। कडाना डैम दाहोद के कैचमैंट एरिया से बना हुआ है। हमारे आदिवासी भाइयों को अपनी सोने जैसी जमीन छोड़कर कहीं और जाकर, जहां पानी नहीं है, वहां बसना पड़ा है। हमारे इलाके में पानी होते हुए भी कडाना और संतराम पुर, जो 15 किलोमीटर के करीब एरिया है, वहां के लोगों को पीने के लिए पानी नहीं दे पाए। वह पानी 400-500 किलोमीटर महसाणा में जाकर सुजलाम, सुफलाम कर रहा है। मैं अपने प्वाइंट पर आ रही हूं। मेरे भाई, दाहोद के ट्राइबल लोग सौराष्ट्र के महसाणा में जाकर, यहां से जो पानी जाता है, उसी में से वहां सुजलाम, सुफलाम करते हैं। वहां समर सीजन में पैडी पकवाते हैं। How can the poor tribal people come and vote regularly in their constituency?

सभापति महोदय : आप कम्पलसरी वोटिंग बिल पर बोलिए।

...(व्यवधान)

डॉ. प्रभा किशोर ताविआड : मैं उसी प्वाइंट पर आ रही हूं। अभी सतपाल महाराज जी बोल रहे थे कि जो सिपाही सरहद पर देश की रक्षा कर रहा है, वह मतदान के लिए नहीं आ सकता। जो मजदूर 400-500 किलोमीटर दूर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, they cannot come regularly in each and every by-election, Tehsils election and Gram Panchayat election. They cannot come. My request is, first give us water for irrigation and livelihood in my constituency. वहां कोई उद्योग भी नहीं है। मैं चाहती हूं कि हमें पहले वहां कुछ कमाने के लिए दीजिए, कुछ खाने के लिए दीजिए, पीने का पानी दीजिए, बाद में इसे लाइए। I am not against the compulsory voting. I am not against the apathy. But we have to motivate them. We have to give

something to them. So, a day will come and they will spend Rs.500 to come and vote. That is also not possible now. मैं अपने सब भाइयों से विनती करती हूं कि please cooperate with me. मैं पानी के लिए तरस रही हूं। I am asking for water for my territory.

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): माननीय सभापति महोदय, अनिवार्य मतदान बिल, 2009 जो माननीय जल प्रकाश अग्रवाल जी द्वारा लाया गया है, उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारत वर्ष विश्व के लोकतांत्रिक देशों में से सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। हमें यहां आने का अवसर उस वोटिंग व्यवस्था से मिलता है, जहां से सब लोग चुनकर आते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस बड़े लोकतंत्र में, जहां हम कानून बनाने, कानून की रखवाली करने की व्यवस्था का निर्णय लेते हैं, वहां आज सिर्फ 30-35 परसेंट जनता ही मतदान कर रही है। लोग मतदान नहीं कर रहे, इसके कई कारण हैं। मैं सबसे पहले हृदय से भारत रत्न स्वर्गीय अम्बेडकर साहब का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि जब कानून का निर्माण उनके संरक्षण में हो रहा था, तो उन्होंने इस देश को एक व्यवस्था दी। संविधान में चाहे गरीब व्यक्ति हो, राजा हो या सामान्य व्यक्ति हो, सबको वोट देने का समान अधिकार है। देश राजतंत्र की दुर्व्यवस्थाओं से तंग आकर इस लोकतंत्र की तरफ आस्था भरी निगाहों से बढ़ा। हम आपका ध्यान इस तरफ भी ले जाना चाहेंगे कि यह अनिवार्य वोटिंग क्यों जरूरी हुई, इसका बिल लाना क्यों जरूरी हुआ? हम गांव में रहने वाले लोग हैं, पूर्वांचल से आते हैं और भदोही लोक सभा क्षेत्र हमारा ग्रामीण अंचल है। हमें यह कहने में संकोच नहीं कि आज से पहले जब वोटिंग करने के लिए सामान्य, गरीब, दलित, झुग्गी-झोंपड़ी का परिवार मतदान तक जाता था, तो उसे यह कहकर वापिस भेज दिया जाता था कि आप जाओ, आपकी वोटिंग हो गयी है। वह वोटिंग होती नहीं थी, लेकिन उन्हें वोट देने नहीं देने दिया जाता था और धनबल और बाहुबल का प्रयोग करने वाले ऐसे लोग भी हुआ करते थे, जो पैसों के बल पर, अपनी ताकत के बल पर वोट खरीद लिया करते थे, वोट डलवा लिया करते थे। लेकिन चुनाव आयोग की सख्ती और वोट की व्यवस्था ने परिणाम बदले हैं। उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में आज लोकतंत्र की व्यवस्था में एक साफ सुथरी सरकार बहन मायावती, जो दलित परिवार की बेटी हैं, को काम करने का अवसर मिला है। अगर यह चुनाव आयोग की सख्ती न हुई होती, तो शायद यह व्यवस्था न आ पाती।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय जय प्रकाश अग्रवाल जी ने अपने बिल में जो कुछ बातें रखी हैं, उस तरफ भी मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। यदि हम मतदान नहीं करते हैं, तो जुर्माने के तौर पर 500 रुपये या दो दिन का कारावास, राशन कार्ड की जब्ती या ऐसे लोगों को जो किसी भूखंड या मकान के मालिक हैं, उससे बेदखली या वे किसी वित्तीय संस्था में ऋण प्राप्त कर रहे हैं, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाये। इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक तरफ और ले जाना चाहूंगा कि ऐसे भी कुछ तत्व होते हैं, जो सामान्य,

गरीब या निर्धन परिवार के लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट से बाहर कर देते हैं। वह व्यक्ति वोट के लिए दो-तीन या पांच किलोमीटर चिलचिलाती धूप में, बरसात में चलकर बूथ पर पहुंचता है, तो यह कहा जाता है कि आपका नाम ही नहीं है। यह नाम शरारतन कटवा जाता है। ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कानून होने चाहिए। यदि वोट देने के लिए लोग नहीं आते हैं, तो उन पर हम इस तरह का कानून ला रहे हैं, तो साथ ही साथ ऐसे लोग जिनको वोटिंग लिस्ट से बाहर करने का कुचक्र किया गया है, उन पर भी अंकुश लगाने के लिए कड़े कानून आने चाहिए, ताकि हमारा जो संवैधानिक, नैतिक और मूलभूत अधिकार है, उससे हम वंचित न रह जायें।

महोदय, मैं आपके माध्यम से दो-तीन बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आज लोग वोटिंग करने के लिए क्या नहीं आ रहे हैं? कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई। ग्रामीण अंचलों में, शहरी अंचलों में त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं, उन चुनावों में प्रतिशत अधिक है। विधानसभा चुनावों में भी प्रतिशत अधिक है, लेकिन लोक सभा के चुनाव में मतदान प्रतिशत कम होता है। इसकी वजह कुछ तो राजनीति में आई हुई गिरावट, कुछ ऐसे एंटीसोशल एलिमेंट्स का प्रयोग और कुछ ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनकी वजह से सफेदपोश पर आज एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। कभी नेता जी सम्मान का शब्द हुआ करता था, लेकिन आज नेता शब्द लांछित हो गया है। किसी का अपमान करना है, किसी का मजाक बनाना है, किसी को तिरस्कृत करना है, तो लोग कहते हैं आइए नेता जी। ऐसा लगता है कि गाली दी जा रही है, लेकिन यह शब्द कभी सुभाष चन्द्र बोस के लिए प्रयोग होता था, देश के मूर्धन्य लोगों के लिए प्रयोग होता था, कभी संविधान की व्यवस्था के तहत मतदान के द्वारा चुनकर इस सदन में चुनकर आए हुए लोगों के लिए यह शब्द अलंकृत माना जाता था। लेकिन आज इस शब्द को लोग बहुत गिरी हुई नजर से देख रहे हैं। इसके कारण वही है जिनके बारे में हम कल और आज क्रिकेट की फिक्सिंग के बारे में डिसकस कर रहे थे। कभी मैच में हेराफेरी की बात करते हैं, कभी उसमें संरक्षण की बात करते हैं, यह भी उसका एक फैक्टर है। जहां तक पोलिंग बूथ का सवाल है,वह भी इसका एक फैक्टर है। गांवों के लोग जो गांवों से तीन-चार किलोमीटर दूर वोटिंग करने जाते हैं, उन पर चुनाव आयोग ने यह प्रतिबंध लगा दिया है कि आप किसी सवारी या साधन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वह गरीब आदमी चिलचिलाती हुई धूप में जाता है, वह बूढ़ा, बीमार और अशक्त आदमी किस तरह से बूथ तक पहुंच पाएगा, इसके लिए भी कुछ प्रावधान करने की आवश्यकता है जिससे उन्हें बूथ तक ले जाया जा सके। ऐसी व्यवस्था है कि अगर आप सवारी का प्रयोग करेंगे, तो आप पर कानूनी प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गांवों में ऐसे लोग है, जिन्हें बूथ तक जाने में कठिनाई होती है, इसकी वजह से भी मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था दी है कि 250 से 300 आबादी के अंतराल पर बूथ बनाए जाएंगे,

लेकिन वह भी कम है क्योंकि जो पहाड़ी अंचल में रहने वाले लोग हैं, जिनकी बस्तियां बहुत दूर-दूर हैं, उनकी आबादी कम है, लेकिन उन्हें चार-पाच किलोमीटर और कभी-कभी दस से बीस किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। उन लोगों के भी वोटिंग की व्यवस्था हो, इसलिए सचल मतदान केन्द्र की व्यवस्था की जाए। जो गांव का गरीब व्यक्ति है, जिसका मतदान स्थल 250-300 की आबादी की सीमा की वजह से दो-तीन या चार किलोमीटर दूर होता है, उनके गांव में एक अनिवार्य व्यवस्था कर दी जाए कि हर बस्ती में बूथ बनाए जाएं, हर बस्ती में मतदान केन्द्र बनाए जाएं, तभी यह व्यवस्था कामयाब हो पाएगी। इससे धनबल-बाहुबल का प्रयोग करके दलितों और वंचितों को वोटिंग से रोकने की जो व्यवस्था थी, उस पर अंकुश लगा है, लेकिन और भी कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है। मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं।

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती): महोदय, मैं आपकी अनुमति से इसी स्थान से बोलना चाहता हूं।

महोदय, एक अति महत्वपूर्ण अनिवार्य मतदान विधेयक जो माननीय जय प्रकाश अग्रवाल जी द्वारा इस सर्वोच्च सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसे बल देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं पीठ का और आपका आभार व्यक्त करता हूं।

मान्यवर, संविधान में मतदान स्वतंत्र भारत में एक मौलिक अधिकार है। यह सर्वोच्च पीठ, जिस पर आप विराजमान हैं, यह स्वतंत्र भारत की एक अरब से भी ऊपर आजाद हिन्दुस्तानियों के जन-गण-मन की सर्वोच्च पीठ है। लोकतंत्र और संविधान की संरक्षक भी यह सर्वोच्च पीठ है। लोकतंत्र का यह सर्वोच्च मंदिर हमारी स्वतंत्रता और हमारा संविधान न केवल पूरे विश्व में लोकतंत्र का द्योतक है, बल्कि पूजनीय मंदिर भी है। जिसे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में एक अरब से ऊपर का जन-गण-मन अपना पूजनीय स्थल भी मानता है।

मान्यवर, वैदिक काल के भारतवर्ष की जो व्यवस्था रही है, वह भी गणतंत्र और प्रजातांत्रिक व्यवस्था रही है। यह अलग बात है कि कालान्तर में आकर हिन्दुस्तान को, भारत माता को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ना पड़ा और गुलामी के सैंकड़ों वर्ष झेलने पड़े। आजादी की लड़ाई के बाद इस पवित्र और लोकतंत्र की सर्वोच्च पीठ का निर्माण करने के समय विश्व की आंखें लगी हुई थीं। इस सर्वोच्च और पवित्र मंदिर के निर्माण में हमारे एक अरब से भी ज्यादा हिन्दुस्तानियों के न जाने कितने पूर्वजों की शहादत के बारे में इतिहास के शिलालेख में उल्लेख विद्यमान है। उनके अतिरिक्त भी न जाने कितने ही हमारे पूर्वजों ने शहादत दी, जिनका इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं है।

आज मैं एक अरब से भी अधिक हिन्दुस्तानियों की तरफ से, इस पवित्र मंदिर के अपने सभी माननीय सदस्यों की तरफ से, अपने निर्वाचन क्षेत्र की महान जनता की तरफ से लोकतंत्र की इस सर्वोच्च पीठ के मंदिर की आजादी की लड़ाई में शहीद हुए लोगों, स्वतंत्र भारत के निर्माण में अपनी आहुति देने वाले अपने पूर्वजों की शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं और प्रणाम करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं पूरे विश्व की इस सर्वोच्च पीठ को और इस पवित्र मंदिर को। मैंने वैदिक काल की बातें कहीं, लेकिन आज आजादी के 62 वर्ष बाद भी इस सर्वोच्च मंदिर के, लोकतंत्र की इस सर्वोच्च पीठ के अंदर आजाद हिन्दुस्तान का जो गौरवमयी इतिहास रहा है, वहां अनिवार्य मतदान विधेयक पर चर्चा करनी पड़ रही है, तो यह कहीं न कहीं खेद का विषय है और विचारणीय विषय भी है हम आजाद हिन्दुस्तानियों के लिए।

मैं अपने पूर्व वक्ता और इस विधेयक को इस सर्वोच्च सदन में पेश करने वाले माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश अग्रवाल जी से अपने को संबद्ध करना चाहूंगा।

सभापति महोदय : समय कम है इसलिए आप संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): आधा घंटा समय और बढ़ा दें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है।

सभापति महोदय: अभी वह समय नहीं आया है। मैं तो पांडेय जी को कह रहा हूं कि संक्षेप में अपनी बात कहें।

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय : सभापति महोदय, मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं अधीर रंजन चौधरी जी, सतपाल महाराज जी और अन्य माननीय सदस्यों ने यहां पर आंकड़े रखे, संविधान के अनुच्छेदों की चर्चा की। स्वतंत्र भारत के संविधान के नियमों और अनुच्छेदों पर यहां चर्चा हुई, मैं उससे अपने आपको समबद्ध करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं। उससे अपने आपको पूर्णतः सम्बद्ध करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं।

मान्यवर, आज बहुत क्षोभ के साथ, भारी मन से इस पीठ और महान सदन के समक्ष यह कहना पड़ रहा है कि " बढ़ गयी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से नयी गंगा निकलनी चाहिए।" आज इस महान सदन में हम 62 वर्षों की आजादी के बाद हम अनिवार्य मतदान पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए यह बात बर्बस दिल से निकली है।

मान्यवर, आज चर्चा का विषय यह है कि अनिवार्य मतदान में दंड का प्रावधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रीय देश का कानून मंत्री यहां बैठा है, उसके समक्ष ये बातें हो रही हैं, यह बड़ी क्षोभ की बात है। पहले शिक्षा का स्तर बहुत ही कम था, न्यून था, जिसके तहत हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान की संरचना की, मतदान की व्यवस्था की तथा देश, काल और समय के अनुरूप उसमें परिवर्तनों की भी व्यवस्था की गयी। आज आजाद हिंदुस्तान में शिक्षा का स्तर बढ़ा है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। परन्तु लोकतंत्रीय व्यवस्था में यह कहते हुए बहुत क्षोभ होता है कि जिस अशिक्षित, गरीब और गांव की बात हम करते हैं, जिस गरीबी और पिछड़ेपन की बात हम करते हैं और कहते हैं कि भारत गांव में बसता है, जहां शिक्षा का स्तर कम है, वहां तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जागरुकता कुछ बढ़ी है और वहां के मतदान का प्रतिशत शिक्षित समाज और शहर में रहने वाले लोगों से ज्यादा है। यहां चर्चा हुई है कि मतदान का स्तर कम रहता है लेकिन आज भी अगर लोकतंत्र का झंडा ऊंचा है, आज भी अगर जन गण मन अधिनायक जिंदा है तो निश्चित रूप से उस समाज की देन है जो आज भी लोकतांत्रिक व्यवस्था और हिंदुस्तान के संविधान में अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं।

मान्यवर, शिक्षित समाज के लोग जो अपने अधिकार की बात करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति उनसे कुछ न कुछ चूक हुई है, इसीलिए उनकी जवाबदेही और कर्तव्यपरायणता की तरफ भी यह

व्यवस्था उंगली उठाती है। मान्यवर, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में स्वर्गीय राजीव गांधी ने 18 वर्ष में मतदान का अधिकार दिया, यह हिंदुस्तान उनका आभारी है, आज का नौजवान उनका आभारी है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में हर वर्ष या हर दूसरे वर्ष कोई न कोई चुनाव होता ही रहता है। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि आज भी हमारी मतदाता सूची त्रुटिपूर्ण है और हम उसे पूरा और सुदृढ़ नहीं कर पाए हैं।

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, the extended time for the discussion on this Bill is over. I have two more speakers to speak on this Bill. If the House agrees, the time for this discussion may be extended by another one hour.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: All right, the time on this discussion is extended by one hour.

Dr. Vinay Kumar Pandey to continue his speech.

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे बोलने के लिए और समय दे रहे हैं। शिक्षित वर्ग में जागरुकता का लोप कहीं न कहीं अपनी कर्तव्यपरायणता की तरफ उंगली इंगित करती है। अगर हम एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं, अपने अधिकारों की तरफ उठाते हैं, तो उसी हाथ की चार उंगलियां हमारी स्वयं की तरफ उठती हैं कि हमें चूक कहां हुई है, शिक्षित समाज से कहां चूक हुई है, जिसने अपना डंका पूरे विश्व में बजाया है, चाहे प्रबंधन तंत्र की बात हो, चाहे टेक्नीकल शिक्षण की बात हो। आज हिंदुस्तान का शिक्षित समाज और हिंदुस्तान का दिमाग पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहा है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत का वोटर आई कार्ड त्रुटिपूर्ण है। मैंने श्री नंदन नीलेकणि जी को पढ़ा है। उससे मैं समझा हूं कि एक स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था लागू हो रही है। हिंदुस्तान में लाइसेंस की व्यवस्था, आई कार्ड की व्यवस्था, सम्पत्ति का ब्यौरा या पैन कार्ड हो, बहुत कार्ड बन जाते हैं। मैं सदन में आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि जो स्मार्ट कार्ड बनाया जा रहा है, वह अपने आप में परिपूर्ण सिलिकोन चिप में बनाया जाए, जिसमें सम्पत्ति का ब्यौरा भी हो, पहचान पत्र भी हो, लाइसेंस भी हो, पैन कार्ड हो, हैल्थ कार्ड हो या इनवेस्टमेंट कार्ड हो, शिक्षा का कार्ड, रोजगार का कार्ड सभी कार्ड सिंगल सिलिकोन चिप में होना चाहिए। हमारी टेक्नोलोजी जिस स्तर पर पहुंच चुकी है, यह किया जा सकता है। जितना पैसा हम अलग-अलग कार्डों को बनाने में खर्च करते हैं, अगर उन्हें संकलित करके एक दिशा में कार्य करें, तो निश्चित रूप से सिंगल स्मार्ट कार्ड बनाया जा सकता है।

अनिवार्य मतदान की बात कही गई है, अगर सिंगल स्मार्ट कार्ड लागू हो जाएगा, तो आज हम इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन का हम यूज कर रहे हैं। इस मशीन को हम परिष्कृत करके, कई माननीय

सदस्यों ने कहा, सतपाल महाराज जी ने भी कहा कि नौकरी के लिए या अन्य कार्य के कारण हमारा मतदाता बाहर है या बार्डर पर है, तो यह संभव नहीं है कि वह अपने मतदान केंद्र से वोट कर सके। उस दिशा में आगे बढ़ते हुए इस परिष्कृत वोटिंग मशीन में कहीं से भी वोट डालने की व्यवस्था की जा सकती है। श्री शैलेन्द्र जी कह रहे थे कि गांवों में जो पक्के भवन होते हैं, वही मतदान केंद्र होते हैं। विद्यालय के अलावा आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम सचिवालय, पंचायत भवन, सरकारी भवन आदि हैं, यहां हम इलेक्ट्रोनिक मशीन से वोटिंग की व्यवस्था निश्चित रूप से कर सकते हैं, इससे मतदान के प्रतिशत में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होगी। कई माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्हें यूपीए चेयरपरसन सोनिया गांधी जी का शुक्रिया करना चाहिए, जिनकी बदौलत इनकी बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है। अभी यह उस चुनाव में बोगस और प्रॉक्सी वोटिंग के बारे में बात कर रहे थे। अगर उस चुनाव में यूपीए चेयरपर्सन के दिशा-निर्देशन में यूपीए की सरकार ने वह व्यवस्था नहीं की होती तो निश्चित रूप से परिणाम कुछ और होता। इन्हें सच्चे हृदय से इस बात को मानना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं एक अंतिम बात और कहना चाहता हूं। अभी हमारी बहन ने कहा कि उस गुजरात में जहां पानी के लिए इस सर्वोच्च सदन में चर्चा हुई हो, अनिवार्य मतदान के विषय पर चर्चा के दौरान हमारी बहन ने भारी हृदय से यह बात कही है कि जहां पानी के लिए जनजाति तरसती हो, जनजातीय व्यवस्था में रहने वाले लोग तरसते हों, वहां अनिवार्य मतदान पर दंड का प्रावधान किया जाना निंदनीय कार्य हैं, उसका मैं विरोध करता हूं। निश्चित रूप से इस लोकतंत्र में कहीं न कहीं इनकी नीतियों में कमी है, कहीं न कहीं इनकी व्यवस्था नाजीवादी और फासिस्टवादी है, जिसका परिणाम यह है कि आज अनिवार्य मतदान के गंभीर विषय पर लोकतंत्र के इस सर्वोच्च मंदिर में चर्चा हो रही है और इनकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये खाली बैंचेज इस बात का द्योतक हैं।

मैं सिर्फ इतना और कहना चाहता हूं कि अनिवार्य मतदान में कहीं न कहीं अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए और जब स्वतंत्र भारत में हमें अपने कर्तव्य का बोध हो जायेगा, तभी हमारे पुरखों की शहादत कामयाब होगी और उनके द्वारा गुनगुनाया गया यह गीत 'विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा' कामयाब होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर) : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य, श्री जे.पी.अग्रवाल द्वारा जो कम्पलसरी वोटिंग बिल सदन में लाया गया है, ऐसे गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश को आजाद कराने वाले लोगों ने आजादी की लड़ाई में कुर्बानी देते समय एक सपना देखा था कि हमारी कुर्बानी के बाद इस देश की तस्वीर कैसी होगी। उन्होंने सोचा था कि आजाद भारत में हर हाथ को काम मिलेगा, हर खेत को पानी मिलेगा, अब कोई भूखा नहीं सोयेगा, अब कोई नंगा नहीं घूमेगा, अब कोई फुटपाथ पर नहीं सोयेगा, अब कोई दवा के अभाव में नहीं मरेगा और अब कोई अपने को असुरक्षित महसूस नहीं करेगा। जो मनुष्य की न्यूनतम जरूरतें हैं, वे न्यूनतम जरूरतें आजाद भारत के प्रत्येक नागरिक की पूरी हो जायेंगी और इसी उद्देश्य से संविधान निर्माताओं ने रानी और मेहतरानी की वोट की कीमत बराबर की थी। सबको वोटिंग का राइट दिया था। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के 63 सालों के बाद, साठवें गणतंत्र के बाद भी इस देश में 70-80 फीसदी लोग लोकतंत्र का अर्थ ही नहीं जानते। सौ में से देहात में साठ प्रतिशत लोग और शहरों में 75% लोग वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते। उनका मानना है कि हम वोट क्यों डाले, हमें क्या मिलेगा? नेता की जेब भरेगी, नेता का पेट भरेगा, नेता का घर भरेगा, परंतु हमें क्या मिलेगा। जिस देश में सौ में से साठ लोग वोट डालने के लिए नहीं जाते हों, वहां मिनिमम चार जगह वोट बंटता है। जिसे 11 वोट मिलते हैं, वह देश और प्रदेश की सत्ता में आ जाता है, एमपी या एमएलए बन जाता है। जिस देश में सौ में से 11 लोगों के मतों से सरकारें बनती हों, उसे मजबूत लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है।

इसलिये संविधान निर्माता डा. अम्बेडकर ने कहा था कि देश में तमाम कानून बना दिये जाएं, किसी देश का कानून, किसी का संविधान कितना भी बढ़िया क्यों न हो, अगर लागू करने वाले की मंशा अच्छी नहीं होगी तो वह संविधान और कानून बेकार साबित होगा। अनिवार्य मताधिकार की व्यवस्था करने से पहले हमें सोचना होगा कि क्या अनिवार्य मताधिकार कानून के बाद वोटिंग का प्रतिशत बढ़ेगा? अगर नहीं बढ़ेगा तो और हम नया क्या कर सकते हैं? डा. अम्बेडकर ने कहा था कि हमने मताधिकार दे दिया है। तुम प्रधान से प्रधानमंत्री बना सकते हैं लेकिन जिसमें हिम्मत होगी, वह प्रधान या प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच ही जायेगा। डा. अम्बेडकर ने कहा था कि इससे सब का भला होने वाला नहीं है। सामाजिक आजादी के लिये और आर्थिक आजादी के बिना यह राजनैतिक आजादी अधूरी है। इस आर्थिक और सामाजिक आजादी के लिये हमें देश के लिये एक और लड़ाई लड़नी है लेकिन हमें मत का अधिकार दे दिया गया है और इसके जरिये हमें सामाजिक और आर्थिक आजादी प्राप्त कर लेनी है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक बालिग

को मत देने के पीछे यह मंशा थी कि समूचे भारत में सभी बालिग लोगों को, चाहे वह पंचायत हो, विधानसभा हो या संसद हो उसमें सब की आम सहमति मानी जायेगी। इसलिये उन्होंने व्यवस्था दी थी कि भारत की सकल घरेलू आय वह आय होगी जिसमें प्रत्येक आदमी को न्यूनतम जरूरतें प्राप्त होंगी। आज भी जिसकी बात हो रही है कि फूड सिक्यूरिटी बिल लायेगा। तमाम चीजों पर कानून बनाते चले जा रहे हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मताधिकार शतप्रतिशत बढ़े, लोकतंत्र मज़बूत हो, राष्ट्रीयता बढ़े। मत का प्रयोग 60% करने नहीं जाता है तो उससे राष्ट्रीयता नहीं आ सकती है। आजादी से पहले राष्ट्रीयता थी जब पंजाब में कांटा गड़ता था तो उत्तर प्रदेश तलवे देखता था। इतनी संवेदना थी लेकिन आजादी के बाद जिस भारत में वसुधेव कुटुम्बकम की बात कही गई थी, उस भारत में भारत के प्रति सोच नहीं रही है, प्रदेश की सोच नहीं रही है। हमारी एक बहिन कह रही थी। यह बड़े दुख की बात है कि आज 63 साल की आजादी के बाद आप इस देश के लोगों को स्वच्छ जल मुहैया नहीं करा पाये हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केवल कानून बना देने से काम नहीं चलेगा। हमें जिम्मेदार बनाना होगा।

मैंने कहा था कि आप देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, जिले के प्रति, तहसील के प्रति, ब्लाक के प्रति, गांव के प्रति, पड़ोसी के प्रति, खानदान के प्रति नहीं सोच रहे हैं। एक मां-बाप से पैदा सगे भाई के प्रति सोच नहीं रही है। मेरा भारत, मेरी बीवी, मेरे बच्चे से ज्यादा भारत नहीं बचा है। अगर यह स्थिति बनी रही तो इस राष्ट्र और समाज को टूटने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अगर कोई रोक सकता है तो हमें फिर से चौपाल लगानी होगी। हमें फिर से अलाव जलाने होंगे। हमें फिर से संवाद करना होगा कि जिस देश में 63 साल की आजादी के बाद करोड़ों भूखे हों, नंगे हों, फुटपाथ पर हों, दवा के अभाव में मर रहे हों, असुरक्षित हों, अशिक्षित हों, वह भारत सारे जहां से अच्छा भारत नहीं कहा जा सकता है। सारे जहां से अच्छा भारत उस दिन होगा जिस दिन भारत में कोई भूखा नहीं सोयेगा, कोई आदमी नंगा नहीं घूमेगा, कोई आदमी मजबूर होकर फुटपाथ पर नहीं सोयेगा, कोई अंगूठा छाप नहीं रहेगा, कोई दवा के अभाव में नहीं मरेगा, कोई असुरक्षित नहीं रहेगा, उस दिन भारत को सारे जहां से अच्छा भारत माना जायेगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि माननीय जय प्रकाश अग्रवाल जी अनिवार्य मतदान के लिये जो विधेयक लाये हैं, हम निश्चित तौर पर उससे सहमत हैं। अगर इस आई-कार्ड को मल्टी परपज के लिए बना दिया जाये तो वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन इससे भी नहीं बढ़ेगा। हम लोगों ने, 14वीं लोकसभा में 110 मेंबर्स ने, जो सभी दलों के थे एक वोटर पेंशन वोटरशिप जैसी याचिका दाखिल की थी। उसमें सकल घरेलू उत्पाद से जो आय होगी, जो नेशनल इनकम होगी उसका आधा देश के विकास के लिए और आधे में वोटरशिप वोटर पेंशन जैसा कानून बनाकर, सीधे उनके खाते खुलवाकर, सीधे बैंकों में पैसे डालकर, उन्हें एक पहचान पत्र

देकर, पहली तारीख में इस देश का वोटर जाये और अपनी इनकम का हिस्सा निकाले और रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा जैसी चीजें बिना बिचौलियों के खुद पूरी करे। मैं पूरे भरोसे के साथ कहना चाहता हूं कि सौ में से सौ प्रतिशत लोग वोट डालने के लिए जाएंगे। वे अपने को देश और समाज के प्रति जवाबदेह भी महसूस करेंगे। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, वोटिंग प्रतिशत शत-प्रतिशत करने के लिए, राष्ट्रीयता बढ़ाने के लिए जो हमने तमाम चीजें वेलफेयर की दे रखी हैं, जो वास्तव में जरूरतमंद लोगों के पास नहीं पहुंच रही हैं, उन बिचौलियों का बिचौलियापन खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, सीधे वोटर इंसेंटिव देने के लिए वोटरशिप जैसा कानून बनाने का प्रावधान करेंगे तो निश्चित तौर पर वोट का प्रतिशत बढ़ेगा। लोकतंत्र मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा, लोग राष्ट्र के प्रति जवाबदेह होंगे। इसी के साथ मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री प्रेमदास (इटावा): महोदय, जे.पी.अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत अनिवार्य वोटर बिल पर चर्चा हो रही है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आजादी के 62 साल के बाद भी आज गांव पिछड़े हुए हैं। वहां गरीबी है, लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं, वहां दवा के लिए व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। हमारे सम्मानित मेंबर जे.पी.अग्रवाल जी ने यह कहा कि अनिवार्य वोटर, जब हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है तो लोग वोट डालने क्यों नहीं जाते हैं? इसके पीछे कोई न कोई वजह होगी। मैं कहना चाहूंगा कि आज बहुत अनियमितताएं हैं। यह बजट करीब 11 लाख करोड़ रूपए का पास हुआ है, लेकिन गांव तक कुछ नहीं है। हमारे तमाम साथियों ने कहा है कि लोग नेताओं से गाली देकर बात करने लगे हैं। ऐसा क्यों है, इस पर सरकार को और हमें, आपको सोचना है? मैं कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है। अभी राजाराम पाल जी बोल रहे थे कि हमारे प्रति लोगों की धारणा बनती जा रही है कि हम अर्थ में बढ़ते जा रहे हैं, हर जगह अर्थ है, राजनीति में अर्थ है, बिजनेस में तो अर्थ होता ही है। हमारा पूरा देश कृषि से चल रहा है, फिर भी हम कृषि के मामले में पीछे हैं। कृषि के लिए कुछ नहीं है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। जब यह इतना बड़ा लोकतान्त्रिक देश है और इसमें साठ, सत्तर, अस्सी प्रतिशत वोट नहीं पड़ता है तो इसके लिए हम और आप जिम्मेदार हैं। मैं कहना चाहूंगा कि हर आदमी को वोट डालना चाहिए, चाहे वह किसी को भी वोट दे, लेकिन वोट जरूर देना चाहिए। गांव में बड़े लालच से, बहुत मेहनत से हम लोग वोट डलवा पाते हैं, लेकिन उसमें अनियमितताएं भी हैं। पंचायत वोटर लिस्ट अलग है, विधान सभा की वोटर लिस्ट अलग है, लोक सभा की वोटर लिस्ट अलग है। सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए कि जब निर्वाचन प्रक्रिया इतनी अच्छी है, तो कम से कम एक वोटर लिस्ट होनी चाहिए। जब तक ये अनियमितताएं रहेंगी, गांव में जब वोट पड़ते हैं तो एक हजार वोट हैं, पांच सौ वोट हैं तो उसके लिए वे लाइन लगाते हैं।

दो घंटे, चार घंटे वोट देने के लिए गांव का आदमी खड़ा नहीं हो सकता है। जब उससे कहा जाता है कि वोट डाल कर आओ, तब वह कहता है कि वोट डालने से हमें क्या मिलेगा। इसलिए इस प्रक्रिया को भी सरल करने की आवश्यकता है। समय की व्यवस्था, वोट डालने के लिए सहूलियत वोटर को देनी पड़ेगी और गांव तक लोकतंत्र का असली चेहरा पहुंचाने के लिए हमें और आपको प्रयास करना पड़ेगा।

श्री जे.पी. अग्रवाल जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। यह प्रयास करना बहुत जरूरी है, अन्यथा वोट का प्रतिशत और कम होता जाएगा। यह सोचने का विषय है।

*SHRI J.M. AARON RASHID (THENI): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Compulsory Voting Bill moved in this august House by my esteemed colleague Shri J.P. Agarwal. I extend my support to this Private Members' Bill moved by Shri J.P. Agarwal and I would like to second the same.

I find people living in the remotest part of the country, in distant hamlets and villages do not cast their votes in big number. When they are forced to walk considerably long distances, they do not prefer to do that and fail to cast their vote. It is not easy to traverse 5 kms. or longer stretches of 10 kms. or more in the hilly terrains walking through hilly tracts. My constituency has got so many hillside villages and remote villages in both Periyakulam and Theni district area. There are 205 small villages and hamlets situated on the hilltops in my constituency. A Polling Booth is to be set up even in a place that has got a mere 250 voters. Police personnel and officials on election duty must be sent to every booth to ensure that all our people cast their votes during the election. Only then, we would have succeeded in establishing a sense of participation in the minds of our people when they take part in the electoral process which is like a festival of democracy. We must instill confidence in the minds of the people and bring about a spirit of oneness and togetherness thereby we must create hope in their hearts towards democracy.

Some of our youth today go astray as misguided youth and go away from the path of democracy and embrace extreme organizations like naxal and maoist movements. I am very particular about hilly areas because this modern day menace in the form of naxalism and Maoism is more patronized in the hilly regions of our country. This venom is spreading fast. Such students and youth must be brought to the mainstream in the path of democracy. We must give them hope for democracy and we must encourage them to participate in our electoral

* English translation of the speech originally delivered in Tamil

process casting their votes without fail. I think my good friend Shri J.P. Agarwal has thought about it and brought forth this Bill as a good move.

In our election we find many of our Government officials are not casting their votes. We must ensure that all the employees of both the Central and State Governments exercise their franchise during the elections. If they do not vote, considering it as a democratic duty, then certain disincentives must be there. There must be cut in the ration, there must be cut in increment and curtailment in promotion. Many police officials do not vote, many staff in the rural areas fail to vote. Hence it must be made the primary duty on the part of the Government employees to vote compulsorily. We must effectively monitor as that will have its salutary effect on the remaining part of the population.

Wherever we have Reserved constituencies, we must encourage Independent candidates to contest. This is my personal view. For instance, Tenkasi is a neighbouring constituency. I have many of my kith and kin there. Since it has got many hillside villages, road facility is not there in an adequate fashion. Even after 60 years of Independence, there are considerable number of villages that have not seen metal roads. Only when a person from the majority community contests, most often the Government extends all the basic facilities to that constituency. In the city of Chennai, in the Assembly constituencies like Mylapore, T. Nagar and Triplicane, though two of them are Reserved constituencies consisting of majority community people in good number, we find the marginalized people and people from the Scheduled Caste communities come in good number to cast their votes. This augurs well for our democracy. Then only this inclusion of people, that has been reiterated by our leaders like Rajiv Gandhi and Indira Gandhi and now Sonia Gandhi, will become a reality. It is the visionary step of our late lamented leader Rajiv Gandhi to have brought down the voting age to 18. This is to ensure that youth and students are tempered to uphold democracy and begin to cast their vote when they are still young. He won them the right to vote in their teens. We must preserve the spirit of democracy by way of

encouraging more of Independents to contest in Reserved constituencies. Rotating the constituencies ensures the spread of true democratic spirit. It should not be like a candidate from a majority community alone shall stand a chance to win an election from a constituency full of such community people in the electorate. Even the minorities should be able to contest and win the votes of the majority. This will augur well for the democracy.

I hail from a minority community and I represent a constituency that has got the electorate from the majority community living in majority. Democratic spirit helps us to rise above the caste and community. Theni Lok Sabha Constituency is not dominated by the minority community like that of mine. People belonging to major religion live in majority there. But still, the people of my constituency living there perform their democratic duty rising above caste and communal lines. I would like to thank the electorate of my constituency who have elected me though I hail from a minority community. It only vouchsafes their spirit of oneness, togetherness and democracy participating in the election which is like a democratic festival. No nation was raised on caste lines. No nation can remain united just because same community of people live there. There could not have been two Pakistans, two Germanys and two Vietnams if race and religion are to decide the unity of a country. But it is only the democratic spirit that can keep a country united. The spirit of democracy inculcated in us by Mahatma Gandhi and later on by Shrimati Indira Gandhi and Shri Rajiv Gandhi and now by Shrimati Sonia Gandhi help us to rise above caste and community and uphold the democracy with a spirit of oneness and brotherhood.

People living in the remotest part of the country like hilly areas must be given enough of care and attention. Such people living in forest areas are vacated without prior notice. They must be given priority in our governance. They are deprived of their voting rights to elect their democratic representatives. We must create a conducive atmosphere. We must facilitate them to cast their votes wherever they live.

My esteemed colleague Shri J.P. Agarwal has moved this Bill with a visionary approach to ensure that all the people participate in the election making use of their democratic rights. Only then people will have the level of confidence increase, they will have more faith and confidence in democracy and the nationality. It is only people who have come from the Congress background can think of such a move to include all the people in the ambit of democracy.

Shri Agarwal wants to have one booth for every 500 metres. But I feel it is enough to have one booth per kilometer because in my constituency, I find only 5 booths for a vast stretch of 32 kms. In the hill areas in my constituency, there are only 60 booths. For instance, Vellimalai which is 18 kms. atop the hills, has got a booth sufficiently kept apart. They have to walk 5 kms. and more to cast their vote. That is why they fall a prey to certain electoral malpractices. This must be checked. In order to avoid money changing hands during such time, we must ensure that more booths are set up to cover almost the entire population thereby involving all our people in the democratic exercise.

This Bill has been brought with a spirit of nationalism by a Congress Member. Our Congress Party headed by Shrimati Sonia Gandhi, the Chairperson of the United Progressive Alliance accords greater importance and prominence to youth. Our young Lieutenant Shri Rahul Gandhi extols the youth to come forward to participate in the process of democracy. More and more of people participating in the elections and casting their vote without fail in the hustings which are like festival of democracy will strengthen our spirit of togetherness and unity.

Hence, I, once again, congratulate my esteemed colleague Shri J.P. Agarwal who have brought this Compulsory Voting Bill in this august House. Extending my support, once again, to this move, let me conclude.

18.00 hrs.

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): सभापति महोदय, मुझे बोलने का समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस विषय पर ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि इस विधेयक का क्या रिजल्ट होने वाला है, यह मुझे मालूम है। मैं आपका ध्यान सिर्फ दो बातों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। अग्रवाल साहब ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, इसका समर्थन करते हुए, मैं इसमें दो बातें एड करना चाहता हूं। इसकी फिलॉसाफी आप देखें। भारत के संविधान के प्रिएम्बल में जो लिखा है, अगर आप इजाजत दें, तो मैं पढ़ना चाहता हूं-

> "We, the people of India, having solemnly resolve to constitute into a sovereign, socialist, secular, democratic Republic and to secure to all citizens…"

The emphasis is on `all citizens'. हर नागरिक को यह अधिकार दिया गया है। दूसरी बात जो कही गई है, वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। समय के कारण मैं स्किप कर रहा हूं- "Fraternity, assuring dignity of the individuals." How this direction of the Preamble `to secure to all its citizens' can be achieved? यह कांस्टीट्यूशन का प्रिएम्बल है, मैंडेट है। यह एक प्रकार से डायरैक्टिव प्रिंसिपल्स की ओर जा रहा है। सवाल इस बात का है कि अगर 30 और 35 परसेंट वोटिंग होती है, तो how this direction of the Preamble `to secure to all its citizens' can be achieved?

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, we started the Private Members' Business at 4 p.m. Time allotted is two and a half hours. So, if the House agrees, I am extending the time of the House till 6.30 p.m.

श्री विजय बहादुर सिंह : मैं इस पाइंट पर था कि प्रीएम्बल में लिखा है कि "Secure to all citizens dignity of the individual".

सभापति महोदय, इस वन वोट के राइट के ऑथर या जन्मदाता डॉ. भीमराव अम्बेडकर थे, क्योंकि जो उनका एजूकेशन कैरीयर था, जब उन्होंने सब यातनाएं देखीं, तो हमें मालूम है कि पुरानी भाजपा की सरकार भी केवल एक वोट से उलट गई थी। यह कितनी गम्भीर बात है। हम लोग कहते हैं और मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि अब जो राजा है, वह रानी के पेट से न निकल कर, बैलट बॉक्स से निकलता है। वोट की इतनी ज्यादा पॉवर है कि कोबाल्ट भी इसके मुकाबले में पीछे है।

सभापति महोदय, जिस टॉपिक पर मैं वास्तव में आना चाहता था, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, माननीय लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, यह रेस्पांसिबिलिटी इलैक्शन कमीशन की है। लगातार इलैक्शन कमीशन आते रहे, बदलते रहे, वे अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे कि इलैक्शन कमीशन का एक मैम्बर होगा या दो मैम्बर होंगे, पूरी लड़ाई हम लोगों ने देखी। अगर कांस्टीट्यूशन का पार्ट 15 देखा जाए, तो उसमें एक आर्टीकल 324 है। मैं उसकी एक लाइन पढ़ना चाहता हूं।

Article 324 says :

> "Superintendence, direction and control of elections to be vested in the Election Commission."

The entire right of superintendence, direction and control has given to the Election Commission. हमें अफसोस है कि इलैक्शन कमीशन ने अपने अधिकारों पर तो बहुत ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने सुपरिंटेंडेंस के लिए प्रयास क्यों नहीं किया कि जो मैजोरिटी या इलैक्ट्रोरल रोल 100 में है, उस पर केयर करे? चूंकि वे इस पृष्ठभूमि में फेल हो गए हैं, इसलिए हमारे अग्रवाल साहब ने जो यह प्रयास किया है, यह सराहनीय है।

सभापति महोदय, इसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि पूरी पार्लियामेंट क्या है, यदि भारत की जनता 120 करोड़ है, तो इतनी संख्या में तो वह यहां बैठ नहीं सकती, रिप्रजेंटेटिव डैमोक्रेसी में जो डिसकशन हुआ है, कांस्टीट्यूशन असैम्बली में एज ए लॉयर जो हमने कोट किया है, वह है कि भारत रिप्रजेंट हो रहा है सांसदों और विधायकों से। यह कैसा रिप्रजेंटेशन है जो 30 या 35 परसेंट से हो रहा है? इसे बहुत गम्भीरता से लेना है। गम्भीरता से इसलिए लेना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, नॉर्थ इंडिया में और अब तो साउथ इंडिया में भी कास्ट का वायरस, रिलीजन का वायरस चल रहा है। लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश काऊ बैल्ट है, यादव बैल्ट है। अगर 100 परसेंट वोटिंग हो, अगर सब लोग वोट डालें, तो ऑटोमेटीकली यह जातिवाद, रिलीजन और अन्य बुराइयां समाप्त हो जाएंगी।

महोदय, अग्रवाल साहब ने जो फूड फॉर थॉट दिया है, इसके लिए मैं उन्हें फिर से मुबारकवाद देना चाहता हूं। इन्होंने बहुजन समाज ही नहीं, सर्वजन समाज और सर्वजन हिताय की बात कही है और हमें लग रहा है कि अग्रवाल साहब हमारी फिलॉसाफी से आकर्षित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, एक बहुत बड़ा फूड एडल्ट्रेशन हुआ तो उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना कर दिया, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने लिखा है: The Madras High Court has erred, by the side of leniency, by a flee or by a fine. बल्कि यह जो 2-2 सौ या 500 रुपये लिखा है, यह बहुत कम है। मैं तो चाहूंगा कि

जो वोट न दे, उसको जो पनिशमेंट दिया जाये, उसको थोड़ा और बढ़ाइये, तो डैमोक्रेसी में रिप्रेजेण्टेशन ज्यादा हो जायेगा। इसीलिए मैं छोटे राज्यों के भी पर्सनली खिलाफ था, क्योंकि बहुत सी मैल प्रैक्टिसेज़ का इससे जन्म होता है। जब मैजोरिटी बोलती है, जब पांच लोग बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि भगवान बोलते हैं। उसकी एक बहुत बढ़िया कहावत है, उसे पंडित जी बताएंगे। वे पंच-परमेश्वर हैं। जब पंडित जी ने इसे आदि काल से एडॉप्ट किया तो हमने सोचा कि इसमें कुछ है, यह भगवान राम से आगे बढ़ेगा।

मैं अपनी बात ज्यादा न कहकर यही कहना चाहता हूं कि यह जो विधेयक है, इसको गम्भीरतापूर्वक लिया जाये। अगर यह विधेयक प्राइवेट मैम्बर्स बिल न होकर यू.पी.ए. सरकार से आता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन यू.पी.ए. सरकार वूमेन रिजर्वेशन बिल पर एक्सरसाइज़ इन फ्यूटेलिटी न करे। मैं दोनों हाथों से, अपने दिल और दिमाग से इस बिल का पूरी तरह से समर्थन कर रहा हूं और फिर संक्षेप में कहना चाहता हूं कि In the Preamble of the Constitution, the dignity of the individual is mentioned and article 326 of the Constitution provides the Election Commission's power of direction and superintendence, इस लाइन पर बहुत गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए। हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं, यह तो हमारा सौभाग्य है, मैंने 35 साल से वकालत की, लेकिन ए.के. सेन के बाद इतने विद्वान हमें लॉ मिनिस्टर मिले हैं। हम उनसे यह अर्ज करना चाहते हैं कि वे इस पर सोचें और सोचने के बाद कोई रास्ता निकालें तो बड़े भारी डैमोक्रेटिक सैट अप में इनकी सर्विस होगी। आस्ट्रेलिया में अगर कोई वोट न दे तो 100 डॉलर जुर्माना हो रहा है, इसीलिए मैं इसे चाहता हूं। यह तो हमारी फिलोसॉफी है कि सब लोग अगर पहुंचेंगे तो प्रजातंत्र बढ़िया बनेगा। मैं इस बात के लिए अग्रवाल साहब को धन्यवाद देता हूं और पुनः कहना चाहता हूं कि वे जो बिल लाये हैं, वह बहुत अच्छा बिल है।

MR. CHAIRMAN : आप बोल चुके हैं। As an exception and request made by Shri Lal Singh, I allow Shri Lal Singh to speak only for five minutes.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति जी, आप बड़े दयालु हैं, बड़े मेहरबान हैं। आप हमें बहुत आशीर्वाद देते हैं। आप पांच मिनट को तीन बार जरब कर देना, बाकी सब ठीक है।

मेरी जनाब के माध्यम से विनती है कि अग्रवाल साहब ने जो कम्पलसरी वोट की बात की है, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बहुत अच्छी सोच है, तजुर्बे की बात है, एक्सपीरिएंस का सवाल है। सारे पार्लियामेंटेरियंस अच्छी तरह से जानते हैं, हर बन्दा जानता है कि कितनी तकलीफें वोटर्स को होती हैं, किस तरह से वोट पड़ते हैं और किस तरीके से सरकारें बनती हैं। इसमें थोड़ी सी बात करने का मसला है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखें कि जो देश का इलैक्शन कमीशनर है, उसको कभी पूछें कि तूने और तेरी घरवाली ने कभी वोट डाला है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं और उसके बाद आप उसके नीचे वाले बन्दे से पूछें, जिसको रिटर्निंग आफिसर कहते हैं, उससे कभी पूछें कि तूने कभी वोट डाला है, कभी प्रीज़ाइडिंग आफिसर से पूछें कि तूने वोट डाला है। मैं हैरान हूं कि इस डैमोक्रेटिक सिस्टम को चलाने के लिए अनडैमोक्रेटिक तरीके जो एडॉप्ट किये हैं, इनको चेंज करना पड़ेगा।

आप मेरी बात सुन लें, आपने अपनी बात बोल ली। मेरे कहने का मकसद यह है कि जब मैं एक्सपीरिएंस से नहीं गुजरा हूं, जब मैं तजुर्बे से नहीं गुजरा हूं, जैसे आप गुजरे हैं, जैसे चेयरमैन साहब गुजरे हैं, ये लोग गुजरे हैं क्या? वोटर को इन लोगों की तरफ से कितना परेशान किया जाता है, वह आप सोच भी नहीं सकते। कभी उसकी वोटर लिस्ट देखी, वह वोट डालने जाता है तो उसको कहता है कि तेरा वोट इधर नहीं है, तेरा वोट उधर है। Parliamentarians know it very well इसके बाद वह इधर से उधर चला जाता है। आपके प्लेन इलाकों में तो इधर का उधर चला गया, लेकिन मेरे पहाड़ी इलाके का बंदा चार किलोमीटर उतरकर आया, फिर तीन किलोमीटर उसको कहीं और चढ़ा दिया गया, फिर उधर जब वह पहुंचा तब समय हो रहा है, फिर उधर कहा गया कि आपका नाम इधर भी नहीं है। इस तरह से घूमते-फिरते वोटर की जो हालत बनती है, उसके बाद वे वापस चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि इतने प्रतिशत वोट पड़ रहे हैं। पर्सेंटेज आफ वोट कम क्यों हो रहा है? यह गलत तरीके की वजह हो रहा है। आप एक बंदे की इज्जत ही नहीं करते, जब आप उसकी रेस्पेक्ट नहीं करते, तो वह वोट डालने क्यों जाएगा?

दूसरी बात, उसका नाम लिखा है, उसके नाम का एक वर्ड ए, बी, सी या क, ख, ग किसी वर्ड में अगर थोड़ी सी भी गलती है, आजकल अगर एसएमएस करते हैं, तो वाईओयू नहीं लिखते, यू लिखते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, वाईओयूआर की जगह यूआर लिखते हैं, तो कोई गलती नहीं, लेकिन जब वोट डालने जाता है, तो उसके नाम में गलती क्यों होती है?

तीसरी बात, मैं कहना चाहूंगा कि अभी वोटर कार्ड बनने का कोई सीजन नहीं है। हम यहां आ गए हैं, तो लगातार हर वर्ष वोटर कार्ड क्यों नहीं बनते हैं? इसके लिए लगातार कांटीन्युअस प्रोसेस क्यों नहीं है। जब बंदा 18 वर्ष का हो जाता है, उसका वोट उस दिन बनना चाहिए। वह इलेक्शन के दिनों में ही क्यों बनता है? क्यों गलत समय में ही बनता है? ये बातें सोचने की हैं। ये गलत चीजें गलत पालिसी की वजह से हैं। जो पालिसी मेकर हैं, वह हम हैं, लेकिन वह बन कोई और गया है। उसको सुधारने की जरूरत है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो दो डिग्रियां आपने आईएएस और आईपीएस की हैं, इन्हें आपने क्यों रखा है? अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों का खून निचोड़ने के लिए ये बनायी थीं। आज उसकी जरूरत नहीं है। इन सब चीजों को खत्म करो। मेरी जनाब से विनती है, न बंदा एक्सपर्ट है, न उसने पांच साल इंजीनियरिंग की, न लॉ किया, न उसने डिग्री की, न कोई और डिग्री की, बस एक इंटरव्यू दिया तो वह हमारा आफीसर बन गया। वह आफीसर बन गया तो उसको क्या पता कि वोट क्या चीज है? चौधरी लाल सिंह को पता है कि वोट क्या चीज है? मैं जानता हूं। हम इलेक्शन के दिनों में जब रात में सोते हैं, तो कई बार हाथ में चुन्नी बांध लेते हैं कि कहीं सपने में वोटर न आ जाए। ...(व्यवधान) सपने में वोटर आ जाए, तो वह यह न कहे कि इस बंदे ने हाथ नहीं जोड़ा हुआ है। आप हमारी हालत देखें। मैं बताना चाहता हूं कि इस सिस्टम में कितनी गिरावट आयी है। कितने लोग शराब के धंधे में हैं, उन दिनों दुकानें खुली है, सब जगह बहुत चेकिंग है। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा भारी ड्रामा किया हुआ है। शराब ट्रकों के ट्रक आ रही है और पैसा धड़ाधड़ खर्च होता है और जिसने कभी मीट नहीं देखा वह मच्छी तलकर खा रहा है। मुझे बताइए कि यह कौन सा वोट पड़ रहा है? अग्रवाल साहब, जितने लोग क्वालीफाइड हैं ...(व्यवधान) मेरी बात सुनिए। जनाब मैं आपके मन की बात कह रहा हूं। मुझे पता है।

मैं अमीर आदमी की हालत सुनाता हूं। एक क्वालीफाइड और पढ़े-लिखे व्यक्ति की बात सुनाता हूं। वह बहुत पढ़ा-लिखा है, उसने बड़ी क्वालिफिकेशन ली है, लेकिन सबसे कम अगर वोट कोई डालता है, तो वह ही डालता है। जो पढ़ा-लिखा है, वह वोट नहीं डालता और बाहर बैठकर बकवास करता है कि ये पालिटिशियन गलत हैं, ये फलाना गलत है, ये गलत लोग हैं तो वह वोट डालकर ठीक क्यों नहीं करता है? जब तू वोट ही नहीं डालता, तो तुझे किसी को क्रिटिसाइज करने का क्या अधिकार है? पालिटिशियन गलत हैं, यह कहता है, लेकिन जो वोट नहीं डालता, जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी

दी थी, एक-एक वोट के लिए लोग मरे हैं। इस देश को फ्रीडम दिलवाई, इस देश को आजादी दिलवाई, अगर कोई डीसी की कुर्सी पर बैठा है, तो सिर्फ उनकी वजह से बैठा है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरू सुखदेव, नेता जी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, गांधी, पटेल इन लोगों की मेहरबानी से वहां वह बैठा है, अदरवाइज क्या ये लोग इन कुर्सियों के काबिल हैं? ये कुर्सियों पर बैठकर हिंदुस्तान के कांस्टीच्यूशन में वोट डालने नहीं जाते। इसका कारण क्या है? इन्होंने ठीक कहा है, जो अनपढ़ है, जो नासमझ है, जो कुछ नहीं जानता है, वह गलती करे, कोई बात नहीं, लेकिन यहां पढ़ा-लिखा गलती कर रहा है। जब गरीब आदमी लाइन में खड़ा होता है, तो वहां धूप है, बारिश है, लेकिन कोई इंतजाम नहीं है। इनको वहां जाना है, जहां आफीसर छाता लेकर चेक करने आ रहा है। उसके लिए छाता है। 10-20 पुलिस वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति लाइन में थोड़ा सा टेढ़ा खड़ा होता है तो वह डंडा चला देता है कि इसे मारो। मुझे बताइए कि वे क्यों वोट डालेंगे? क्या लाठी खाने के लिए, मार खाने के लिए, धक्के खाने के लिए, बेइज्जत होने के लिए वोट डालेंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो कमियां हैं, उन्हें सुधारना पड़ेगा। अगर वोट डालना कम्पलसरी हो तो सबसे पहले उन लोगों के लिए हो जो अमीर हैं, पढ़े-लिखे हैं, क्वालीफाइड हैं, उसके बाद बाकी लोगों को लिए हो। ये सारे लोग गरीब लोगों से बने हैं।...(व्यवधान) मेरी विनती है कि बड़ा आदमी, जिसकी मैं बात कर रहा था, उस दिन आता है जब चौधरी लाल सिंह, मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट कभी मंत्री बन गया, लम्बी सी गाड़ी में आता है। ड्राई फ्रूट, बर्फी का स्पैशल डिब्बा लेकर ऐसा आता है जैसे सगन लेकर आ रहा हो। उसकी गाड़ी डिब्बा लेकर सीधे अंदर घुस जाती है।...(व्यवधान) गरीब आदमी जिसने बनाया, वह दो रुपये का हार लेकर खड़ा होता है। मेरी विनती है कि उस गरीब की जो हालत होती है, जिसने वोट नहीं डाला, उसका इंट्रोडक्शन पहले दिन ही हो गया। मेरी सबमिशन है कि कम्पलसरी वोट करवाइए लेकिन पढ़े-लिखे, क्वालीफाइड और अमीरों के लिए करवाइए। जय हिन्द।

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, sir, my only concern is that the opportunity of taking up the next Bill of Shri Adhir Chowdhury should not be taken away because it has already been placed before the House twice and it cannot come for the third time in the Bulletin.

MR. CHAIRMAN : I take your point. Please take your seat.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मैं यह नहीं कहता कि वह नहीं होना चाहिए, लेकिन इतनी लम्बी बहस के बाद हम मंत्री जी की बात सुनेंगे और मैं भी बोलूंगा। ...(व्यवधान)

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले अपने भाई श्री जय प्रकाश अग्रवाल, जो प्रस्ताव लाए हैं, सिर्फ इसलिए कि इस प्रस्ताव को जय प्रकाश अग्रवाल जी लाए हैं, मैं इसका सौ प्रतिशत समर्थन करता हूं। यह आज की बहुत सख्त जरूरत है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है, जिसकी तरफ सदन के सारे सदस्यों ने ध्यान दिलाया है, सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वास की कमी हो रही है। आज लोगों की नेताओं पर, हमारे ऊपर, हमारी व्यवस्था के ऊपर से आस्था उठती जा रही है। दिन-ब-दिन लोग वह देख रहे हैं जो हम किताबों में देख रहे हैं। जो हमने अपने बड़ों के बारे में सुना और जो संविधान में देखा, वह आज प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं नहीं मिल रहा है। कहां खो गईं हमारी वे कद्रें, क्या हो गया है हमारे लोगों को? ऐसा लगता है जैसे हम इंसान के चेहरे हैं लेकिन हमारे अंदर एक धड़कता हुआ दिल भी नहीं है। ऐसी आंखें नहीं हैं जिनके अंदर गरीबी को देखकर आंसू निकल पड़ें। मेरी बहन ने पानी भरने वालों की जो बात कही, वह मंजर जब आदमी टेलीविजन में देखता है, उसके घड़े में कितना पानी है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उससे ज्यादा उसकी आंख से पानी निकलना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। आज हिन्दुस्तान में 60 साल के बाद 5-5 किलोमीटर दूर से पहाड़ों में बहनें पानी लाती हैं। लोगों को इस व्यवस्था के ऊपर कैसे भरोसा होगा? कैसे इस देश की तरक्की के नारे पर हम भरोसा कर लेंगे? अभी मेरे भाई लाल जी ने जो बात कही, मैं आदर के साथ कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा कि शहर में 40 प्रतिशत से ज्यादा लोग वोट नहीं डालते। शहर में पढ़े-लिखे लोग होते हैं, वे पहले से फिल्मों के प्रोग्राम बनाते हैं , कैसेट मंगवाकर रखते हैं और उस दिन हॉलिडे मनाते हैं। लेकिन क्या उनको नहीं मालूम कि हमारा भारत का संविधान क्या कहता है?

आज के दिन के वोट की हमारी क्या हैसियत है? क्या पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का वकार जाने वाला है? आज हमारे वोटर्स कितने निकल कर आ रहे हैं? इसका बहुत बड़ा संबंध है, लेकिन गांव के जो वोटर्स हैं, वे हकीकत में 70 से 80 परसेंट तक वोट देते हैं। वे आज टेलीविजन देखते हैं। जब वे देखते हैं कि जो लोग 40 परसेंट भी वोट नहीं देते हैं, जबकि हम 80 और 90 परसेंट वोट देते हैं। लेकिन जब सरकार के फायदे की चीजें आती हैं, तो वे 40 परसेंट वाले ही नहीं, बल्कि जो एयरकंडीशनर में सोते रहते हैं, टेलीविजन देखते हैं, वे सबसे आगे रहते हैं और उन्हें 90 परसेंट सुविधाएं मिलती हैं। जो 90 परसेंट वोट देते हैं, वे बेचारे महरूम रहते हैं। कैसे इस संस्था के ऊपर लोगों को भरोसा होगा? कैसे लोग भरकर आयेंगे?

अभी रामपाल जी ने बड़े अच्छे सुझाव दिये कि अगर कोई ऐसा सुझाव नहीं निकलेगा, डायरेक्ट वोटर को फायदा नहीं पहुंचेगा, गांवों में सड़कें नहीं बनेंगी, तब तक कुछ नहीं होगा। आज हम बीपीएल की बात करते हैं। बीपीएल घराने के लोगों के सामने आज मसर्डीज कारें और बहुत सी जगहें मारुति कारें खड़ी रहती हैं और जो असली बीपीएल वाला है, वह बेचारा भिखारी की तरह लाइन में खड़ा है। अब लोगों को कैसे भरोसा होगा? जब नरेगा की बात आयी, आज गवर्नमैंट ने उसे कई हजार गुना बढ़ा दिया, लेकिन खाली यहां फंड बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। वह ग्रासरूट के लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। मैंने कल भी कहा था कि बीच में जो बिचौलियों की लाइन है, जब तक इस करप्शन को बंद नहीं किया जायेगा, जब तक लोगों के अंदर भरोसा नहीं पैदा कराया जायेगा, लोग निकलकर नहीं आयेंगे। फिर गांव-देहातों में जो प्रैक्टिकल बातें हैं, आदमी जब रोड की लाइन पर पहुंचता है, अभी मेरे भाई ने कहा कि बड़ी मुश्किलों से हमारे असम में नाव में, पानी में पता नहीं कैसे-कैसे कष्ट के बाद जब वह पहुंचता है, तो उसे वहीं से कह दिया जाता है कि जाओ, भाग जाओ, सब हो गया है। पूरे वोट केन्द्र में एक लाठी वाला, पुलिस वाला नहीं मिलता और जो मिलता है, तो जिसकी लाठी, उसी की भैंस। वहां गुंडे पहले से खड़े रहते हैं। कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा। वह वोट देना चाहता है। वह अपनी जान देकर वोट देना चाहता है, लेकिन जान कौन देने जायेगा? कल उसे कौन पूछेगा? ये सब हालात हैं। इन सब चीजों पर, लोगों के ऊपर, अपने देश की हमारी जो कद्रें थीं, जो हमारे संविधान ने हमें दिया था, मैं समझता हूं कि उसके ऊपर अवेयरनैस की भी जरूरत है। आज हमारे नौजवान बच्चों को टेलीविजन पर दिखाते हैं, तो बड़ा अफसोस लगता है कि गांधी जी कौन है? हमारे बच्चे माशा अल्लाह खेलते हुए दिखाये जाते हैं, क्लबों में नाचते हुए दिखाये जाते हैं, क्या यही बच्चे कल हमारे लीडर बनने वाले नहीं हैं? उनको पूछा जाता है कि गांधी जी कौन हैं, तो वे जवाब नहीं दे पाते हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं एक-दो मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मेरा यह कहना है कि इन सब चीजों को जब तक हम वापिस जिंदा नहीं करेंगे, हमारी आने वाली नस्लों को इसकी कद्र और इसकी कीमत नहीं समझायेंगे, तो ये कुछ लोग आकर पूरे देश को नहीं बना सकते। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसी पार्लियामैंट में, मैं बहुत आदर के साथ कहना चाहूंगा कि अभी इसी मर्त्तबा हर सदन में लोग कितनी उम्मीदों से टेलीविजन देखते हैं, पूरी दुनिया देखती है, तो वे यह देखते हैं कि हर मामले में एक छोटा सा बहाना लेकर पूरा सदन स्थगित कर दिया जाता है। लोग कैसें-कैसे क्वेश्चन-आंसर भेजते हैं। कितनी इम्पोर्टैंट चीजें होती हैं, लेकिन उनका जवाब नहीं मिलता है और चार-पांच दिन तक हाउस एडजर्न हो जाता है। आज एमपी इम्पोर्टैंट मैटर लेकर घूमते हैं लेकिन उनको कोई सुनने वाला नहीं है। उन्हें हफ्ते-हफ्ते बोलने का मौका नहीं मिलता। पता नहीं कैसे-कैसे नुकसानात हो जाते हैं। इन सब चीजों पर मेरा यह

कहना है। मैं सिर्फ यह कहूंगा कि हम लाये हैं तूफान से किश्ती निकालकर, इस देश को रखना, मेरे बच्चो संभाल कर।

इन्हीं बातों के साथ मैं फिर से हमारे भाई अग्रवाल साहब की हन्ड्रैड परसेंट ताईद करता हूं, लेकिन चूंकि इस इंसान के अंदर एक धड़कता हुआ दिल भी है, सिर्फ कानून से नहीं चलेगा, प्यार मोहब्बत से सिखाकर, आहिस्ते-आहिस्ते करप्शन को दूर करके, लोगों का फेथ लेकर आगे बढ़ेंगे, तो जरूर वोटर्स बढ़ेंगे।

MR. CHAIRMAN : Hon. Minister, only a few minutes are left; you cannot finish your speech. So, next time you can reply to the debate.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI M. VEERAPPA MOILY): Next time, I can straightaway start the answer.… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): Mr. Chairman, Sir, he can start; let him be on his legs till next time; otherwise, in between, somebody else will get up and speak… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : He will be on his legs.

All right, Mr. Minister, you can just start and speak for a few minutes.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Agarwal *ji*, already I have already called the hon. Minister.

… (*Interruptions*)

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : महोदय, इसमें रिजिडनेस की क्या बात है। माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, उनको बोल लेने दीजिए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Agarwal *ji*, you are a very senior Member of this House. I have called the hon. Minister to reply. Please do not insist upon.

… (*Interruptions*)

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय : यह लोकतंत्र का विषय है, माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Dr. Pandey, please sit down.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I have already called the hon. Minister; he is on his legs, please.

… (*Interruptions*)

SHRI M. VEERAPPA MOILY : Mr. Chairman, Sir, the kind of debate which has gone on this Private Members' Bill has really sanctified the very concept of the Private Members' Bill. I must compliment and commend the kind of debate which has gone on which commenced from our hon. Member Shri J.P. Agarwal, and, of course, ended up with Shri Ajmal Badruddin.

I have noted down the points from all the speakers who spoke. I must say that it is most illuminating, in fact, enlightening and forward looking. I am very much educated by this. I think it is an ideal situation to have compulsory voting; there is no doubt about it. We need to graduate our country, our electorate. All of us should ultimately graduate ourselves into that kind of a domain where every citizen of this country should exercise his vote. That is why, the kind of support which this Bill obtained from all the Members, by all sections of the people, by everyone starting from Kanyakumari to Kashmir with Chaudhary Lal Singh, and in Assam represented by Shri Ajmal Badruddin, reflected that our democracy is still vibrating and people are at passion to nurture the great democracy of this country.

The elections are the first national festival of democracy. Everyone will have to tribute that kind of sanctity. After all, any democracy will come out successfully by nurturing it; and we have nurtured it. We are proud that today our Parliamentary democracy is the largest and the best in the world. We are a part of it, with all the deficits which have been spoken out by many hon. Members. In our country, yes, we have conflicts. The Constitution of India is a conflict resolution document. We have differences of opinion. Our country is also called 'argumentative India'. There are contradictions everywhere. From territory to territory, from man to man, we have contradictions. I must say that people say that our body if full of water. But, you know, if there is any infliction of injury to the body, blood comes out. Our heart is full of blood but if any injury is caused to the heart, tears come out, water comes out. This is a contradiction. But we live in

this contradiction and we thrive in this contradiction. That is why we have a beautiful concept of a scenario of India with 'unity in diversity'.

So, Sir, I will continue next time.

MR. CHAIRMAN : Thank you. The House stands adjourned to meet again on Monday, the 3rd May, 2010 at 11 a.m.

18.30 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, May 3, 2010/Vaisakha 13, 1932 (Saka).